खण्ड-270, अंक-6
बुधवार, 16 अग्रहायण, शक संवत् 1888
(7 दिसम्बर, 1966 ई0)

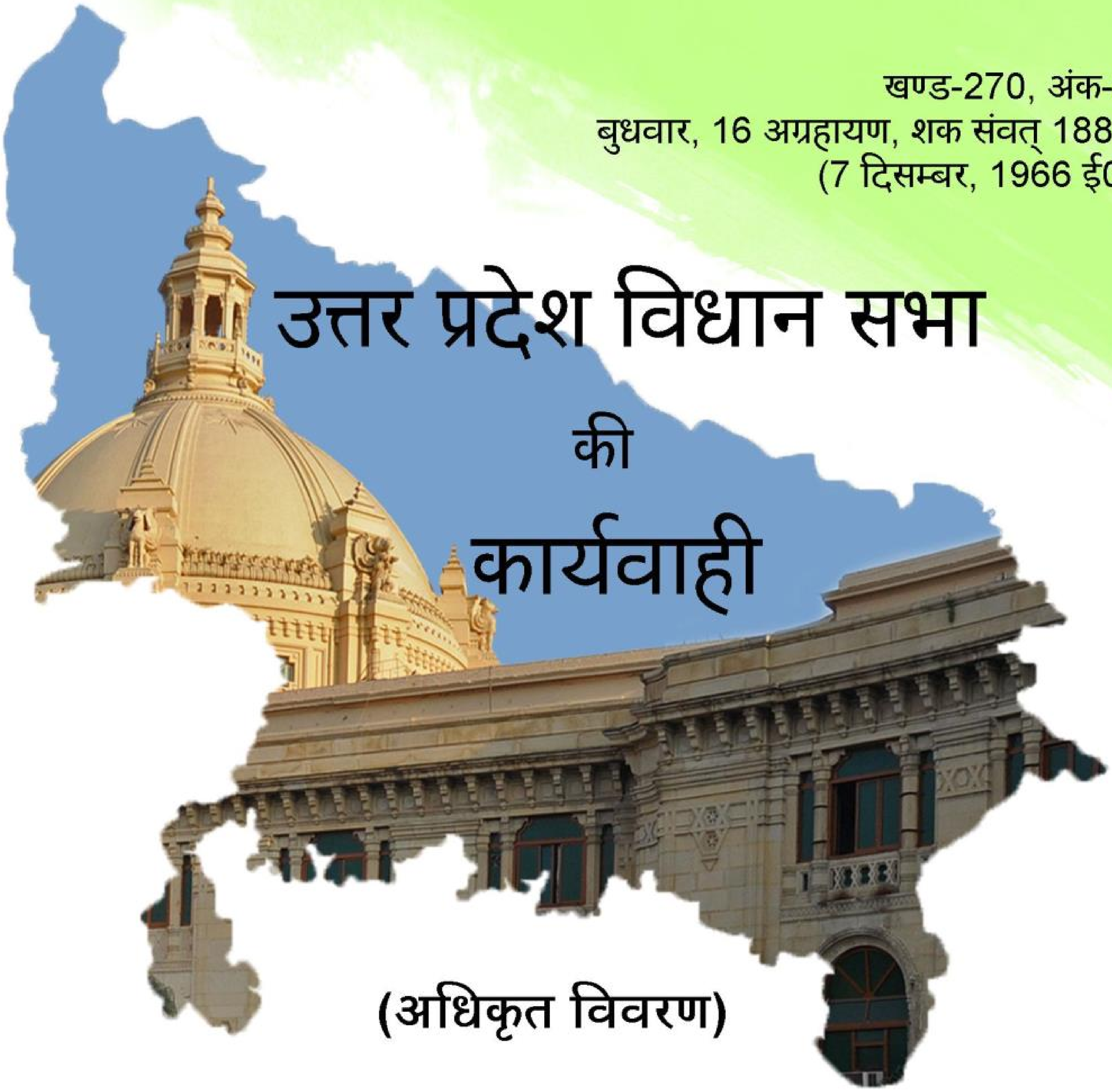

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 270 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ७ दिसम्बर, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३३५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमन, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद,
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छम्मुन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्री मती
कुमार करुणादकृष्ण नायर,श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरबरप्रसाद, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
(उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री

बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री

रामबलीमिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्मावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पाण्डेय, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुख लाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपाल सिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री माल श्री हरगोविन्दसिंह, राजस्व मंत्री, श्री हुकुमसिंह विसेन, गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त, तथा शिक्षा उप मंत्री, डाक्ट राम नारायण पाण्डेय, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ७ दिसम्बर, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ जिले के परिवार नियोजन विभाग में लेडी सोशल वर्कर का वेतन

**१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के आधार पर लखनऊ जिले के फेमिली प्लानिंग विभाग की लेडी सोशल वर्करों को अभी तक नया वेतन-क्रम क्यों नहीं दिया जा रहा है जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में नया वेतनक्रम दिया जा रहा है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

लखनऊ जिले के परिवार नियोजन विभाग में केवल एक लेडी सोशल वर्कर काम कर रही है जो कि शहरी केन्द्र में हैं। उसको वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिया जा रहा है।

**२—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले की लेडी सोशल वर्करों (फेमिली प्लानिंग) को कब तक नये वेतन-क्रम में वेतन मिलने लगेगा तथा उनके एरियर्स का भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रश्न नहीं उठता।

फतेहपुर जिले में गल्ले के लिए तलाशी

**३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि नवम्बर के तीसरे व चौथे हफ्ते में जिला फतेहपुर के असोथर व शाह ग्रामों के कृषकों के घरों की तलाशी लेकर आर० एफ० सी० व सप्लाई अधिकारियों ने उनका धान जप्त किया और चालान कर दिया ? यदि हां, तो ऐसा किस कानून के अन्तर्गत किया गया है ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

दिनांक २० व २१ नवम्बर, १९६६, को गांव असोथर व दिनांक २५ व २६ नवम्बर, १९६६, को गांव शाह, जिला फतेहपुर में जिन व्यक्तियों के घरों की तलाशी क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, कानपुर के एन्टी स्मगलिंग स्क्वायड व जिला पूर्ति अधिकारी, फतेहपुर ने ली और गल्ला पकड़ा वे सभी गांव के गल्ला व्यापारी थे जो बिना लाइसेन्स के गल्ले का व्यापार कर रहे थे। उन सभी व्यक्तियों को अपने को कृषक होने का प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया था परन्तु वे कोई भी ऐसा प्रमाण न दे सकें। इन व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश फूडग्रेन्स डीलर्स लाइसेंसिंग आर्डर १९६४ के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि असोथर और शाह ग्रामों में किन किन व्यक्तियों के घर की तलाशी ली गई और कितना गल्ला निकला ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

			क्वि०	किलो०	ग्राम०
रामधनी और मूलचन्द	..	.. धान	८४	५०	८००
शिवलाल और जगदेव उर्फ जग्गा		.. धान	७०	४५	५००
बद्री प्रसाद दुबे	..	.. धान	३९	२१	०००
बद्री प्रसाद	..	.. चावल	२८	०७	३००
रामविशाल	..	.. चावल	५	१५	०००
		धान	३५	४७	०००
शिवलाल और जगन्नाथ	..	.. धान	७	४३	५००
		चावल	२६	९	०००
राम भवन	..	.. चावल	१६	१२	५००
		धान	२	२४	०००
		गेहूं	१३	००	०००
गिरीश चन्द्र	..	.. धान	२४	००	०००
गंगा प्रसाद	..	.. धान	१२	५०	०००
दशरथ	..	.. धान	२४	००	०००
कालीचरन	..	.. धान	१८	००	०००

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि असोथर के पकड़े गये बद्रीप्रसाद पुत्र शिवदीन, राम विशाल, शिवलाल, बद्री प्रसाद पुत्र बिन्द्राप्रसाद और शाह के दशरथ व गिरीशचन्द्र के बाबत आर० एफ० सी० और सप्लाई अधिकारियों को मौका दिखाने और प्रधान और सरपंच द्वारा तस्दीक किये जाने के बावजूद कि वे कृषक हैं, उनके धान और चावल जब्त करके उनको जेल में बन्द कर दिया ? यदि मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है तो क्या इस वास्तविकता की जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

उन्होंने कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया कि वे कृषक हैं बल्कि यह बतलाया कि वे बगैर लाइसेंस के व्यापार करते थे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करावेंगे कि फसल कटने पर बड़े पूंजीपति और दूकानदार गांवों में जाकर गल्ला खरीदकर वहीं जमा कर देते हैं और वही उन्होंने ग्रेनरीज बना रखी हैं और जब चाहते हैं तब मंगाते हैं और भाव ऊंचा करते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसीलिये तो यह कार्यवाही की जा रही है । मैं सहमत हूं कि इस पर ज्यादा सख्त कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी का ऐसा भी आदेश है कि छोटे गल्ला के दूकानदार किसानों से गल्ला लेकर मंडियों में फुटकर तौर पर भी न बेचें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नियमों में है कि इतने से ऊपर के लिये लाइसेन्स होना जरूरी है ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

वर्तमान समय में किसी को, चाहे वह व्यापारी हो या किसान हो या कोई भी हो, उसे कितना चावल और धान रखने की छूट है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कृषक जितना चाहें रखें, उनके लिये कोई पाबन्दी नहीं है ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या मंत्री जी को पता है कि बनिये और बड़े बड़े काश्तकार देहातों में गल्ला खरीद कर स्टोर किये हुये हैं और ब्लैक मार्केटिंग होता है और सरकार ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की ? इसकी कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

एक बार कृषकों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था मगर उसकी आवश्यकता नहीं समझी; इसलिये हटा लिया गया ।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

जिस समय असोथर में लोगों ने हमला किया और गल्ला बरामद किया उसी समय जिले के कुछ और हिस्सों में भी हमला हुआ और क्या वहां भी गल्ला पकड़ा गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जांच की थी कि लाइसेंसिंग आर्डर के बगैर कोई काम न करे ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री महोदय जी बताने की कृपा करेंगे कि पकड़े हुये लोगों से दोबारा प्रभारपण माल विभाग के द्वारा लेने की कोशिश करेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

वे कौन-सी परिस्थितियां थीं जिनमें आपने सीमा लगाने के बाद उसे उठा दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

किसानों और उपभोक्ताओं पर प्रतिबन्ध लगा था लेकिन सदन में कहा गया कि इससे बड़ी परेशानी है, इसलिये उठा लिया गया ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

जो गल्ला पकड़ा गया वह कहां ले जाया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी उनके इन्तखाब और कृषक होने के प्रमाण देकर और उनके घर का सालाना गल्ले का खर्च देखकर इनके मामलों पर फिर से विचार करेंगे कि उन्हें मुक्त किया जाय गल्ले सहित ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वे अदालत में केस कर सकते हैं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जिला सहकारी बैंक, कानपुर, का निरीक्षण

*१—श्री हमीद खां (जिला कानपुर), श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद), श्री बद्रीप्रसाद (जिला फतेहपुर), श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा), श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी), श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती), श्री रामअवधसिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर सहकारी बैंक में व्यक्तिगत उद्योग चलाने के लिये देहाती क्षेत्र व शहरी क्षेत्र को ऋण देने की कोई आनुपातिक व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

जिला सहकारी बैंक में व्यक्तिगत उद्योग चलाने के लिये देहाती व शहरी क्षेत्र को ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

*२—श्री हमीद खां, श्रीमती रामरती, श्री बद्रीप्रसाद, श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री गिरधारी लाल, श्री सोहनलाल धुसिया, श्री रामअवधसिंह तथा श्री ज्वाला प्रसाद—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर सहकारी बैंक ने गत वर्ष देहाती तथा शहरी क्षेत्रके किन किन व्यक्तियों को व्यक्तिगत उद्योग चलाने के लिये कब और कितना कितना ऋण दिया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रश्न नहीं उठता ।

*३—श्री हमीद खां, श्रीमती रामरती, श्री बद्रीप्रसाद, श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री गिरधारी लाल, श्री सोहनलाल धुसिया, श्री रामअवधसिंह तथा श्री ज्वालाप्रसाद—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, कानपुर, ने सन् १९६६ में जिला सहकारी बैंक, कानपुर का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो अपने निरीक्षण पत्र में बैंक की किन-किन अनियमितताओं की ओर प्रबन्धकों तथा सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ? क्या निरीक्षण पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

*जी हां । सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, कानपुर ने जिला सहकारी बैंक कानपुर का निरीक्षण फरवरी, १९६६ में किया है । निरीक्षण पत्र में दिखाई गई जिन अनियमितताओं की ओर बैंक के प्रबन्धकों एवं संबंधित अधिकारियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है उनकी सूचना संलग्न है ।

निरीक्षण पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना बैंक के हित में नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७७९ पर)

श्री हमीद खां—

क्या मंत्री जी जांच करवायेंगे कि व्यक्तिगत उद्योग के लिये लोन दिया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

सहायक रजिस्ट्रार कोआपरेटिव ने मुआयना किया और उनको आरोप-पत्र भेजा गया है। उसका उत्तर आने पर आगे कार्यवाही होगी।

श्री सोहनलाल धुसिया---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें रेस्पान्सिबिल आफीसर कौन है जिसने ऐसा गलत काम किया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जो भी अनियमिततायें हुई हैं, उनके बारे में जिन्होंने रूल को वायलेट किया है उनके विरुद्ध आरोप-पत्र लगाया गया है, ज्योंही उसका उत्तर आ जायगा, उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री सोहनलाल धुसिया---

श्रीमन्, जो जवाब आ रहा है, गलत है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। सरकार को यह तो मालूम होगा कि किस आफीसर के दस्तखत से रुपया ड्रा हुआ है, फिर गवर्नमेन्ट उसका नाम क्यों नहीं बताती ?

श्री बंशीधर पांडेय---

बैंक के नियमों के अनुसार रेस्पान्सिबिल आफीसर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। बोर्ड आफ डायरेक्टर वह निश्चित करता है। अभी यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि गलती किस अधिकारी ने की है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने निरीक्षण पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर न रखने का कारण यह बताया कि बैंक के हित में नहीं है। लेकिन नियमों के अनुसार केवल जनहित में मंत्री जी ऐसा जवाब दे सकते हैं। इसलिये आप व्यवस्था दें कि क्या, 'बैंक के हित में है', मंत्रीजी ऐसा उत्तर भी दे सकते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, बैंक की एक साख होती है। आमतौर से बैंक के कुछ नियम होते हैं और अगर किसी के खाते के बारे में बैंक से पूछा जाय तो वे नहीं बतायेंगे : कौन कौन हिस्सेदार हैं, कौन कौन नाममात्र के सदस्य हैं, यह सारा ब्योरा बताने से बैंक को नुकसान पहुंच सकता है। अब बैंक कौन सी कार्यवाही गलत करता है, उस पर सरकार ऐक्शन लेगी।

श्री अध्यक्ष---

हमारे नियमों के अनुसार, जनहित में नहीं है, ऐसा कह कर ही किसी उत्तर के लिए मना किया जा सकता है। बैंक के हित में नहीं, ऐसा कहने के बारे में हमारे नियमों में विधान नहीं है जिसके अन्तर्गत किसी भी सूचना को व्यक्त करने से मना किया जा सके। यह बात समझ में नहीं आती।

श्री बंशीधर पांडेय---

कोआपरेटिव बैंक जनता का हित है और उसका अहित जनता का अहित है।

श्री अध्यक्ष---

अब ठीक है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

इस बैंक ने २५ लाख रुपये का गड़बड़ घोटाला किया है। साढ़े सात लाख रुपया पंजाब नेशनल बैंक को देकर उसके बदले में लोन दिया गया। इस प्रकार से २५ लाख रुपया अनआथोराइज्ड बैंकों में जमा हुआ। हजारों रुपये की इन्टरेस्ट का नुकसान हुआ है इस बैंक को ?

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, इसमें रामरतन गुप्ता का तो नाम नहीं है। १५-१६ आदमी और लोग हैं। इस सम्बन्ध में जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद---

निरीक्षण पत्र में लिखी १० आपत्तियों के अतिरिक्त क्या और भी ऐसी आपत्तियां हैं जो गम्भीर हैं जिनको बताना मंत्री जी उचित नहीं समझते ? क्या उन आपत्तियों को देख कर मंत्री जी बैंक की वर्तमान संचालन व्यवस्था को भंग करके कोई दूसरी व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

कौन-कौन सी अनियमिततायें और किसने बरती हैं, इसकी जांच हो रही है। जब रजिस्ट्रार अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और यह मालूम पड़ेगा कि प्रबन्धकों की गलती है तो उनको बदलने पर विचार किया जा सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को ऋण दिया गया है उनमें से किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ शिकायत आई है कि उसने धन का दुरुपयोग किया है और जिस उद्देश्य के लिये धन लिया था उसमें वह व्यय नहीं किया है और क्या मंत्री जी उसका नाम बतायेंगे और उसके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या यह सही है कि पंजाब नेशनल बैंक में गैरकानूनी तौर से रुपया जमा कराया गया ताकि सूद कम हो जाय और उसके बाद १३,१५,००० रुपया गनेश एण्ड कम्पनी को दिया गया जिसका सीधा सम्बन्ध श्री रामरतन गुप्ता से है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

ऐसी कोई सूचना हमें नहीं है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री---

क्या मंत्री जी सदन को इन्क्वायरी कर के बतायेंगे और क्यों आप सत्य से इन्कार कर रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो जांच कर लेंगे।

श्री रामसुन्दर शास्त्री---

जब हाउस में एक चीज कही जाती है तो आपको जांच कराने में उसी पर क्या दिक्कत है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

अभी हमारे पास सूचना नहीं है, मैंने कहा।

श्री रामअवधसिंह—

उनके खिलाफ इन गम्भीर आरोपों को देखते हुये क्या सरकार फौरन रुपया वापस लेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वापस करके क्या होगा ? रजिस्ट्रार ऐक्शन लेंगे और उचित कार्यवाही जो होगी वह की जायगी ।

श्री ज्वालाप्रसाद—

क्या यह सत्य है कि व्यक्तिगत सदस्यों की भरती में लक्ष्मी रतन काटन मिल वाले लोग अधिक संख्या में भरती किये गये हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

इस बैंक की तरफ से राम रतन गुप्ता का जो कनसर्न है उसको २५ लाख रुपया लोन दिया गया, उसकी शिकायत अफसरों ने की, उनको तब्दील किया गया और तमाम अनियमितताओं की शिकायत की गई । (शेमशेम)

श्री अध्यक्ष—

अभी उत्तर तो नहीं हुआ, सवाल पर ही तो शेम शेम नहीं होना चाहिये ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

कानपुर के लोगों ने ऐसी शिकायत लिख कर भेजी थी क्या इस सबकी जांच कराई जायगी ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

माननीय सदस्यों को ब्यौरे के साथ कोई बात देनी हों जिनके बारे में उनको इत्तिला हो वह दे दें हम इन्क्वायरी करा लेंगे ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

कानपुर से यह शिकायत लिख कर आई है कि रामरतन गुप्त की कनसर्न में २५ लाख रुपया अनियमित ढंग से दिया गया, कुछ लोगों ने शिकायत की, उनका तबादला कराया गया, इसकी जांच वह करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं है कि आप कहें कि लिख कर दीजिये, अगर सूचना नहीं है तो लिख कर देने की बात न कह कर आप कहिये कि नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी का ध्यान इन्सपेक्शन नोट के इस पैरा की तरफ गया है जिसमें लिखा है कि—

"There has been indiscriminate loaning in the past years & large scale embezzlement in the past years and when loaning was on the top during the peak period....." ?

श्री अध्यक्ष---

वह पूछ रहे हैं कि क्या निरीक्षण पत्र में यह लिखा है कि बहुत से ऋण अनियमित रूप से दिये गये और गबन हुये हैं।

श्री बंशीधर पांडेय---

निरीक्षण रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है। अगर हुक्म हो तो मैं पढ़ दूं वर्ना यही दस बातें जो मुख्य हैं वह जांच पत्र में हैं।

श्री झारखण्डेराय---

मैं मंत्री जी से एक बात का साफ उत्तर चाहता हूं कि इस पूरे सवाल में आपने महसूस किया है और आपने देखा कि या तो सरकार की तरफ से उत्तर तैयार नहीं है या जानबूझकर इवेसिव उत्तर दिया जा रहा है, लेकिन इसकी गम्भीरता को देखते हुये और बैंक की पूरी गड़बड़ी और निरीक्षण पत्र के आरोपों को देखते हुये क्या इस पूरे मसले की जांच किसी हाई कोर्ट के जज द्वारा कराई जायगी ?

श्री बंशीधर पांडेय---

इसके लिये सहायक रजिस्ट्रार को भेजा गया है और जरूरत होगी तो रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज इसको करेंगे।

श्री सोहनलाल धुसिया---

संलग्न सूचना में लिखा है कि बैंक के सरप्लस धन को हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक में रखना चाहिये चूंकि वह अप्रूव्ड बैंक नहीं है, तो इस गलत काम के लिये इनिशियेटिव लेने वाले कौन थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री बंशीधर पांडेय---

कोई खाता रखा जाता है तो मैनेजिंग बोर्ड तय करता है कि कौन आपरेट करेगा। यही होता होगा।

श्री सोहनलाल धुसिया---

सरकार की तरफ से उत्तर आ रहा है कि "होगा"। हम उनका निश्चित उत्तर चाहते हैं, "होगा" हम नहीं चाहते।

श्री बंशीधर पांडेय---

उसके लिये सूचना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि बैंक्स के ऋण की रिकवरी के लिये डायरेक्टर्स को दौरा करने के लिये धन दिया गया और सफर खर्च के वाउचर्स पर पैसा दिया गया लेकिन क्या यह भी सही है कि फर्जी वाउचर्स बनाकर पैसा डायरेक्टर्स ने लिया और कोई दौरा नहीं किया ?

श्री बंशीधर पांडेय---

इसकी सूचना हमारे पास नहीं है, जितना पूछा गया था वह बता दिया।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

जैसा कि इस सदन का ट्रैन्ड है, इसकी भावना है, उनको समझते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस रिपोर्ट के अनुसार, जो आडिट रिपोर्ट है, या निरीक्षण रिपोर्ट है, इसको ध्यान में रखते हुए और इसकी गम्भीरता को स्वयं स्वीकार करते हुए, वहां के संचालन मंडल को भंग करेंगे और अपने हाथ में प्रशासन लेंगे जिससे जो आप जांच कर रहे हैं, उसको वे प्रभावित न कर सकें ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उसी के अनुसार रजिस्ट्रार महोदय को यह आदेश दे दिए गए हैं। उनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद यदि यह रिकमंडेशन हुई कि संचालक मंडल को भंग किया जाय तो उससे चार्ज लेने की बात भी सरकार सोच सकती है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

नर्सिंग असिस्टेंट्स का वेतन

*१—श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नर्सिंग असिस्टेन्ट्स, नर्सिंग आर्डर्लीज, वेक्सीनेटर और मेडिकल अटेन्डेन्ट्स की क्या-क्या योग्यतायें निर्धारित की गई हैं तथा इनको क्या-क्या ट्रेनिंग दी गई है और इनकी क्या-क्या ड्यूटीज हैं, इनको क्या वेतन-क्रम तथा सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख', आगे पृष्ठ ७८०-७८२ पर)

*२—श्री गोपीनाथ दीक्षित—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि नर्सिंग असिस्टेन्ट्स का मेडिकल अटेन्डेन्ट्स और वैक्सीनेटरों के मुकाबले नया वेतन-क्रम कम क्यों रक्खा गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

नर्सिंग असिस्टेन्ट्स का वेतनक्रम उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

*३—श्री गोपीनाथ दीक्षित—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि नर्सिंग असिस्टेन्ट्स का वेतन-क्रम विभाग ने वेतन अभिनवीकरण समिति को क्या रेकमेन्ड किया था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

विभाग ने नर्सिंग असिस्टेन्ट्स का कोई भी वेतन वेतन अभिनवीकरण समिति को रिकमेन्ड नहीं किया।

जोगिया तथा खेसार ब्लाक में अधिकारियों का भत्ता

*४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक जोगिया व खेसरहा, जिला बस्ती में १९६४ व १९६५ में उनके प्रमुख और उनके विकास खंड अधिकारियों ने कितना भत्ता लिया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वर्ष १९६४ व १९६५ में जोगिया व खेसरहा ब्लाक के प्रमुख व खंड विकास अधिकारियों द्वारा लिये गये भत्तों का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग', आगे पृष्ठ ७८३ पर।)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैं केवल इसके संबंध में सूचना जानना चाहता हूं। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा, दे दीजिए । वे आपके पास भेज देंगे ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

कृपया आप मेरे सवाल का जवाब ही पढ़ दें क्योंकि जो मुझे उत्तर की प्रति मिली है, वह स्पष्ट नहीं है ।

श्री बशीधर पांडेय---

श्रीमन्, अभी पढ़ तो दिया है ।

श्री अध्यक्ष---

फिर से पढ़ दीजिये ।

श्री बंशीधर पांडेय---

वर्ष १९६४ व १९६५ में जोगिया व खेसरहा ब्लाक के प्रमुख व खंड विकास अधिकारियों द्वारा लिये गये भत्तों का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

विवरण तो पढ़ दें ?

श्री अध्यक्ष---

आपको साफ करके विवरण दे दिया जाय ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, उसको पढ़वा दीजिये, हम तो सप्लीमेंट्री प्रश्न करने के लिये खड़े हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष---

आप पूछ लीजियेगा । विवरण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय विकास मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २ वर्षों में कितना भत्ता दिया गया और क्या मन्त्री जी उस तालिका को पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने कह दिया है कि तालिका को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, मैं केवल टोटल रुपया जानना चाहता हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय---

१९६४ में जोगिया विकास क्षेत्र में प्रमुख का भत्ता १,८९३.५७, और १९६५ में १,८००.९३ क्षेत्र विकास अधिकारी का १९६४ में १,०६६.५० रुपए और क्षेत्र विकास अधिकारी का १९६४ में १,०६६.५० रुपए और १९६५ में १,११६.९६ रुपए था। खेसरा ब्लाक में प्रमुख का भत्ता १९६४ में १,०७३.४१ और १९६५ में ९३१.६७ रुपए था। क्षेत्र विकास अधिकारी का १९६४ में ८७६.४० पए और १९६५ में १,४७४.४९ रुपए था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मैं जानना चाहता हूं कि जोगिया ब्लाक में १९६४ व १९६५ का भत्ता कितने दिनों का है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसका पूरा विवरण मेरे पास नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या ब्लाक प्रमुख १०० से अधिक रुपया भत्ते के रूप में नहीं ले सकता है या इससे कोई भिन्न-नियम है?

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ब्लाक प्रमुख इतनी रकम से अधिक भत्ता नहीं ले सकता है। ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने घर का काम नहीं किया है बल्कि ब्लाक का ही काम किया है।

मेरठ क्षेत्र में स्वास्थ्य निरीक्षकों का भत्ता

*५—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहायक निदेशक, जन-स्वास्थ्य, प्रथम शाखा, मेरठ, के अन्तर्गत विकास क्षेत्रों के स्वास्थ्य निरीक्षकों के एक साल से अधिक पुराने कितने ऐसे भुगतान सरकार के पास रुके हुए हैं जो कि उनके ट्रांसफर एलाउन्स, टी० ए०-ट्रेनिंग, टी० ए०-मीटिंग, टी० ए० तथा आंशिक वेतन से सम्बन्धित हैं?

श्री बाऊदयाल खन्ना—

जी हां। सहायक निदेशक, प्रथम शाखा, मेरठ, के अन्तर्गत जिन जिलों के विकास क्षेत्रों के स्वास्थ्य निरीक्षकों के एक साल से अधिक पुराने भुगतान सरकार के पास रुके हुए हैं, उनका ब्योरा संलग्न तालिका में दे दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७८४ पर)

वाराणसी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी

*६—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी में फायलेरिया, परिवार नियोजन तथा मलेरिया कार्यालयों में कितने अधिकारी और कर्मचारी ऐसे नियुक्त हैं जो ३ वर्ष से अधिक रह चुके हैं और उपरोक्त व्यक्तियों में अधिकारियों की संख्या ऐसी है जिनकी नियुक्ति इसी जिले में दुबारा कर दी गई है?

श्री राममूर्ति—

वाराणसी में फायलेरिया, परिवार नियोजन तथा मलेरिया कार्यालयों में केवल १ अधिकारी तथा १२ कर्मचारी ऐसे हैं जो ३ वर्ष से अधिक की अवधि से वहां पर कार्य कर रहे हैं। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जिसकी दुबारा वाराणसी में नियुक्ति की गई हो।

मौगरा झील का विकास

*७—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या विकास मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक की पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास खण्ड, सिराथू, जिला इलाहाबाद, की झील मौगरा, जो कि फतेहपुर जिले में भी फैली है, के विकास में कितना धन व्यय हुआ?

श्री राममूर्ति—

जिला नियोजन विभाग, फतेहपुर और इलाहाबाद द्वारा अब तक की पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास खण्ड, सिराथू, जिला इलाहाबाद, के अधीन झील मौगरा, जो कि फतेहपुर जिले में भी फैली है, के विकास में कोई धन व्यय नहीं हुआ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या मन्त्री महोदय इस बात के लिए आदेश देंगे कि वह झील सिंचाई के काम के लिए तैयार करायी जा सके ?

श्री राममूर्ति—

असल में यह सवाल सिंचाई विभाग से होना चाहिए था। हमने उन्हीं से जवाब मंगाया, पूरा जवाब उन्होंने नहीं भेजा। खाली लिख दिया कि नालियों के लिए कुछ रुपए की जरूरत थी जो नालियां बनायी गई हैं सिंचाई के लिए। डिटेल हमारे पास नहीं आयी।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इलाहाबाद जिले में सिंचाई की व्यवस्था बहुत कम है और सिराथू तहसील में केवल १४ दशमलव सिंचाई व्यवस्था है इसलिए इस झील को गहरा करने की योजना बना कर के सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। तो क्या वर्तमान सूखे की स्थिति को देखते हुए कोई योजना इस झील के लिए बनायेंगे जिससे इस झील से सिंचाई हो सके ?

श्री राममूर्ति—

मैंने अर्ज किया, सिंचाई विभाग ने कुछ रुपया खर्च किया। पूरी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। मालूम पड़ता है कि उस महकमे के जरिए कुछ काम हो रहा है। अच्छा है, लोकल मामला है, वहीं पर अगर माननीय सदस्य कह दें तो आसानी से काम हो जायगा।

श्री नाथूराम शिक्षक—

जो २,६०० रु० लगाया है उसका पानी निकाल दिया जाता है और उस के अन्दर खेती की जाती है, जब कि वहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है। तो हम लोगों की मांग यह है कि उसको गहरा कर के सिंचाई के योग्य बनाया जाय।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

बुलन्दशहर में सहकारिता दिवस

*८—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर में ११ जून, १९६६, को जो कोआपरेटिव दिवस मनाया गया है उसमें भाग लेने के लिए कौन-कौन उच्चाधिकारी लखनऊ से गए और उनके ऊपर कितना डी० ए०, टी० ए० खर्च हुआ ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

दो उच्च अधिकारी, निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, व एजूकेशन-कम-पब्लीसिटी आफीसर, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से बुलन्दशहर के सहकारी दिवस दिनांक ११-६-६६ में भाग लेने के लिये गए। उनके ऊपर कुल १२.५० रु० डी० ए० तथा २१५.२५ ० टी० ए० खर्च हुआ।

*९—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि जो हजारों की थैली मंत्री महोदय को भेंट की गई वह रुपया जिले के सहकारिता और चकबन्दी के कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा कराया गया ?

श्री बनारसीदास—

मंत्री महोदय को कोई थैली नहीं भेंट की गई। अतः प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता है।

*१०-१२---श्री ज्वाला प्रसाद---

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये ।]

*१३-१४---श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

[६ठें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या २२-२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

पहला ब्लाक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*१५---श्री शिवेंन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)---

क्या विकास मंत्री को कोई पत्र ब्लाक प्रमुख, पहला, जिला सीतापुर, का वहां के क्षेत्र विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध दिनांक ३० मार्च, १९६६, को मिला ?

श्री बंशीधर पांडेय---

ब्लाक प्रमुख, पहला का वहां के क्षेत्र विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी पंचायत के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिनांक २९-३-६६ पंचायत एवं विकास मंत्री जी को मिला ।

*१६---श्री शिवेन्द्र प्रताप---

यदि हां, तो क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुख की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय---

ब्लाक प्रमुख की मुख्य शिकायत केवल सहायक विकास अधिकारी, पंचायत तथा क्षेत्र विकास अधिकारी, पहला आदि के द्वारा जनता के प्रति दुर्व्यवहार तथा धन संबंधी गड़बड़ियां व गोलमाल करने तथा भ्रष्टाचार से संबंधित थीं । शिकायतों की प्रारम्भिक जांच जिला कृषि अधिकारी द्वारा कराई गई । प्रमुख द्वारा लगाये गये आरोप किसी सीमा तक तथ्ययुक्त प्रतीत होने के कारण इस संबध में क्षेत्र विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों के प्रति कार्यवाही की जा रही है ।

श्री शिवेन्द्रप्रताप---

श्रीमन्, सात महीने हो गए, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कार्यवाही कितने दिन के अन्दर हो जायेगी तथा वह कार्यवाही क्या होगी ?

श्री राममूर्ति---

कार्यवाही यह हो रही है कि पंचायत इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया । अब चूंकि थोड़ी बहुत चीज समझ में ठीक आयी इसलिए डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर को यह आदेश दे दिया गया है कि इसकी बाकायदा डिटेल्ड इन्क्वायरी करें ।

श्री शिवेन्द्रप्रताप---

श्रीमन्, स्थिति यह है कि ब्लाक प्रमुख और विकास अधिकारी का आपस में झंझट चल रहा है इसलिए वहां पर प्लानिंग का काम बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर शीघ्र कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---

हर कार्यवाही शीघ्र ही करने का हुक्म होता है लेकिन यह जांच पड़ताल ऐसी चीज है कि इसमें गवाहियां होती हैं, लोग नहीं आते हैं । और भी बहुत सी बातें हैं । इसलिए देरी हो ती है ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

जब वहां के कृषि अधिकारी ने जांच कर ली और जो आरोप लगाये गये थे वह सही निकले किसी अंश में, तो अब जो आपने डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर से जांच कराने का आदेश दिया है, वह किस बात की जांच करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

मैंने यह अर्ज किया कि जो थोड़ी बहुत चीज समझ में ठीक आयी तो उसके ऊपर हुक्म दिया गया कि उसके ऊपर डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर कार्यवाही करें ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री--

डिटेल्ड इन्क्वायरी के लिए जो लिखा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि तब तक विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी, दोनों को मुअत्तल क्यों नहीं किया जाता ताकि जांच में आसानी हो ?

श्री राममूर्ति--

मुअत्तल करने का केस होता तो अब तक मुअत्तल हो गये होते ।

संकिसा ग्राम में नलकूप की तकावी

*१७--श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले के ग्राम संकिसा के रघुनाथ प्रसाद, रामनिवास, राम स्वरूप को सन् १९६५ तथा १९६६ में नलकूप आदि के लिए हैसियत न होने पर भी नियम के विरुद्ध जाली प्रमाण-पत्रों पर तकावी का हजारों रुपया दिया गया ? यदि हां, तो यह अनुचित कार्य क्यों किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी नहीं, जिला फर्रुखाबाद के उक्त ग्राम के तीनों व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष १९६५-६६ में क्रमशः १,००० रु०, १,४०० रु० तथा १,४०० रु० केवल नलकूप के लिए तकावी के रूप में दिया गया । परन्तु इन व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत-प्राप्त होने पर उचित जांच की जा रही है ।

*१८--श्री दयाराम शाक्य--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त तकावी के विरुद्ध स्थानीय व्यक्तियों ने जिलाधीश को जून, १९६६ में शिकायत की ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी हां । आवश्यक जांच की जा रही है । जांच के फल पर विचार के पश्चात् भी जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

श्री दयाराम शाक्य--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस महीने मेंऔर किसको यह जांच का काम दिया गया और क्या यह पता है कि रिपोर्ट दाखिल कर दी गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

८ जून, १९६४, को यह शिकायती-पत्र आया था और तुरन्त ही उसको जांच के लिए भेज दिया गया । एस० डी० ओ० सदर ने इसकी जांच आरंभ कर दी है । उसमें दो की

मालियत ठीक है और एक की खराब है। उस पर भी पूछा गया है कि किस अधिकारी ने दस्तखत किया था, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया है कि हमने नहीं किए हैं। अब उन्होंने दस्तखत किए हैं या नहीं, इसके लिए विशेषज्ञ को आदेश हुए हैं कि देखें।

श्री दयाराम शाक्य--

जो हैसियत प्रमाण-पत्र में दी गयी है इन तीनों के लिए उसे लेखपाल ने इन्कार कर दिया है कि मेरे हाथ का नहीं है। जब यह जानकारी हुई तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति--

श्री रघुनाथप्रसाद ने कहा कि यह ठीक नहीं है, तो एक हजार की किस्त दी गई थी और ८३ रुपया ब्याज का था, उसको वापस ले लिया गया है। बाकी के बारे में भी यदि चीज मुकम्मिल नहीं हुई और यही चीज सिद्ध हो गई तो रुपया वापस कर दिया जायेगा।

श्री दयाराम शाक्य--

श्रीमन्, तीनों के बारे में लेखपाल ने इन्कार कर दिया है कि मेरे दिए हुए प्रमाण-पत्र नहीं है; जब इस प्रकार का उत्तर आ चुका है तो उसके विषय में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति--

हमारे पास केवल रघुनाथ प्रसाद के बारे में इत्तला आई है।

कोआपरेटिव इन्स्पेक्टरों का स्थानान्तरण

*१९--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार ऐसे कोआपरेटिव इन्सपेक्टरों को अविलम्ब स्थानान्तरित करने का आदेश देगी जो अपने होम टाउन में या किसी स्थान विशेष में पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास--

विभागीय अनुदेशानुसार एक निरीक्षक के एक जिले में कार्य करते रहने की सामान्य अवधि ६ वर्ष है। सहकारी समिति निबन्धक को आदेश दिए जा रहे हैं कि वे ऐसे निरीक्षकों को जो इस अवधि के पूरा होने पर भी वहीं कार्य कर रहे हैं अथवा अपने होम टाउन में ही कार्य कर रहे हैं, किसी अन्य जिले में तुरन्त स्थानान्तरित कर दें।

परिवार नियोजन विभाग, जिला लखनऊ, के कर्मचारियों का वेतन

*२०--श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वेतन अभिनवीकरण समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के आधार पर लखनऊ जिला फेमिली प्लानिंग के लेडी सोशल वर्कर्स तथा अन्य कर्मचारियों को अभी तक वेतन इत्यादि न दिए जाने का क्या कारण हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

लखनऊ जिले में स्टेट फेमिली प्लानिंग ब्यूरो, शहरी परिवार नियोजन केंद्र तथा परिवार नियोजन प्रशिक्षण केंद्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के आधार पर वेतन दिया जा रहा है जो कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट फेमिली प्लानिंग ब्यूरो तथा उसके अन्तर्गत ग्रामीण केंद्रों में कार्य करते हैं उनमें से केवल २७ को नया वेतन-क्रम इस कारण नहीं दिया जा सका है क्योंकि इनकी सेवा पत्रिकायें कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो सकी हैं।

*२१—श्री बलवानसिंह (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कब तक उक्त कर्मचारियों को बकाए धन का भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सेवा पत्रिकायें प्राप्त होने पर दो सप्ताह के अन्दर भुगतान कर दिया जायगा।

सिकन्दरपुर में पुलियों का निर्माण

*२२—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को पता है कि बलिया जिले के सिकन्दरपुर नगर सड़क में कितनी पुलियां हैं और इन पुलियों को बनाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कब-कब काम शुरू किया और यह काम कब पूरा हुआ ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, ४२ पुलियां हैं जिन पर काम शुरू होने एवं समाप्त होने की विधियों का उल्लेख संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७८५ पर)

*२३—श्री कल्पनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को पता है कि उक्त पुलियों को बनाने में सभी ठेकेदारों को मिलाकर कुल कितना रुपया खर्च हुआ और इन ठेकेदारों को अन्तिम पेमेन्ट कब-कब हुआ ?

श्री राममूर्ति—

चूंकि अभी तक सारे व्यक्तियों को अन्तिम पेमेन्ट नहीं हुआ है अतः कुल खर्चे का विवरण देना संभव नहीं है । केवल तीन व्यक्तियों को ही अभी तक क्रमशः ५—३—६६, ५—७—६६ एवं ८—११—६६ को अन्तिम पेमेन्ट हुआ ।

*२४—श्री कल्पनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को पता है कि मार्च, १९६५, में कुछ बिल खर्च में दिखाकर डिपाजिट में डाल दिए गए हैं ? यदि हां, तो कितने रुपये के और अब तक उसकी क्या पोजीशन है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, २,०५६.४५ रु० के तीन बिल फिक्स डिपाजिट में डाल दिए गए थे तथा अब भी स्थिति वही है ।

मलेरिया यूनिट, बांदा, के कर्मचारियों का वेतन

*२५—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि यह सत्य है कि मलेरिया यूनिट, बांदा, के कर्मचारियों को जून सन् १९६६ की तनख्वाह २७ जुलाई, १९६६, तक भी नहीं मिली और क्या यह भी सत्य है कि गरीब कर्मचारियों को दो बार चरखारी भी तनख्वाह के लिए जाना पड़ा ? उसके पश्चात् भी तनख्वाह उपरोक्त तिथि तक नहीं दी गई ? यदि हां, तो तनख्वाह न दिए जाने के क्या कारण हैं और उसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी पर है ?

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

जी नहीं । यह सत्य नहीं है कि मलेरिया यूनिट, बांदा के सब कर्मचारियों का जून, १९६६ का वेतन २७—७—६६ तक नहीं मिला । नियमित कर्मचारियों का वेतन १—७—६६ को तथा सर्वेलेंस और छिड़काव करने वाले कर्मचारियों को २८—७—६६ को बांटा गया । यह

सत्य है कि सब-यूनिट, चरखारी के सर्वेलेंस और छिड़काव कर्मचारियों का वेतन २७-७-६६ तक न दिया जा सका और इसके लिए कर्मचारियों को दो बार चरखारी भी जाना पड़ा। इसका कारण यह है कि दिनांक १२-७-६६ को बांदा में अचानक गोली काण्ड की घटना हो जाने के कारण चरखारी के कर्मचारियों के वेतन बांटने की तिथि २१-७-६६ निश्चित की गई थी किन्तु उस दिवस की स्थिति तनावपूर्ण होने के कारण वेतन बांटने की तिथि २६-७-६६ नियत की गई। स्थिति में परिवर्तन न होने के कारण तनख्वाह बांटने का स्थान बदलना पड़ा और २८-७-६६ को चरखारी के बजाय बांदा में वेतन दिया गया। इस प्रकार वेतन देर से बंटने की जिम्मेदारी किसी अधिकारी पर नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा--

श्रीमन्, मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष--

तो आज न लिया जाय ? श्री रामगोपाल ने दस्तखत करके लिया है।

श्री लखपतराम शर्मा--

श्रीमन्, उत्तर पढ़वा दिया जाय।

(प्रश्न का उत्तर पुनः पढ़ा गया।)

श्री लखपतराम शर्मा--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि गरीब कर्मचारियों को इत्तला दी गई कि वे अपना वेतन आकर ले लें ? लेकिन उनके वहां जाने के बाद भी उनको वेतन नहीं मिला, इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह सत्य है कि उनको बुलाया गया था कि वेतन दिया जायगा और यह उम्मीद नहीं की जाती थी कि इस तरह से स्थिति खराब रहेगी। दो बार उनको जाना पड़ा।

श्री लखपतराम शर्मा--

चरखारी से बांदा बहुत दूर है और सरकारी कर्मचारियों को आने जाने में काफी पैसा खर्च करना पड़ा है। क्या आने जाने का खर्चा दिया जायेगा और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थिति में नहीं दिया गया।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, इस पर विचार कर लेंगे।

सुल्तानपुर जिले में परिवार नियोजन विभाग के कर्मचारियों एवं प्रसार शिक्षकों का वेतन

*२६--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर के परिवार नियोजन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन अभिनवीकरण समिति के आधार पर नवीन वेतन का एरियर अभी तक नहीं मिला ? यदि नहीं, तो क्यों और उसके कब तक मिल जाने की संभावना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२७--श्री रामकिंकर (अनुपस्थित)--

क्या यह सही है कि जिला फैजाबाद के परिवार नियोजन विभाग के प्रसार शिक्षकों को इस वर्ष १९६६ में किसी-किसी मास में १०० रुपये तक मासिक भत्ता दिया गया जबकि सुल्तानपुर में काम करने वाले प्रसार शिक्षकों को कुछ भी यात्रिक भत्ता नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

[७ दिसम्बर, १९६६, के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

[६ठे शुक्रवार के लिए प्र० सं० ३३-३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किए गए ।]

फतेहपुर में शराब की दूकान

*३--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोहल्ला तकिया पर शहर फतेहपुर के लिए सन् १९६६-६७ के वर्ष में मंजूर शराब के ठेके की दूकान मद्य विरोधी जनता के बीच मोहल्ला पनी, शहर फतेहपुर, में किसके आदेश से कायम की गई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

शहर फतेहपुर में तकिया कोई मुहल्ला नहीं है बल्कि तकिया, मोहल्ला पनी में एक स्थान है । मोहल्ला पनी में शराब की दूकान अर्से से चली आ रही है और इधर चार वर्षों से यह दूकान उसी जगह पर स्थित है ।

*४--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या सरकार को पता है कि शराब की दूकान पर शराबी व गुण्डों का जमघट होता है और लड़ाई व अश्लील वातावरण रहता है तथा इसी वजह से खुले स्थान मोहल्ला तकिया पर दूकान खोलने का लाइसेंस मंजूर हुआ था ? यदि हां, तो क्या मोहल्ला पनी से उक्त दूकान हटवा कर मोहल्ला तकिया पर कायम कराई जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी नहीं । अश्लील वातावरण के बारे में आज तक कोई शिकायत स्थानीय आबिकारी एवं पुलिस विभाग में नहीं प्राप्त हुई । अस्तु दूकान को वर्तमान स्थान से हटाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तकिया मुहल्ला नहीं है और तकिया स्थान पनी मुहल्ले में नहीं है, वह जुसियाना मुहल्ले में है ? यह दुकान तकिया नाम से मन्जूर है और गतवर्ष तकिया में थी तो मंत्री जी किस आधार पर कहते हैं कि यह दूकान ४ साल से पनी मुहल्ले में है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह दूकान अभी भी वहीं पर है जहां शराबबन्दी के पहले थी । केवल नाम बदलने की बात है, तो नाम बदल दिया गया है ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

दूकान तकिया में नहीं है तो तकिया स्थान में दूकान रखने में माननीय मंत्री जी को क्या परेशानी है ? क्या वहां पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जैसी वह पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है। दूसरी जगह उनको ले जाने में कठिनाई होगी।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि तकिया में स्थान मौजूद है तो उसको उस स्थान पर न रखकर दूसरे स्थान पर ले जाने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

वह कहते हैं कि वैसे ही वह चल रही है जैसे पहले थी।

श्री ऊदल--

पहलें यह दुकान तकिया जो स्थान है उसके नाम से मशहूर थी, वहां पर पिछले वर्ष तक चलती रही। पनी स्थान पर २, ३ फर्लांग की दूरी पर इसको ले जाया गया। तो जहां पर पहले थी और जिस नाम से थी वहीं क्यों नहीं इस दुकान को रखा जाता ? इसमें गैर कानूनी तरीका अपनाया गया। तो इसको दूसरे स्थान से हटाकर उसी पुराने स्थान पर रखने की सरकार कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह स्थान नहीं बदला है। खाली इसका नाम गलत है। अगर माननीय सदस्यों का आग्रह है तो इसका नाम बदल दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

यह दूकान का मसला उतना नहीं है जितना शराब बन्दी का है। यह शराब बन्दी का प्रश्न हमारे पूरे प्रदेश की जनता की भावना से संबंध रखता है। अक्सर देखने में आया है कि ये शराब की दूकान शहर में मुहल्लों में रहती हैं जहां पर गुंडागर्दी होती है। तो इन तमाम हालात को देखते हुए वैसे तो राष्ट्रीय भावना के अनुसार शराब बन्दी होनी चाहिए लेकिन ऐसा न हो, तो इन दूकानों को शहर से दूर रखने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

अब आप अपने अगल-बगल तो देख लीजिये कि वह क्या कहते हैं।

श्री रक्षपालसिंह--

क्या मंत्री जी को पता है कि यह दूकान जिस स्थान पर बदली गई है वहां पर एक मंदिर ५० गज की दूरी पर स्थित है और मुख्य मार्ग पर यह दूकान है जिस पर अभद्र दृश्य उपस्थित होता है ? तो क्या माननीय मंत्री जी इसको किसी अन्य स्थान पर ले जाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मेरी सूचना तो यह है कि १९६२ से वह वहीं है। नशाबन्दी योजना के अनुसार यह दूकान भी बन्द हुई वहां पर फिर लाई गई जहां पर पहले थी। इसलिये दूकान का कोई नया स्थान नहीं बदला।

विकास खण्डों की जीपें

*५—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खडों में जीप गाड़ियों के दुरुपयोग तथा जीप गाड़ियों के रख-रखाव और मरम्मत पर अधिक धनराशि व्यय होते हुये देख कर क्या सरकार जीप गाड़ियों को विकास खंडों से धीरे-धीरे हटाकर विकास खंड अधिकारियों के दौरे के लिये बैल तांगों की व्यवस्था करने पर ध्यान देगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

विकास खंडों में जीप गाड़ियों के दुरुपयोग तथा जीप गाड़ियों के रख रखाव और मरम्मत पर अधिक धनराशि व्यय होने के आधार पर जीप गाड़ियों को विकास खंडों से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः विकास खड अधिकारियों के दौरे पर जाने के लिये बैल तांगा की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि जीप गाड़ियों का दुरुपयोग हो रहा है और उनके रख रखाव और मरम्मत पर अधिक व्यय होता है ?

श्री राममूर्ति—

यह बात जनरलाइज कैसे की जा सकती है ? कहीं पर दुरुपयोग होता है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं , लेकिन यह कैसे कह दें कि सब जगह खराब काम होता है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

उन पर व्यय कम होता है या ज्यादा होता है ?

श्री अध्यक्ष—

कहीं-कहीं ज्यादा होता है, वह मानते हैं ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

जीप के बजाय बैल तांगों के रखने में क्या कठिनाई है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

*६—श्री नाथूराम शिक्षक—

[५-१२-६६ को प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*७—श्री नाथराम शिक्षक—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

जिला सहकारी बैंक, झांसी, में मनोनीत संचालक, श्री हीरालाल नापित

*८—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कोआपरेटिव बैंक झांसी में सन् १९६५ में सरकार द्वारा कुछ व्यक्तियों को नामजद किया गया है ? यदि हां, तो जिन व्यक्तियों को नामजद किया गया है उनकी नामजदगी के आधार क्या थे और उनके पद क्या-क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि मऊरानीपुर के एक व्यक्ति को नामजद किया गया है ? उसका मऊरानीपुर जिला झांसी की ६ सोसाइटियों में हिस्सा व भाग है जिस पर सरकारी कर्जा लगभग ८ लाख है, तो मऊरानीपुर के उस व्यक्ति का नाम तथा पेशा क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जिला सहकारी बैंक, झांसी में निम्न तीन व्यक्ति सरकार द्वारा वर्ष १९६५ में संचालक पद पर मनोनीत किये गये---

(१) सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, झांसी ।

(२) श्रीमती सूरजमुखी शर्मा, लक्ष्मणगंज, झांसी ।

(३) श्री हीरालाल नापित, मोहल्ला एलिया, मऊरानीपुर, झांसी ।

सरकार को नामजदगी करने का विवेकाधिकार (discretioner reporter) है और उसी अधिकार के अन्तर्गत उक्त नामजदगी की गई है। श्री हीरालाल नापित केवल सहकारी समिति, पुरानी बैलाई, मऊरानीपुर के सदस्य व सरपंच है। इस समिति में श्री नापित का ३९९ रु० ५० पैसा अमानत तथा २५० रु० हिस्सा के रूप में जमा है। उन्होंने वर्ष १९६५ में विकासखंड, मऊरानीपुर से ५,००० रु० बंधी तकावी ली थी जिसकी एक किश्त अदा कर चुके है।

श्री नापित का पेशा खेती व व्यापार है।

*९---श्री लखपतराम शर्मा---

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी कोआपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर द्वारा सन् १९६४-६५ में स्वयं की लिखी हुई किताबों को ही झांसी जिले की कोआपरेटिव सोसाइटियों में करीब ८० हजार रुपये में बिकवाकर कोआपरेटिव बैंक से रुपया कैश कर लिया गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार की अनुचित गैरकानूनी कार्यवाही के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी व कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जिला सहकारी बैंक, झांसी के मैनेजिंग डाइरेक्टर द्वारा लिखी गई दो किताबों "अमर बैल" तथा 'उदय किरन" की सात-सात हजार प्रतियां (कुल १४,०००) प्रतियां बैंक ने अपने कोष से ४५,९३७ रु० ५० पैसे में जिलों की सहकारी समितियों को बेचने के लिये दिनांक २५ मार्च, १९६३, को प्रकाशन से खरीदी थीं।

चूंकि सहकारी समितियों ने उक्त पुस्तकों के खरीदने के लिये जिला सहकारी बैंक, झांसी से कोई मांग नहीं की थी और न ही पुस्तकों का खरीदना और उन्हें समितियों को बेचना बैंक का उद्देश्य है, अतः बैंक द्वारा पुस्तकों का खरीदना उचित था और इसलिये उक्त तथ्य विभाग की जानकारी में आने पर दिनांक ८ जनवरी, १९६४ को सुझाव दिया गया कि पुस्तकों का वितरण समितियों से प्रस्ताव प्राप्त कर किया जाये, लेकिन जब बैंक ने दिनांक ३ जून, १९६४, तक उक्त सुझाव पर अमल नहीं किया तो पुस्तकें खरीदने से सम्बन्धित बैंक के प्रस्ताव संख्या १६(४) दिनांक १ मार्च, १९६३, तथा प्रस्ताव संख्या ९, दिनांक २७ अप्रैल, १९६३, रद्द कर दिये गये।

बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील की है जो इस समय शासन के विचाराधीन है।

श्री लखपतराम शर्मा---

क्या मंत्री जी की जानकारी में है कि ४-५ साल पहले यह श्री नापित बाजार में बाल काटने, मालिश वगैरह करने का पेशा किया करते थे और इनका केवल इसी सोसाइटी से सम्बन्ध नहीं है बल्कि ७ सोसाइटियों से गुप्त सम्बन्ध है, जिनका नाम है मऊरानीपुर, पुरानी बैलिया, कटरा नं० १, कटरा नं० २, मऊतालरान, परवारीपुरा, जलालपुरा सोसाइटी ? उसने एक लाख की दूकानें

और कोटियां खरीदीं, ७,००० रुपये की जिला परिषद् की गाड़ियां खरीदीं, आढ़त का लेन देन ५०,००० का है, बेवली कम्पनी की उसको पिस्तौल और राइफल मिली है, ४० एकड़ जमीन उसने खरीदी है, ४०,००० रुपया लोन पर दे रखा है और २ लाख रुपये की गड़बड़ियां की हैं, इस तरह से ८ लाख का भार उस पर है, क्या यह सही है और सही है तो क्या आप इस मामले को सी० आई० डी० के समक्ष देने के लिये तैयार हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

लखपतराम जी तो हमसे कोआपरेटिव के सम्बन्ध में कहते रहे, उन्होंने जो बताया उसकी सूचना मुझे नहीं है। कोआपरेटिव का जहां तक सम्बन्ध है, उनकी ३९९ रुपये की अमानत जमा है, २५० रुपया एक जमा है। उन्होंने ५,००० रु० बंधियों के लिये लिया था और तकावी का ऋण वह अदा करेंगे।

श्री लखपतराम शर्मा—

नं० ८ में साफ लिखा हुआ है कि ७ सोसाइटियों में उनका हिस्सा व भाग है, क्या यह सही है कि इतना कर्जा होते हुये भी .....

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा कि सरकारी कर्जा ८ लाख है, उन्होंने बतलाया कि सहकारिता का जहां तक सम्बन्ध है इतना रुपया है, मुमकिन है ८ लाख दूसरी जगह से लिया हो; उससे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, सवाल से स्पष्ट है कि मऊरानीपुर, जिला झांसी की ६ सोसाइटियों में एक आदमी का हिस्सा है जिस पर लगभग सरकारी कर्जा ८ लाख है, तो इस विषय में सरकार का क्या कहना है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने तो उत्तर में ही यह लिखा है कि कवल सहकारी समिति, पुरानी बैलाई मऊरानीपुर के सदस्य व सरपंच हैं।

जिला परिषद्, बस्ती के कर्मचारियों की रिटायरमेंट आय

*१०—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, बस्ती के रिटायरमेंट की अवस्था ६० साल पूरी होने के पहले ही कितने क्लर्कों को सन् १९६४ और १९६५ में नियम विरुद्ध रिटायर किया गया और कितनों को ६० साल पूरा होने के बाद ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जिला परिषद्, बस्ती द्वारा वर्ष १९६४ में किसी भी क्लर्क को नियम के विरुद्ध सेवा निवृत (रिटायर) नहीं किया गया। वर्ष १९६५ में किसी क्लर्क को रिटायर ही नहीं किया गया, अतः इस वर्ष में नियम विरुद्ध रिटायरमेंट होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*११—श्री श्यामलाल—

क्या यह सच है कि जिन क्लर्कों, जिन्हें परिषद् द्वारा इन्स्पेक्शन करने के लिये भेजा गया था, ने जिला परिषद् बस्ती द्वारा संचालित नौगढ़ तहसील के स्कूलों में गबन का हजारों रुपया गत वर्ष पकड़ा है, क्या उन्हीं को ५८ वर्ष ही में रिटायर कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

नोट—तारांकित प्रश्न ९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राममूर्ति—

जी नहीं ।

*१२—चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

[७वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जरवल विकास खण्ड

*१३—चौधरी अब्दुल हसीब खां—

क्या सरकार अपने कर्मचारियों व अधिकारियों की आवास सुविधा को ध्यान में रखते हुये इस पर विचार करेगी कि कैसरगंज का ब्लाक स्टाक जरवल ब्लाक बिल्डिंग में रहे या बजाय ब्लाक जरवल के कैसरगंज टूटे ताकि कैसरगंज की ब्लाक बिल्डिंग उपरोक्त आवश्यकताओं के उपयोग में लायी जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

कैसरगंज विकास खड के कर्मचारी व अधिकारी का जरवल का विकास खण्ड भवन में रहना उचित नहीं है । जहां तक जरवल के स्थान पर केसरगंज विकास खंड के टूटने का प्रश्न है, जनहित के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ऐसा करना उचित नहीं समझती । जरवल विकास खंड को तोड़ने के आदेश प्रसारित हो चुके हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में एक रिट याचना पत्र न्यायालय के विचाराधीन है ।

चिकित्सा निदेशक, श्री डी० एन० शर्मा

*१४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा निदेशक, श्री डी० एन० शर्मा के इस पद पर रखने के लिये दिसम्बर, १९६६ तक ही अवधि रखी गयी ? और अगले निदेशक पद पर वरिष्ठता क्रम से सिविल सर्जनों में से नियुक्त किया जायेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गांव सभा, देवी जगदीशपुर के प्रधान, श्री ठाकुर के विरुद्ध शिकायतें

*१५—श्री मेड़ी लाल (जिला बाराबंकी), श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री राम सुन्दर शास्त्री—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री ठाकुर, सभापति ग्रामदेवी जगदीशपुर, पोस्ट कांथा, विकास क्षेत्र नवाबगंज, उन्नाव, पर सरकारी धन के दुरुपयोग के बारे में लगाये गये आरोपों की जांच जो सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), क्षेत्र समिति नवाब गंज, उन्नाव, द्वारा दिनांक १९ नवम्बर, १९६५, को की गई थी, के पश्चात् उक्त सभापति के ऊपर क्या कार्यवाही की गई तथा १-१/२ साल तक यह मामला क्यों रोका गया, जब कि एक स्मृति-पत्र भी दिनांक १८ अप्रैल, १९६६, को उपरोक्त अधिकारी को दिया गया ?

श्री राममूर्ति—

गांव सभा, देवी जगदीशपुर के प्रधान, श्री ठाकुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) दिनांक २९ नवम्बर, १९६५, को उक्त ग्राम सभा में गये थे परन्तु

मामले की पूर्ण जांच नहीं की जा सकी क्योंकि जांच के समय प्रधान तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण जांच अधूरी ही रही। गांव सभा में दलबन्दी के कारण जांच में बिलम्ब हो रहा है। जिले के अधिकारियों को जांच शीघ्र समाप्त कर प्रधान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश दिये जा चुके हैं।

सुल्तानपुर जिले में विघटित ब्लाक

*१६—श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले के तोड़े जाने वाले ब्लाकों की लिस्ट में ब्लाक धनपतगज का नाम न होने पर भी उसे किस आधार पर तोड़ दिया गया ?

श्री राममूर्ति—

सुल्तानपुर जिले में विघटित किये जाने वाले ब्लाकों की लिस्ट में धनपतगज का नाम है।

*१७–१८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

[प्रश्नकर्त्ता से स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिये गये।]

*१९–२०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[नियम ३९ (२) के अन्तर्गत निर्धारित]

जिला अस्पताल, पीलीभीत

*२१—श्री रियासत हुसैन—

क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, पीलीभीत में कौन-कौन डाक्टर ऐसे हैं जो तीन साल से अधिक समय से वहां कार्य कर रहे हैं और उनका तबादला क्यों नहीं किया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला अस्पताल, पीलीभीत में केवल डाक्टर के० एस० टंडन, पी० एम० एस०, तीन वर्ष से अधिक से हैं। प्रशासकीय दृष्टि से इनका स्थानान्तरण अभी तक आवश्यक नहीं समझा गया।

कानपुर जिले में ग्राम सेवकों का प्रत्यावर्तन

*२२—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) तथा श्री बद्रीप्रसाद—

क्या सरकार कानपुर जिले में कार्यरत उन ग्राम सेवकों के नाम कृपया बतायेगी, जो स्थानापन्न सहायक विकास अधिकारी के पदों पर और कब से ३० जून, १९६६, को कार्य कर रहे थे और क्या यह भी सत्य है कि जुलाई, १९६६ में कुछ को उनके मूल पदों पर प्रत्यावर्तित करने के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

श्री राममूर्ति—

पांच ग्राम सेवक, (१) श्री रामचन्द्र शंखवार, १३ फरवरी, १९६६ से, (२) श्री शिवप्रसाद वर्मा, ३० जनवरी, १९६२ से, (३) श्री असगर अली सिद्दीकी, २१ दिसम्बर, १९५९ से, (४) श्री मेहताब सिंह, २ जून, १९६५ से तथा (५) श्री जयदेव प्रसाद दीक्षित १९ अप्रैल, १९६६ से स्थानापन्न सहायक विकास अधिकारी के पदों पर कार्य कर रहे हैं।

इनमें से सर्वश्री रामचन्द्र संखवार, शिव प्रसाद वर्मा तथा जयदेव प्रसाद दीक्षित, जुलाई, सन् १९६६ में, प्रत्यावर्तित किये गये थे ।

*२३—श्री रामकिशोर वर्मा तथा श्री बद्रीप्रसाद—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि मूल पदों पर प्रत्यावर्तित करते समय कुछ की ज्येष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया और क्यों ?

श्री राम मूर्ति—

श्री रामचन्द्र संखवार तथा श्री शिव प्रसाद वर्मा को प्रत्यावर्तन के दिनांक से ही पुनः सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। श्री जयदेव प्रसाद दीक्षित को प्रत्यावर्तित करते समय उनकी ज्येष्ठता का ध्यान रखा गया है ।

*२४—२५— श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

[६ ठें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ८१—८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२६—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—

[सचिवालय प्रशासन (विविध) को विभाग निर्धारण हेतु भेजा गया ।]

गुप्ता शुगर इंडस्ट्रीज, चांदपुर, सीतापुर

*२७—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में चांदपुर इंडस्ट्रीज (खांडसारी अन्य उद्योगों) में २५० से ज्यादा मजदूर होने पर भी वह फैक्ट्री ऐक्ट के अन्दर रजिस्टर्ड नहीं है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? उक्त इंडस्ट्रीज में कितने मजदूर काम करते हैं ?

श्री बनारसीदास—

चांदपुर, जिला सीतापुर, में केवल एक खांडसारी का कारखाना है जिसका नाम गुप्ता शुगर इन्डस्ट्रीज है । यह कारखाना, कारखाना अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नहीं है । १३ अक्टूबर, १९६६, को जब इसका निरीक्षण किया गया तो आठ श्रमिक शक्ति की सहायता से मशीनों की मरम्मत करते हुये पाये गये ।

विकास खण्ड, दहगवां में चपरासी

*२८—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के विकास खण्ड दहगवां में चपरासियों के कितने स्थान खाली ह ? स्थान कब से रिक्त हैं तथा नियुक्तियां कब से की जायेंगी ?

श्री राममूर्ति—

बदायूं जिले के विकास खण्ड दहगवां में चपरासियों का कोई भी स्थान रिक्त नहीं है ।

*२९— श्री उल्फत सिंह यादव—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २६ जुलाई, १९६३, को ब्लाक दहगवां में चपरासियों की नियुक्तियों के लिये जो साक्षात्कार हुआ उसमें किसकी नियुक्ति हुई ?

श्री राममूर्ति—

विकास खण्ड, दहगवां में दिनांक २६—७—६३ को चपरासियों की नियुक्ति के संबंध में जो साक्षात्कार हुआ था उसमें श्री तिरमल सिंह (श्री गन्नू सिंह के पुत्र) की नियुक्ति हुई थी ।

फर्रुखाबाद जिले में ब्लाक सेनीटरी इन्स्पेक्टर

*३०---श्री दयाराम शाक्य---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के विभिन्न ब्लाकों में ऐसे सेनीटरी इंस्पेक्टर कौन-कौन हैं जो कि उसी ब्लाक में ३ वर्ष से अधिक अवधि से काम कर रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

फर्रुखाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग के अधीन केवल श्री रामतीर्थ कटियार, कमालगंज ब्लाक तथा श्री आर० बी० एल० सागर, मुहम्मदाबाद ब्लाक, ही ऐसे सेनीटरी इंस्पेक्टर हैं जो उन्हीं ब्लाकों में ३ साल से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं ।

सहकारी निरीक्षकों का पद तोड़ना

*३१---श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश के ४०० से भी अधिक स्थानापन्न सहायक विकास अधिकारी सहकारिता जो पर्याप्त समय से निर्भीकता एवं कुशलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन कर रहे थे, अकारण, अनियमित ढंग से विभाग द्वारा उन्हें मूल पदों पर प्रत्यावर्तित करने से कोई आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या और इससे कुल निश्चित रूप से कितने व्यक्ति प्रभावित होंगे ?

श्री बनारसीदास---

जी नहीं । अनियमित ढंग से विभाग द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किये गये । वरन वस्तु स्थिति यह है कि प्रदेश में विकास खंडों के पूर्ण प्रसार और विकास आयुक्त द्वारा ग्रूप २ के पदों के लिये अपने बजट में आवश्यक प्राविधान कर लेने के कारण कृषि, सहकारिता तथा पंचायती राज विभाग में उतने ही ग्रूप २ के पद अधिक (surplus) हो गये । बाद में शासन द्वारा खर्चे में कमी करने का निश्चय किया गया । उपर्युक्त परिस्थिति में ४०० सहकारी निरीक्षक ग्रूप २ के पदों को खत्म करने का निर्णय लिया गया और निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये विधिवत् आदेश जारी किये गये । इस आदेश के कार्यान्वित होने के फलस्वरूप ४०० व्यक्ति प्रभावित हुये ।

*३२---श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या यह भी सत्य है कि उन्हीं रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति पदोन्नति द्वारा ही पुनः करने का विचार है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा पदोन्नति किये जाने का आधार क्या है ?

श्री बनारसीदास---

४०० पदों के टूट जाने के बाद भी कुछ ऐसे पद हैं जिन पर अस्थायी तौर पर स्टाप गैप प्रबन्ध किया जा रहा है । उन स्थानों की पूर्ति पदोन्नति द्वारा करना इस समय विभाग के विचाराधीन है । तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की ज्येष्ठता एवं कार्य कुशलता इस विचार के मुख्य आधार हैं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, अमौली

*३३---श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के जिन विकास खंडों में नियमित ढंग से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना भी नहीं हो सकी है वहां कब तक इनके चालू हो जाने की सम्भावना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

इस जिले के केवल एक विकास खन्ड अमौली में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र की स्थापना अभी नहीं हो सकी है परन्तु इसके भी शीघ्र ही चालू हो जाने की आशा है ।

*३४-३६---श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)---

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये ।]

गांव सभा, लढौरा के प्रधान, श्री हाफिज महमूद के विरुद्ध शिकायतें

*३७---श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---

क्या विकास मन्त्री को मालूम है कि हाफिज महमूद हसन प्रधान, ग्राम सभा लढौरा, परगना मंगलौर, जिला सहारनपुर, को १,२५० रुपये गबन करने के सिलसिले में २२ मार्च, १९५९ को निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो यह रुपया वसूल हुआ या नहीं, नहीं तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---

श्री हाफिज महमूद हसन दिनांक २२-३-५९ को गांव सभा लढौरा, परगना मंगलौर जिला सहारनपुर के प्रधान नहीं थे । अतः २२-३-५९ को उन्हें प्रधान पद से गांव सभा का रुपया गबन करने के सिलसिले में निलम्बित किये जाने अथवा गबन किये हुये रुपये के वसूल किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३८---श्री जयगोपाल---

क्या महमूद हसन इस समय भी लढौरा का प्रधान है और उसने फिर कुछ रुपया गबन किया है जिसके बारे में शिकायत जिलाधीश व मंडलापति रुड़की के यहां प्रार्थना-पत्र गया है ? यदि हां, तो उसके ऊपर कितना गबन निकला है और उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति---

श्री हाफिज महमूद हसन इस समय गांव सभा लढौरा के प्रधान हैं । उनके विरुद्ध शिकायतों के बारे में परगनाधिकारी रुड़की द्वारा जांच की जा रही है । चूंकि परगनाधिकारी द्वारा अभी जांच पूरी नहीं हुई और प्रधान के विरुद्ध मामले में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया, अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि प्रधान पर कितना गबन लिकला है ।

गोंडा जिले में क्षेत्रीय सहकारी समितियों के मन्त्री

*३९---श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के क्षेत्रीय सहकारी समितियों में कितने मन्त्री व्यवस्थापकों का कार्य काल उक्त स्थान पर तीन वर्ष से अधिक हो चुका है और उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ है ?

श्री बनारसीदास---

गोंडा जनपद के ४ क्षेत्रीय सहकारी समितियों पर नियुक्त मंत्री व्यवस्थापकों का कार्यकाल ३ वर्ष से अधिक हो चुका है ।

*४०---श्री हरीशकुमार गंगवार---

[७ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

शाहजहांपुर में श्री जे० पी० सक्सेना, सहायक विकास अधिकारी का प्रत्यावर्तन

*४१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री डी० एस० सक्सेना, डी० पी० ओ० द्वारा अपने पत्र सख्या ९७८५-९१ ई० सी०, तिथि ६/७ नवम्बर, १९६४ द्वारा शाहजहांपुर में कितने ए० डी० ओ० (कृषि) को पदावनत करके ग्राम सेवक के पद पर वापस किया गया और क्यों ?

श्री राममूर्ति—

शाहजहांपुर जिले में तत्कालीन जिला नियोजन अधिकारी श्री डी० एस० सक्सेना ने अपन सख्या ९७८५–९१/ई० सी०, दिनांक ६–७ नवम्बर, १९६४, द्वारा केवल श्री जे० पी० सक्सेना, स्थानापन्न सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को पदावनत करके ग्राम सेवक के पद पर वापस किया था । इनको प्रत्यावर्तित करने का मुख्य कारण यह था कि उनके विरुद्ध अभद्र व्यवहार संबंधी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसके फलस्वरूप श्री जे० पी० सक्सेना, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया गया ।

सांप काटे के लिए इंजेक्शन

*४२—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बतलायेगी कि उसने फ्लड एरिया में सांप के काटने से लोगों की जान बचाने के लिये कितने ऐंटी बिनम सिरम के इंजेक्शन वित्तीय वर्ष १९६५–६६ प्रदेश के किन अस्पतालों को दिये हैं ? कृपया जिलेवार बतलाया जावें ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्र करने में जो समय तथा धन व्यय होगा वह उत्तर के उपयोगिता के अनुपात में नहीं होगा ।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, नैनीताल के विरुद्ध शिकायतें

*४३—श्री देवेन्द्र सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० एम० ओ० एच० नैनीताल के विरुद्ध स्थानीय समाचार पत्रों में कई भ्रष्टाचार की शिकायतें अंकित की ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या क्या हैं ? और उनके प्रति सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । स्थानीय समाचार पत्रों में जिनमें साप्ताहिक 'अनुराग' प्रमुख है, मुख्य आरोप यह लगाये गये कि कथित अधिकारी ने एक भूतपूर्व चौकीदार की पत्नी का सतीत्व भंग करने की कुचेष्टा की तथा चौकीदार की सेवायें समाप्त कर दीं । जांच किये जाने के बाद ये आरोप असत्य प्रमाणित हुये और यह विदित हुआ कि प्रश्नगत अधिकारी को बदनाम करने की दृष्टि से ही ये आरोप लगाये गये जिनमें जिला स्वास्थ्य अधिकारी, नैनीताल के कार्यालय के एक कर्मचारी और एक ड्राइवर का हाथ समझा जाता है । इन दोनों का नैनीताल से स्थानान्तरण कर दिया गया है और जिलाधीश नैनीताल को 'अनुराग' समाचार पत्र के मुद्रक, प्रकाशक व सम्पादक के विरुद्ध मुकदमा चलाने के आदेश दे दिये गये हैं और उस पर कार्यवाही हो रही है ।

गांव कठिराव में महिला चिकित्सालय न होना

*४४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कठिरांव, जिला वाराणसी में एक महिला अस्पताल खोलने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस वित्तीय वर्ष में कोई नये ग्रामीण अस्पताल खोलने की योजना नहीं है । इसलिये प्रश्न नहीं उठता ।

बड़ागांव तथा पिंडरा एलोपैथिक अस्पताल

*४५—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक अस्पताल पिंडरा, वाराणसी में बढ़ती हुई भर्ती को देखते हुये सिविल सर्जन, वाराणसी ने सन् १९६५ तथा जून, सन् १९६६ में चारपाइयां बढ़ाने के लिये सरकार को कई बार लिखा था और प्रश्नकर्ता ने भी २२ जून, १९६६ को एक पत्र स्वास्थ्य मंत्री को लिखा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

पिंडरा एलोपैथिक अस्पताल जो जिला परिषद् वाराणसी के अधीन है, में ६ चारपाइयों का एक वार्ड बनाने का प्रश्न जिला परिषद्, वाराणसी के विचाराधीन है । इस वार्ड के बनाने में लगभग ८,७६९ रुपये खर्च होगा जिसका आधा जिला परिषद् वहन करने को तैयार है परन्तु जिला परिषद् अभी यह निश्चित नहीं कर पाया है कि वार्ड के लिये साज सज्जा तथा अन्य खर्चों का कितना हिस्सा वह वहन करेगा ।

*४६—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक अस्पताल, बड़ागांव, तहसील व जिला वाराणसी की इमारत कहां बनेगी ? क्या इस इमारत के लिये ७० हजार रुपये कई वर्षों से पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इमारत न बनने का कारण क्या है ? क्या बड़ा गांव या उसके आस-पास जमीन अस्पताल की इमारत हेतु नहीं है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बड़ागांव एलोपैथिक अस्पताल जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत है के लिये भवन बड़ा गांव विकास खंड के मुख्यालय पर बनाना निश्चित हुआ है जिसके लिये जिला परिषद् वाराणसी की स्वीकृति आमंत्रित है । ब्लाक का मुख्यालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनाने हेतु सोनपुर ग्राम में ४ बीघा ७ बिस्वा भूमि राज्य सरकार के नाम राजिस्टर्ड की गई है ।

बड़ागांव में गांव ब्लाक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक विकास विभाग की ओर से बनेगा जिसके लिये आयुक्त कृषि उत्पादन तथा ग्राम्य विकास द्वारा ६२,००० रु० अप्रैल, १९६२ में स्वीकृति किया गया है । अधिशासी अभियन्ता (निर्माण खंड) वाराणसी ने सूचित किया है कि विकास खंडों के भवनों के निर्माण कार्य प्राथमिकता सूची से हटा दिया गया है और यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, का निर्माण उसी से सबंधित हुआ तो उसके निर्माण में विलम्ब होने की संभावना है ।

कासगंज निवासी, श्री रामचरन को पेंशन

*४७—श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर से श्री रामचरन, पुत्र मोहनलाल, निवासी कासगंज, मोहल्ला जैजैराम, जिला एटा को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत १ अक्तूबर, १९६५ में पेंशन देने का आदेश हुआ था और उसके अनुसार पेंशन का मनी-आर्डर भी उक्त रामचरन को भेजा गया, जिसका आदेश संख्या ४२७१ था मगर पेंशन का रुपया नहीं मिला और अनेकों प्रार्थना-पत्र भेजने पर भी उनके पेंशन नहीं भेजे जा रहे हैं, यह क्यों ?

श्री बनारसीदास—

श्री राम चरन को पेंशन का रुपया २० दिसम्बर, १९६५ को मनीआर्डर द्वारा भेजा गया था। मनीआर्डर के मिलने की रसीद प्राप्त न होने पर डाकखाने के अधिकारियों से जांच की गई। उन्होंने उक्त मनीआर्डर अमायुक्त के कार्यालय को "NOT KNOWN" की टिप्पणी के साथ लौटा दिया। इधर श्री राम चरन के पत्र से मालूम हुआ कि वे अपने पुराने पते पर ही स्थिति है। अतः पुनः मनीआर्डर द्वारा पेंशन भेजी गई जो उन्हें १५-१०-१९६६ को प्राप्त हो गई। उनके पेंशन की अगली किश्त भी भेजी जा चुकी है जिसकी प्राप्ति की रसीद अभी वापिस नहीं मिली।

*८—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार रामचरन की गरीबी का ख्याल रखते हुये शीघ्र पेंशन भेजेगी ?

श्री बनारसीदास—

प्रश्न नहीं उठता।

सुपर मार्केट

*४९—सर्वश्री मुहम्मद रफी खां, रामकिशोर त्रिपाठी, बालोजी अग्रवाल, तथा लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि महंगाई को रोकने के लिये उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में सुपर मार्केट खोलने जारही है ? और यह सुपर मार्केट कब तक खोल दिये जायेंगे ? यदि नहीं खोले जायेंगे, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

निम्नलिखित ९ जिलों में सुपरमार्केट खोले जायेंगे—

१—कानपुर
२—आगरा
३—वाराणसी
४—इलाहाबाद
५—लखनऊ
६—मेरठ
७—बरेली
८—देहरादून
९—गोरखपुर

देहरादून में सुपरमार्केट चल रहा है और इसको बढ़ाया जा रहा है। लखनऊ में सुपर-मार्केट का भवन लगभग तैयारी पर हैं। इलाहाबाद में इमारत चुन ली गई है। अन्य स्थानों में भी कार्य जारी है और इनमें से अधिकांश कुछ ही महीनों में खुल जायेंगे।

*५०—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

[६ठें गुरुवार के लिये प्र०सं० ८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सभापति, गांव सभा, सराय रजई के विरुद्ध शिकायत

*५१—श्री ज्वालाप्रसाद तथा श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नायब तहसीलदार पट्टी, जिला प्रतापगढ़ ने सभापति ग्राम सभा सराय रजई को कई सौ रुपया (ग्राम समाज सम्बन्धी) गबन किया जो जुलाई अगस्त, १९६५ में पकड़ा था ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*५२—श्री ज्वालाप्रसाद तथा श्री सुरजनराम विशारद—

क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त सभापति के ऊपर जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक मेगरोरा ने हाल ही में कई सौ रुपये (ग्राम समाज सम्बन्धी) के प्रश्न नोटिस दी है ? यदि हां, तो उस सभापति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला नैनीताल में गांव सभाओं की स्थापना

*५३—श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल, तहसील खटीमा, कीछा, सितारगंज, रामनगर, बाजपुर के अन्दर ग्राम सभा की स्थापना हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जिला नैनीताल की तहसील खटीमा, कीछा, सितारगंज रामनगर, बाजपुर में गांव सभाओं की स्थापना की जा चुकी है ।

सचिवालय में मेडिकल विभाग के श्री आर० सी० बर्मा की पत्नी द्वारा बीमा का काम

*५४—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय के मेडिकल विभाग के एक असिस्टेंट श्री आर०सी० वर्मा की धर्मपत्नी बीमा की एजेंटी करती हैं जिनका कोड नम्बर ४४३३ २२५ है ?

*५५—यदि हां, तो सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्होंने किन-किन डाक्टरों का कितनी-कितनी धनराशि का बीमा किया है तथा क्या यह भी सच है कि असिस्टेंट महोदय डाक्टरों को प्रलोभन तथा अनुचित दबाव डाल कर बीमा करने को मजबूर करते हैं ?

*५६—क्या सरकार राज्य कर्मचारी की पत्नी द्वारा बीमा का काम करके अपने पति के प्रभाव तथा पद का अनुचित लाभ उठाने की नीति को उचित समझती हैं ? यदि हां, तो क्या इन महाशय के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस मामले की जांच करायी जा रही है ।

बरेली जिले में बहगुल नदी पर पुल

*५७—श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि नवाबगंज तहसील बरेली में दो पुल जोकि ग्राम बरोर और बहगुल नदी पर स्थित हैं और जो नहर के खारिजा पानी के कारण बरबाद हो गये हैं उन पर से गुजरते समय बहुत से जानवरों को चोटें आई हैं और बहुत सी गाड़ियां उतर गई हैं सरकार इन पुलों को शीघ्र बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सहायक निदेशिका, श्रीमती जैकर के विरुद्ध जांच

*५८—सर्वश्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी), महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा माधोनारायण मुद्गल (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत तीन वर्षों में मेडिकल हेल्थ विभाग की सहायक उप-निदेशिका (महिला) श्रीमती जैकर के विरुद्ध अनियमितताओं, भ्रष्टाचरा एवं दुर्व्यवहार संबंधी कितनी शिकायतें सरकार को अब तक प्राप्त हुयीं और सरकार ने उनमें क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

गत तीन वर्षों में श्रीमती जैकर, सहायक निदेशिका, के विरुद्ध दो शिकायतें सरकार को अब तक प्राप्त हुयी हैं । उन शिकायतों की जांच की जा रही है ।

*५९—सर्वश्री सूबेदारसिंह, महरामसिंह तथा माधोनारायण मुदगल—

क्या वह सत्य है कि उपरोक्त श्रीमती जैकर का कार्यकाल समाप्त हो गया है फिर भी उन्होंने अपना चार्ज नहीं छोड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं । उनका कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

बस्ती जिले में कथित मत्स्य जीवी सहकारी समिति

*६०—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सहकारिता मंत्री यह भी बतायेंगे कि मत्स्य जीवी सहकारी समिति डढ़िया ताल, मेगत ताल विकास खंड बिसरहा, जिला बस्ती का रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही दिनांक ३ सित बर, १९६५ से चल रही है ? अभी तक रजिस्ट्रेशन न होने का क्या कारण है ? यदि कोई अभाव था तो उसे दूर करने के क्या प्रयास कब-कब किये गये ?

श्री बनारसीदास—

बस्ती जनपद में बिसराहा नाम का कोई बिकास खंड नहीं है और न तो जिला बस्ती में मत्स्य जीवी सहकारी समिति डडिया ताल मेगत ताल नाम की कोई समिति रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६६

सहायक सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ, (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ४ अगस्त, १९६६ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक १० अगस्त, १९६६ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २६ नवम्बर, १९६६ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का २६वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६६-६७ का २२वां प्रतिवेदन†

श्री केशभान (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के सभापति की हैसियत से प्राक्कलन समिति' उत्तर प्रदेश, तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६६-६७) का राजकीय मुद्रणालयों से संबंधित २२ वां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

गृह उप मंत्री द्वारा कथित गलत बयानी के सम्बन्ध में निशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न जिसका कल मैंने उल्लेख किया था माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी का है जो माननीय शिवप्रसाद गुप्त के विरुद्ध है। वह इस प्रकार है--- "पूज्य प्रभु दत्त जी ब्रह्मचारी की गिरफतारी के संबंध में गत २ दिसम्बर, ६६ को आदरणीय सदन में एक बक्तव्य देते हुये उपगृह मंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त ने यह बताया था कि ब्रह्मचारी जी ने ७ नवम्बर, १९६६ के बाद मथुरा में हिंसा फैलाने वाला वक्तव्य दिया था। मेरी स्पष्ट जानकारी है माननीय गुप्त का उक्त कथन सत्य से बिलकुल परे है तथा उन्होंने जानबूझ कर आदरणीय सदन में गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है।

७ नवम्बर, १९६६ के बाद पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी १८ नवम्बर को पहली बार मथुरा प्रातः ४ बजे पधारे। उन्होंने उसके बाद केवल २ लिखित वक्तव्य दिये जो कि संलग्न हैं।

उनमें किसी भी प्रकार हिंसा को प्रोत्साहन करने का उल्लेख नहीं है। श्री गुप्त ने पूज्य ब्रह्मचारी द्वारा मथुरा में १७ नवम्बर, ६६ को भाषण दिये जाने की बात कही है। यह भी बिलकुल भ्रान्तिपूर्ण है। वह १७ नवम्बर को अहमदाबाद, गुजरात में थे, वहां से ४ बजे हवाई जहाज से जयपुर गये। जयपुर की सार्वजनिक सभा में उन्होंने भाषण दिया। वहां से रात्रि में देर से चल कर १८ को प्रातः मथुरा पधारे।

इस प्रकार १७ नवम्बर की बात कह कर पूज्य गोभक्त को जान बूझ कर अकारण कीचड़ उछालकर बदनाम किया गया है तथा आदरणीय सदन में गलत बयानी करके भ्रान्ति पैदा की गयी है। इससे आदरणीय सदन तथा माननीय सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार की अवहेलना होती है।"

अब माननीय शिवप्रसाद गुप्त ने जो उत्तर दिया है वह इस प्रकार है :—

"महोदय, आपके विभाग के पत्र संख्या ७०२१, दिनांक ६ दिसम्बर, १९६६ के सन्दर्भ में निवेदन है कि मैंने अपने वक्तव्य में यह कभी नहीं कहा कि श्री ब्रह्मचारी जी ने मथुरा में १७ नवम्बर, १९६६ को भाषण दिया। रहा प्रश्न हिंसात्मक भाषण के संबंध में, मेरा वक्तव्य अधिकृत प्राप्त सूचना पर आधारित था जिसके अंश सदन में पढ़ कर सुनाये भी गये। जान बूझ कर कोई गलत बात कहने का प्रश्न नहीं उठता। ऐसी परिस्थिति में माननीय सर्वश्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, यादवेन्द्र दत्त, व टम्बेश्वर प्रसाद द्वारा लगाया गया विशेषाधिकार अवहेलना का आरोप निरर्थक है और कोई विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा नहीं होता है।"

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे यह कहना है कि अगर १७ तारीख के लिये उन्होंने नहीं कहा तो १८ तारीख को तो उनका कोई भाषण हुआ ही नहीं। उस दिन उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। इस तरह के जो आरोप माननीय गृह उपमंत्री ने लगाये हैं वे सब आरोप असत्य थे और निराधार थे। दूसरी बात यह कि उन्होंने भाषण दिया नहीं, वे बोलते ही नहीं। वे केवल इतना ही कहते हैं कि "हरे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बासुदेवा"। और उसके बाद उन्होंने कुछ लिख कर दिया और उसे आपने सदन के सामने रख दिया। तो ये दोनों आरोप असत्य हैं। उन्होने कोई भाषण दिया ही नहीं और मैं तो कहता हूं कि १७ को वे मथुरा में रहे ही नहीं, इसलिये मंत्री इस आरोप से मुक्त नहीं होते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन के सामने सदन को गुमराह करके मंत्री निकल जायं यह कह कर कि हमने सदन को जो सूचना दी वह उस सूचना के आधार पर दी जो हमने अपने अधिकारियों से प्राप्त की, इससे काम नहीं चलने का। क्योंकि जब हम उनके अधिकारियों को यहां कुछ कहने लगते हैं तो यही गृह मंत्री और आपके श्रीमुख से भी मैंने सुना है कि संबंधित अधिकारी की सारी जिम्मेदारी मंत्री महोदय के ऊपर है। आपने कहां से सूचना प्राप्त की, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपने ए० से प्राप्त की या बी० से प्राप्त की, इसको आप जानें। आप कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति की सूचना के आधार पर हमने ऐसा कहा है तो इसके लिये हम जिम्मेदार नहीं हैं। आपने उसी आधार पर यह गैरजिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया है तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये कि वे अधिकारी भी इन्हीं की कड़ी हैं जिसके ये सिर हैं, मैंने अपने दोनों आरोपों को दोहराया है। एक तो यह कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, यह असत्य है कि उन्होंने कोई भाषण दिया और उस तारीख में वे वहां मौजूद ही नहीं थे।

एक ही शब्द में और आपकी जानकारी के लिये कह देना चाहता हूं कि यह तो मुझे हिम्मत नहीं है कहने की कि उन्होंने यह नहीं कहा १७ तारीख को, लेकिन अगर उन्होंने १७ तारीख को कोई भाषण दिया तो कृपा करके उसे देख लिया जाय कि उन्होंने क्या कहा।

श्री अध्यक्ष—

मैं पढ़ देता हूं जो उन्होंने कहा। वह इस आदरणीय सदन के सामने आ जाय ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाय। गृह मंत्री का वक्तव्य इस प्रकार था, "ऐसी सूचना मिली थी कि दिल्ली में संसद भवन के सामने ७ नवम्बर की घटना के बाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने बृन्दावन में सार्वजनिक भाषण दिये जिसमें उन्होंने गोहत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाने को अखिल भारतीय गोहत्या निरोध समिति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये जनता को हिंसात्मक उपाय अपनाने के लिये उत्साहित किया। अपने इस संकल्प को भी उन्होंने घोषणा की कि यदि २० नवम्बर, १९६६ से पहिले सरकार गोहत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध नहीं लगाती तो वे उस तिथि से आमरण अनशन करेंगे।" इसके बाद माननीय रामसुन्दर पांडेय ने यह कहा कि वह कौन सा अंश है उनके भाषण में जो हिंसात्मक है और उसी पर इस आदरणीय सदन के विभिन्न महानुभावों ने बल दिया। जब नेता विरोधीदल ने भी कहा कि भाषण का कौन सा आब्जेक्शनेबिल अंश है, वह बता दिया जाय तो माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी के उस आग्रह पर श्री शिव प्रसाद गुप्त ने कहा कि भरी सभा में वृन्दावन में श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने कहा वह मैं सुनाता हूं। मैं वही अब पढ़कर सुना रहा हूं। "यह सरकार पूर्णतः प्रभावहीन हो गई है तथा गुन्डों एवं पुलिस के हाथों है आज की सरकार उन मांगों को स्वीकार नहीं करती जो शान्तिपूर्वक की जाती हैं। मैं अपना आमरण अनशन दिनांक २०—११—६६ से गोलोकधाम में प्रारम्भ करूंगा। फिर वे कहते हैं कि सरकार के विरुद्ध आपको जो भी करना पड़े आप लोगों को अभियान सफल बनाना है क्योंकि यह सरकार किसी की बात को सीधी भाषा में नहीं समझ पाती। मैं दिनांक २०—११—१९६६ के आमरण अनशन कर रहा हूं और मुझे अपने जीवन की बलि देनी पड़ेगी। अतः मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि जनता में सहानुभूति उत्पन्न कराएं तथा अपने प्राणों की बलि दें।" उसके बाद आपने १९—११—६६ को कहा कि कब तक हिन्दू गौओं की हत्या को चुपचाप देखते रहेंगे? यह कलंक की बात है कि आप अपनी पूर्ण शक्ति गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगवाने में नहीं लगा सकते। हजारों गौएं एक राज्य से दूसरे राज्यों में भेजी जाती हैं और काटी जाती हैं। उनकी आत्मायें हमें चुनौती दे रही हैं। आपको किसी भी कीमत पर गोवध पर प्रतिबन्ध लगवाना है क्योंकि सरकार हमारी शान्तिपूर्ण मांग को एक लम्बे समय से अस्वीकार कर रही है।

यह उन्होंने पढ़ा। इस पर दो आरोप लगाये गये थे एक आरोप तो यह था कि वे १७ तारीख को मथुरा में नहीं थे, दूसरा आरोप था कि उन्होंने कोई हिंसात्मक बात नहीं कही।

इस पर मंत्री जी ने कहा कि १७ तारीख का मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया, अपने भाषण में, नबर १ और हिंसात्मक के संबंध में उन्होंने कहा "यह भाषण दिया था जिसको मैं हिंसात्मक समझता हूं। १९-११-६६ के बारें में उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी नें कहा था कि--कब तक हिन्दू गोओं की हत्या को चुपचाप देखते रहेंगे ? यह कलंक की बात है कि आप अपनी पर्ण शक्ति गो बध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगवाने में नहीं लगा सकते। हजारों गायें एक राज्य से दूसरे राज्यों में भेजी जाती हैं और काटी जाती रही हैं उनकी आत्माएं हमें चुनौती दे रही हैं। आपको किसी की कीमत पर गोवध पर प्रतिबन्ध लगवाना है क्योंकि सरकार हमारी शान्तिपूर्ण मांग को एक लम्बे समय से अस्वीकार कर रही है।" बाद में उन्होंने कहा--"यह जनता के शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर गोली चलाने का आदेश करती है तथा अबोध साधुओं की हत्या करती है, हत्या को सहन करना पाप है। अब समय आ गया है कि हिंसा का व्यावहारिक उत्तर दें।" उनके आखिरी शब्द ये हैं। इस पर माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कहा "श्रीमन्, यह सरकार धंसनेवाली है अगर इस भाषण को हिंसात्मक समझती है। मैं तो समझता हूं कि यहां पर बैठना ही निन्दनीय है। यह सरासर झूठ है। यह सी० आई० डी० द्वारा मैन्युफैक्चर किया हुआ भाषण है। इसके विरोध में हम सदन को त्यागते हैं।"

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, मैं आपको बिलकुल सच्चाई की बात बता दूं। श्रीमन्, मैंनें १३ तारीख को अमर उजाला अखबार में पढ़ा कि प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी अनशन करने जा रहे हैं। उनकी कुटिया मेरे क्षेत्र के बार्डर पर है, वृन्दावन के पास ही है। मैं उनसे मिलने के लिये १५ तारीख को गया। उसके बाद दो बार गया लेकिन वे नहीं मिले। १८ तारीख को गया लेकिन नहीं मिले। १९ तारीख की शाम को ४ बजे भी नहीं थे। १९ तारीख की रात को गाड़ी से वे वहां पहुंचते हैं। यह रिपोर्ट जो कलेक्टर ने बनवाई है, तारीख १८ को सी० आई० डी० के लोगों को बुलाकर, मजिस्ट्रेट को बुला कर और अपने दफ्तर में सारी बातों को लिखा कर बनायी है और एक वकील को बुलाकर उसको ड्राफ्ट कराया गया। मैं उस वकील का नाम भी बता सकता हूं, लेकिन उससे बात दूसरी हो जायगी। एक वकील से ड्राफ्ट तैयार कराया गया और सारी चीज १८ तारीख को कलेक्टर ने बनाई और वह पुलिस कप्तान को भेजी गई और गलत आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया। सारी कार्यवाही फर्जी की गई। उनका कोई भाषण न मथुरा में, न वृन्दावन में हुआ है और न ूरे हमारे जिले में कहीं हुआ। मैं एक बात और साफ कह दूं.....

श्री अध्यक्ष--

जो कुछ आप कह रहे हैं वह तो माधव प्रसाद जी स्वीकार नहीं करते। वह कहते हैं कि कि वह १७ तारीख को अहमदाबाद और गुजरात में थे और वहां से ४ बजे हवाई जहाज से जयपुर गये और वहां पर भाषण दिया। वह भाषण देते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

वह भाषण नहीं देते, वह लिखकर देते हैं उसको लोग पढ़कर उनकी तरफ से सुना देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

वह वहां से रात्रि में चलकर कार से १८ तारीख को प्रातःकाल मथुरा पधारे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

वह जौनपुर भी गये थे और उन्होंने अपना भाषण वहां दिया।

श्री राधेश्याम शर्मा--

यह सारी कार्यवाही गलत और फर्जी उनके खिलाफ की है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

यह सदन ऐहिक सवालों के लिये है। यह सदन आत्माओं और भावनाओं के विचार के लिये नहीं है, सदन सार्वजनिक दुख और समस्याओं के लिये है, इसलिये यह विचार अब समाप्त किया जाय।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जो व्यक्ति भावनाहीन है या जो पार्टी हृदयहीन है उसके लिये मैं क्या कहूं, उनको खुशी हो सकती है लेकिन जीवन में भावनाओं का और हृदय का बहुत बड़ा स्थान है, इससे ज्यादा और किसी चीज का स्थान नहीं है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैं ज्यादा इस विवाद में नहीं पड़ता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा (व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

भावनाओं से जन सेवक प्रेरित नहीं होता।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

उधर के लोग कुछ भी कहें, लेकिन....

श्री अध्यक्ष—

आप तो नेता विरोधी दल हैं आप अपने स्तर पर ही रहें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैंने दो बातें आपके सामने रखीं, हमने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया और आपने उपगृहमंत्री जी का वक्तव्य भी पढ़ा और आपने रिलेवेन्ट पोर्शन भी पढ़ा, लेकिन मैं दो बातें केवल कहना चाहता हूं। आपने तो इस चीज को एक वकील की तरह से पकड़ लिया, हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आप का मस्तिष्क किधर है।

श्री अध्यक्ष—

यह न कहिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

नहीं मैं कहूंगा।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

राजनीतिक लोग भावनाओं से प्रेरित नहीं होते हैं, भावनाओं को सुनने के लिये यह सदन नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इसका उत्तर एक है जिसका यह दम भरते हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप नेता विरोधी दल की हैसियत से अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से कहें कि क्या आप कहना चाहते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मुझे कहने तो दिया जाय। मैं कह रहा था कि दो प्रश्न हमारे सामने हैं, उन्होंने यह वाक्य कहे या नहीं कहे और भाषण दिया या नहीं और जो भाषण दिया क्या वही रिप्रोडयूस्ड है तो पहली बात तो यह है कि वह भाषण देते ही नहीं और न उन्होंने भाषण दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आपको जो कहना है वह कहिए ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

यदि उनके वक्तव्य को ही भाषण माना जाय तो जो वक्तव्य उन्होंने दिया उसकी प्रतिलिपि मैंने आपके सामने रखी हैं उसको पढ़कर आप सुना दें, जो कि अधिकृत हैं। आप देखेंगे कि उसमें कोई चीज हिन्सात्मक नहीं है ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि उन्होंने भाषण दिया ही नहीं है । अब श्रीमन्, आपके सामने दो तथ्य हैं, एक तो डिप्टी मिनिस्टर साहब का वक्तव्य और दूसरा एक माननीय सदस्य का कथन। माननीय मन्त्री जी का वक्तव्य एक लोअर रैंक के पुलिस अधिकारी के कहने पर बेस्ड है । ठो सही बात सामने आ जाती यदि आप इसे स्वीकार कर लेते । इससे स्पष्ट है कि इससे विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है उन्होंने एक असत्यभाषण किया है, और गलत बयानी की और वे अपने अधिकारियों का बहाना ले रहे हैं ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय त्रिपाठी जी बार-बार इस बात का आपसे आग्रह कर रहे हैं और उन्होंने एक लिखित बात भी पेश की कि ब्रह्मचारी जी भाषण भी नहीं करते हैं । वे बोलते भी नहीं हैं, लोग उनके व्याख्यान को पढ़ कर सुनाते हैं, जिसकी चर्चा उन्होंने की है । जो उद्धरण पढ़कर सुनाया उससे भी भाषण सा नहीं मालूम होता है । मैं जानता हूं कि वास्तविकता क्या है । क्या वास्तव में यह सच है कि उन्होंने सचमुच भाषण दिया है या कोई लिखित वक्तव्य दिया जो कि लोगों ने पढ़कर सुनाया ? मैं जब इलाहाबाद युनिवर्सिटी में पढ़ता था उस समय से उन्हें जानता हूं । वे एक सीधे सादे साधू के वेश में रहते थे । वे तब भी कोई भाषण नहीं देते थे । तो मैं चाहूंगा कि सरकार उसकी पुष्टि करा लें ?

श्री माताप्रसाद जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, जौनपुर में भी ब्रह्मचारी जी ने एक भाषण दिया था और वहां पर भी उन्होंने हिंसात्मक बातें कही थीं ।

श्री अध्यक्ष---

क्या आप वहां पर मौजूद थे ?

श्री माताप्रसाद---

जी हां मैंने सुना है ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)---

ऐसा मालूम देता है कि ये यू० पी० सरकार की वकालत कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं । किसी वातावरण को उत्तेजित करने से कोई लाभ नहीं है ।

दूसरा निवेदन यह है कि हम इस संबंध में देखें कि कानून क्या है और उसको समझ लेने के बाद ही कोई कार्य करें । निर्णयों के संकलन में दिया हुआ है कि यदि जानबूझकर तथ्य को पाने की किसी सदस्य या माननीय मंत्री ने कोशिश की हो तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है और दूसरा सरकारी कर्मचारी के किसी कृत्य का सदन के परोक्ष संबंध होने पर भी उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।

[श्री अध्यक्ष[

अब प्रश्न केवल यह है कि अगर इस आधार पर कि अमुक सदस्य ने एक गलत बयानी की है, उसके ऊपर और विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सकता तो सदन में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं बचेगा कि जो आजादी से, स्वतंत्रता से अपनी सूचनाओं के आधार पर अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सके। किसी तरह से कोई बहस नहीं हो सकेगी। अनेक प्रश्न इधर से और उधर से होते हैं जो अन्ततोगत्वा, यदि अन्वेषण हो तो एक न एक पक्ष गलत साबित होगा और रोज कोई न कोई सदस्य विशेषाधिकार की अवहेलना में फंसता रहेगा। अतः मौलिक सिद्धान्त जो निश्चित किया गया है और जिसका मैं आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं वह यह है कि जान बूझ कर गलतबयानी हो। अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों का जो संकलन है उसके पेज ३०७ पर दिया हुआ है कि जानबूझ कर गलत बयान होनी चाहिये। जानबूझकर का मतलब यह है कि यह जानते हुए कि जो बात वह कह रहा है गलत है और यह जान कर भी उसको सत्य के रूप में प्रकट करें तब कहा जाता है कि जानबूझकर झूठ बोला केवल सूचना के आधार पर गलत बात को हम यह नहीं कह सकते कि यह जानबूझ कर झूठ बोल रहे हैं।

दूसरी बात है आरोप अधिकारी पर, जैसा माननीय राधेश्याम जी ने कहा कि यह जितना भाषण उनका इस आदरणीय सदन के सामने रखा गया, वह एक वकील की राय से बनाया गया था। अब इस शहादत से यह पता चलता है कि वस्तुतः वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कोई ऐसी अनुचित कार्यवाही हुई। जिलाधिकारी द्वारा सूचना मंत्री जी को दी गई। अतः अगर कोई इस झूठी बात का जिम्मेदार है तो वह अधिकारी है, मंत्री नहीं हो सकते। इस वास्ते कि मंत्री ने तो अपनी सूचना के आधार पर इस आदरणीय सदन के समक्ष अपनी सूचना रखी है। तो माननीय शिवप्रसाद गुप्त के खिलाफ कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। अब रहा यह कि अगर माननीय राधे श्याम जी मुझे लिख कर दे दें तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे इसमें अन्वेषण कर लें, लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता माननीय शिवप्रसाद गुप्त के विरुद्ध।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जिलाधीश मथुरा के खिलाफ आप विशेषाधिकार चलावें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मुझे लिखने की क्या जरूरत रह गयी जब मैंने सदन में कह दिया? वैसे आप कहेंगे तो मैं लिख कर दे दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, जिलाधीश, मथुरा के खिलाफ विशषाधिकार का प्रश्न चलावें।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन् मेरी भी जानकारी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब यह विषय समाप्त हो गया।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

जो आपने व्यवस्था दी उसके अनसार कभी भी सदन में मन्त्री के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठेगा और इस धारा को अब प्रक्रिया नियमावली से निकाल दें।

श्री अध्यक्ष—

आप ऐसा नियम बना दें।

राज्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव नेता विरोधी दल, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, माननीय हरिनाथ तिवारी, माननीय रक्षपालसिंह, माननीय राजेन्द्रसिंह, माननीय हिम्मतसिंह द्वारा प्राप्त हुआ कि 'राज्य कर्मचारियों को सभा करने की अनुमति दिये जाने के बाद भी सभा करते हुए कल सायंकाल राज्य कर्मचारी पुलिस द्वारा बन्दी बनाये गये। राज्य कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को न मानने के कारण उत्पन्न असन्तोष को दबाने के लिये सरकार द्वारा निरन्तर दमन दुधारा चलाये जाने से राज्य कर्मचारियों में भीषण असन्तोष व्याप्त है। आज से उन्होंने सामूहिक रूप से काम का वहिष्कार कर दिया है....''।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, राज्य कर्मचारियों का प्रश्न एक बार पहले भी आया था जिसके सुलझाने में यह सरकार असफल रही। राज्य कर्मचारियों ने बहुत समय दिया, लेकिन इस पर भी उनकी न्यायोचित मांग को सरकार मान न सकी। आज की परिस्थिति पैदा करने की जिम्मेदार यह सरकार है। सारा कार्य ठप्प हो गया है। मुझे सूचना मिली है कि ७५ से ९० फीसदी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। इसमें नीति और स्थित दोनों का प्रश्न सामने उत्पन्न हो जाता है। तीसरी बात बड़े महत्व की यह है कि इनके साथ किसी की भी सहानुभूति नहीं है यहां तक कि पुलिस की भी नहीं है। हम तो समझते हैं कि ऐसी परिस्थिति में गृह मंत्री को रिजाइन कर देना चाहिये। तीनों बातें हैं। सरकारी कर्मचारी असंतुष्ट हैं, उनकी मांगें न्यायोचित हैं। दूसरे उनके साथ लोगों की सहानुभूति है या नहीं यह तो इसी से साबित है कि तीन हजार की तादाद सफेद लिबास में वहां मौजूद थे। सुकुल जी ने वहां भाषण दिया। बहुत अच्छा हुआ नहीं गिरफ्तार हुये। वह निकल कर चले गये और इनके आदमी मुंह ताकते रह गये। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि इनकी पुलिस भी इनके साथ नहीं है। इसलिये सदन का कार्य स्थगित किया जाय कि पुलिस भी आज विद्रोह में है। आज आई० जी०, डी० आई० और गृह मंत्री, तीनों को इस्तीफा देना चाहिये। अगर यह स्थिति आगे चल गयी तो क्या हालत होगी, भगवान जाने। हो सकता है कि हम कुछ ऐसे सुझाव दें जिससे स्थिति सुधर सके। नहीं तो सरकारी कर्मचारियों को बुलवा कर सरकार स्वयं उनसे बात करके किसी प्रकार समस्या सुलझाये और हमें मौका दीजिये, सदन का काम बन्द करके इस पर बहस होने दीजिये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

पिछली बार आपको याद होगा कि जब माननीया सुचेता कृपालानी की ओर से यह ऐलान हुआ था कि राज्य कर्मचारियों से समझौता हो गया है तो इन मंत्रियों ने कहा था कि उधर के लोगों को निराशा हो गयी। मैं उनसे पूछता हूं कि तीन, चार महीने बीत गये और उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस पर सरकार को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिये, केवल सरकार का प्रश्न नहीं रह गया है। आज सचिवालय में और सारे प्रदेश में ९० फीसदी कार्यालय बन्द हैं। जिस प्रदेश में ९० फीसदी राज्य कर्मचारी काम न करें, उनकी समस्या बरसों से चली आ रही है। अन्य प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि की सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से आधा रुपया ले कर और आधा अपने बजट से देकर उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश की है। कल हमने जब उनसे पूछा तो माननीया सुचेता जी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया लेकिन कल हमको फिर जानकारी हुई कि भारत सरकार ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

इनको लिखा कि आधा पैसा हम दें और आधा प्रादेशिक सरकार दे लेकिन उसको भी यह सरकार मानने के लिये तैयार नहीं है। आज साढ़े ५ लाख कर्मचारियों का प्रश्न है और साढ़े ५ लाख का ही नहीं, यह सारा सदन और आपका सचिवालय भी केवल आपके भरोसे है। तो यह सभी का सवाल है और इस पर बिचार होना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिये समय दें। ढाई घंटे बैठ कर हम उनकी बातें बतायें और सरकार बताये...

श्री अध्यक्ष--

देखिये, इस पर परसों दिन भर बहस हुई इस विधेयक के समय।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

यह प्रश्न तो अभी कल उत्पन्न हुआ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

अध्यादेश में और जो गिरफ्तारियां कल हुईं उसमें फर्क है।

श्री अध्यक्ष--

विषय तो वही है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

जब सभा करने की इजाजत दे दी गयी और उसी में गिरफ्तारियां हुईं, इसके माने यह हो जाते हैं कि आप सभा करने के आदेश के बहाने से गिरफ्तारी करना चाहते थे। तो इस प्रकार से सभा न हो, यह आपका मकसद था। इस पर बहस होनी चाहिये।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, कल जब सवाल जबाब हो रहे थे तो हमने बार बार आग्रह किया कि राज्य कर्मचारियों के नेताओं के ऊपर से वारंट हटा लिये जायं, गिरफ्तार नेता छोड़ दिये जायं और उनके नेताओं को बुलाकर उनके साथ बातचीत की जाय, इसमें सरकार की कोई शान नहीं घटती है, इसलिये समन्वय निकालने का प्रयास किया जाय। लेकिन सरकार की तरफ से जवाब टालमटोल का आया। उसी का परिणाम यह हुआ कि आज स्थिति भयावह हो गई। जो १० परसेन्ट लोग काम कर रहे हैं वह भी आन्दोलनकारियों के साथ हो सकते हैं और ऐसी स्थिति आ सकती है कि एक दो दिन में पूरे प्रदेश में हड़ताल हो जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस पर जरूर वाद विवाद करायें ताकि हम लोग अपनी बात रख सकें और सरकार कोई कदम इस समस्या को हल करने के लिये उठाये।

श्री अध्यक्ष--

सरकार की तरफ से कुछ कहना है? माननीय उपनेता सदन।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

श्रीमन्, मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है। इस देश का सत्यानाश होने जा रहा है। यह तो कौंसिल के सदस्य हैं, उपनेता नहीं हो सकते हैं। क्या माननीय हुकुम सिंह जी जो विधान परिषद् के सदस्य हैं, इसके नेता या उपनेता हो सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसके ऊपर मैं व्यवस्था दे दूंगा। वह बहैसियत मंत्री के बोल सकते हैं।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

श्रीमन्, जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है कि कल मीटिंग की परमीशन दी गई और गिरफ्तारियां हुई, इसके संबंध में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। अध्यादेश जारी है और कल बिल भी पास हो गया है, कानून मौजूद है जो शख्स कहीं पर भी (व्यवधान) अगर कानून का उल्लंघन कोई करता है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि उसे गिरफ्तार करे। इसी सिलसिले में गिरफ्तारियां हुई हैं और आयंदा भी होंगी।

श्री अध्यक्ष---

यह गिरफ्तारियां हुई हैं, क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, इसलिये हुई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी हां, गवर्नमेन्ट ने काफी बर्दाश्त किया, लेकिन ऐसी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जैसा कि माननीया मुख्य मंत्री ने कहा है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्ज मुझसे बात कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो वे करें। अगर कानून का उल्लंघन करना चाहते हैं तो सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से बयान दिया है उससे समस्या का हल होने नहीं जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि माननीया मुख्य मंत्री दिल्ली बुलाई गई हैं और संभवतः बिचार किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में यह शासन चले अथवा राष्ट्रपति का शासन कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री ने केन्द्र से मिलिटरी मांगी है। केन्द्र ने कहा कि अगर वे खर्चा बर्दाश्त करें तो हम मिलिटरी दे सकते हैं। इन दो परिस्थितियों में आज यहां की सरकार परेशान है और कर्मचारी भी परेशान हैं और मजबूर होकर उन्होंने हड़ताल किया है। आपको इस पर बिचार करना चाहिये और माननीय हुकुम सिंह से कहें कि अपना रवइया बदलें। दूसरी चीज यह है कि इस सदन के उपनेता गिरधारी लाल हैं न कि माननीय हुकुम सिंह हैं। आप को उन्हें उपनेता सदन कह कर संबोधित नहीं करना चाहिये। न उनको इस हैसियत से कोई वक्तव्य देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

एक मिनट में मैं कहना चाहता हूं। माननीय हुकुम सिंह ने कहा कि कानून जो तोड़ेगा उसको गिरफ्तार करेंगे। लाखों कर्मचारियों ने धारा १४४ तोड़ कर कानून भंग किया है। आपकी सरकार में बूता हो तो घंटे दो घंटे में हजारों कर्मचारियों को पकड़ कर जेल में बन्द कर दें, नहीं तो आप की नपुंसक सरकार में दम नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल रुकेगी नहीं। वह हड़ताल होगी। उनकी मांगें पूरी होंगी। आपकी नपुंसक सरकार झुक चुकी है और झुकेगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

ठाकुर हुकुम सिंह ने अपने बिचार वक्त किये कि अगर कानून भंग किया तो लाखों करोड़ों यह जितने कर्मचारी हैं सब गिरफ्तार हो सकते हैं। उससे भी भीषण परिस्थिति आ गयी। उन्होंने कहा कि मिलिटरी बुला रहे हैं। सरकारी काम ठप है। आज पुलिस भी उनसे

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

मिल गयी है। ऐसी परिस्थिति में नीति पर विचार करना चाहिये कि इस परिस्थिति में क्या बदल हो सकती है। यह सरकार बिलकुल डिफंक्ट हो गयी, मुर्दा और निकम्मी हो गयी है। आप हमें समय नहीं दे रहे हैं। इसके क्षोभ में हम पांच मिनट के लिये सदन का त्याग कर रहे हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष---

एक अध्यादेश जारी हुआ। उस अध्यादेश पर आधारित एक विधेयक प्रस्तुत हुआ। वह विधेयक इस सदन ने स्वीकृत कर लिया। इस सदन द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तों के विरुद्ध अगर कोई आदमी व्यवहार करता है तो उसके संबंध में कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री झारखण्डेराय---

मान्यवर, जो प्रश्न आपके सामने उपस्थित है और जिस पर आपने व्यवस्था दी हैं उस पर बोलते हुए सरकार के प्रवक्ता ने जो अपना रुख प्रकट किया है मैं उसको बहुत दुखदायी समझता हूं। यह रुख सरकार का सरकारी कर्मचारियों के साथ समझौते का नहीं है। बल्कि सरकार बल से, पुलिस और फौज के बल पर सरकारी कर्मचारियों को दबाने पर तुली हुई है। मैं इसका विरोध करता हूं। यह सरकार का रवैया प्रान्त भर में विस्फोटक नहीं, क्रान्तिकारी परिस्थिति पैदा कर देगा जिसमें सरकार के परखचे उड़ जायेंगे। मैं आशा करता हूं कि सरकार अब भी सचेत होकर कोई न कोई रास्ता निकाले जिसमें से सरकारी कर्मचारी संतुष्ट होकर अपने काम पर आ जायं। सरकार को सद्बुद्धि लाने के लिये हम सदन का एक घंटे के लिये त्याग करते हैं।

(कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में जो कानून स्वीकृत हुआ है उसके विरोध में कामरोको प्रस्ताव दे कर नेता विरोधीदल ने नियम भंग किया है। इसके लिये मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस देता हूं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

सरकार का जो रुख है उसमें किसी तरीके से सरकारी कर्मचारियों के साथ सहानुभूति नहीं है। साथ में आपने पढ़ा होगा कि स्टूडेंट्स ने जो मूवमेन्ट खत्म कर दिया था, दोबारा शुरू होने जा रहा है, इन्हीं की सहानुभूति में। इस रुख को देखते हुए हम लोग विरोध करते हैं और एक घंटे के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमन्, अभी आपने कहा कि किसी विधेयक के विरुद्ध कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि सदन में कोई विधेयक स्वीकृत हो गया तो उसके बाद भी कुछ और प्रक्रियाएं हैं और विशेषकर वह प्रक्रियाएं हैं उसका दूसरे हाउस से पास होना और महामहिम राज्यपाल के उस पर हस्ताक्षर होना। उसके बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप धारण करता है। इस सबके बिना, मैं आपके कथन को निरर्थक तो नहीं कह सकता, हां अर्थहीन अवश्य है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो यह कहा कि एक अध्यादेश जारी हुआ और उसके आधार पर एक विधेयक प्रस्तुत हुआ और स्वीकृत हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि उस विधेयक के अन्तर्गत निहित सिद्धांतों को इस सदन ने मान लिया है। मैंने कानून का शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं किया है।

प्रदेश के कुछ जिलों में नलकूपों को बिजली न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास ७--८ सूचनाएं आयी हैं। जिसमें देखिए माननीय विद्युत् मन्त्री जी, आपके विभाग के बारे में बहुत सी शिकायतें यह हैं कि नलकूप को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। तो इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि आप परसों एक पूरा वक्तव्य दे दीजिए। मैं आप से निवेदन इसके अलावा करूंगा कि आप इस दिशा में अवश्य ध्यान दें कि इस बारे में किसी प्रकार की ढिलाई, असावधानी और त्रुटि न होने पावे।

विद्युत् उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

अच्छा. नहीं होगा, ध्यान दिया जावेगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

श्री शिब्बन लाल, श्री चन्द्रबली सिंह और श्री बांकेलाल की एक चीनी में मिलावट के सम्बन्ध में शिकायत आयी है, उसका नमूना भी आया है, जो मैंने माननीय मन्त्री जी के पास भेज दिया है। शिकायत यह है कि चीनी बहुत खराब हो रही है। दूसरी शिकायत यह है कि वाराणसी नगरपालिका के अन्तर्गत हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कठिनाइयां पालिका द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं। एक और श्री गिरधारी लाल श्री राज नारायण सिंह और श्री ऋषिनारायण शास्त्री आदि का है, इसे मैं मन्त्री जी के पास विशेष ध्यान के लिए भेज रहा हूं।

सदस्यों की उपस्थिति पंजिकाओं की मैजिस्ट्रेट द्वारा मांग

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि कल आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ इस माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट किया था और श्रीमन्, आपने-अपनी रूलिंग भी रिजर्व कर रखी है--

श्री अध्यक्ष--

किस बारे में ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मैजिस्ट्रेट को इस सदन के कागजात भेजने के बारे में जो...

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, अच्छा। उसमें मुझे कुछ व्यवस्था देनी नहीं है, मैंने उसे अपने लिए न रखकर उसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया है। वही निर्णय लेगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मेरा निवेदन है कि आप मुझको सुन लें तो आपको उससे मदद मिलेगी क्योंकि जो प्रश्न उपस्थित किया गया है वह महत्वपूर्ण हो गया है। मैं चाहता हूं कि इसके पहलुओं पर विशेष तौर पर जो सदन से सम्बन्धित है उसके लिए कुछ विचार आप विशेषाधिकार समिति को रेफर कर दें। इसमें दो तीन प्वाइन्ट्स हैं, जिनके ऊपर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक तो यह कि अदालत जब कागज....

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

जब विषय को आप विशेषाधिकार समिति को भेज रहे हैं तब यह सब बातें वहां लिखकर भेज दें।

श्री अध्यक्ष--

आप वहां लिखकर भेज दें बजाय इसके कि यहां कहें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मैं दो मिनट में खत्म किए देता हूं और इससे आप को सहायता ही मिलेगी। पहली बात यह है कि क्या इस सदन के किसी भी कागज को और विशेषकर ऐसे रिकर्ड को जिस पर मेम्बर्स दस्तखत करते हैं कोई कोर्ट सम्मन कर सकता है। नम्बर दो, अगर सदन का सदस्य सदन में हाजिर है तो उसके भी कुछ विशेषाधिकार हैं, क्या ऐसे कागज को न प्रोड्यूस करके सदन के सदस्य को उस कार्य से वंचित किया जाना चाहिए जिसको वह यहां करना चाहता है। नम्बर ३, ऐवीडेंस ऐक्ट में, जैसा मैंने कहा था कि आप कोर्ट को एक पत्र लिखकर भेज दें तो क्या वह रिटिन या ओरल एवीडेंस माना जायगा और उसका वैरीफिकेशन हो सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हाउस आफ कामन्स....

श्री अध्यक्ष--

अब यह सब आप विशेषाधिकार समिति के सामने लिखकर भेज दें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

ठीक है।

उत्तर प्रदेश पंचायत मन्त्रियों के अनशन के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

उत्तर प्रदेश पंचायत मन्त्री संघ, लखनऊ (कैम्प कार्यालय, बुलन्दशहर) के तत्वावधान में १७-११-१९६६ से विधान सभा के सामने अनशन का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन किसी एक जिले से ५ मन्त्री अनशन में शामिल होते रहे हैं। २९ नवम्बर तक अनशन विधान भवन के सामने चलता रहा और उसके बाद ३० नवम्बर से अनशन की व्यवस्था दारुलशफा के क्षेत्र में की जा रही है। शासन को प्राप्त सूचनानुसार अभी इस प्रकार का प्रदर्शन ३१ दिसम्बर, १९६६ तक चलने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश में पंचायत मन्त्रियों की कुल संख्या ८,७९२ है। प्रदेश में इस समय पंचायत मन्त्रियों का कोई मान्यता प्राप्त संघठन नहीं है। विभिन्न स्थानीय संघठनों ने सर्वोपरि होने तथा प्रदेश व्यापी होने का दावा किया है लेकिन अभी भी कोई एक ऐसा संघठन नहीं है जिससे प्रदेश के सारे पंचायत मन्त्री सम्बद्ध हों। पंचायत मन्त्रियों के जिस संघठन द्वारा प्रदर्शन कार्य आयोजित किया गया है, वह इन संघठनों में से एक है। वर्तमान प्रदर्शनकारी संघ प्रदेश के

सम्पूर्णपंचायत राज मन्त्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता और न उसको इस प्रदेश के पूरे पंचायत मन्त्री वर्ग का सहयोग और समर्थन ही प्राप्त है। पंचायत मन्त्रियों के कुछ अन्य संघठन भी इस कार्यक्रम के पक्ष में नहीं है। यहां तक कि एक प्रभावशाली संगठन, उत्तर प्रदेशीय पंचायत राज मन्त्री संघ, केन्द्रीय कार्यालय, बलरामपुर, गोंडा ने अनशन योजना का विरोध किया है और पंचायत मन्त्रियों से इस अनशन में भाग न लेने का अनुरोध किया है।

जिन मांगों को लेकर यह अनशन प्रारम्भ किया गया है, वे मुख्यतः इस प्रकार हैं--(१) पंचायत मन्त्री शासकीय कर्मचारी घोषित किए जायं, (२) पंचायत मन्त्रियों का वेतन कम से कम १२०-२२०रु० के वेतन क्रम में रखा जाय, (३) पंचायत मंत्री की योग्यता एवं ज्येष्ठता के आधार पर सहायक विकास अधिकारी पद पर केवल पंचायत मंत्री को ही पदोउन्नति दी जाय, (४) पंचायत मंत्रियों की सेवायें प्राचीन मानकर स्थाईकरण की जायं, (५) अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति सुविधाएं भी पंचायत मन्त्री को प्रदान की जायं।

पंचायत मन्त्री गांव पंचायतों के कर्मचारी हैं और इनकी नियुक्ति और प्रशासकीय नियन्त्रण आदि की जिम्मेदारी क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों पर है। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण के इस युग में पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी बनाना या शासकीय नियन्त्रण में लेना प्रजातन्त्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत होगा। देश के अधिकांश राज्यों में पंचायत मन्त्री शासकीय कर्मचारी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपने प्रदेश में पंचायत मन्त्रियों को शासकी कर्मचारी घोषित करने का कोई विचार नहीं है चूंकि पंचायत मंत्रियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता, अतः उनकी सेवाएं स्थायीकरण किए जाने अथवा उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रश्न भी नहीं उठता।

जहां तक पंचायत मंत्रियों के वेतनक्रम बढ़ाए जाने का प्रश्न है, शासन की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह सम्भव नहीं है कि शासन वेतन बढ़ाने हेतु और अधिक अनुदान की व्यवस्था कर सके। प्रदेश में गांव पंचायतों की स्थापना से ही सरकार गांव के पंचायतों को पंचायत मंत्रियों के वेतन हेतु अनुदान देती आ रही है। इस अनुदान की मात्रा अब लगभग ८०-८५ लाख रुपए प्रतिवर्ष है। अभी तक गांव पंचायतें इस स्थिति में नहीं हो पाई हैं कि वे पंचायत मंत्रियों का वर्तमान वेतन भी दे सकें। ऐसी परिस्थिति में गांव पंचायतें भी पंचायत मंत्रियों के वेतनक्रम में वृद्धि करने के लिए समर्थ नहीं हैं।

जहां तक पंचायत मंत्रियों की सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों पर पदोन्नति का प्रश्न है, इस विषय में शासन का दृष्टिकोण सदैव सहानुभूतिपूर्ण रहा है। इस समय तीन महीने से कम की रिक्तियों में अस्थाई रूप से केवल पंचायत मंत्रियों की ही नियुक्ति की जाती है तथा दीर्घकालीन रिक्तियों में किए जाने वाली अस्थाई नियुक्तियों में भी पंचायत मंत्रियों को ७५ प्रतिशत पद दिये जाते हैं और शेष २५ प्रतिशत पदों पर ग्राम सेवकों में से पदोन्नति की जाती है।

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्रदर्शनकारियों के इस अनशन के आयोजन के पीछे कोई औचित्य नहीं है। यह खेद का विषय है कि ऐसे समय जब कि सूखे की विषम परिस्थितियों के कारण प्रदेश का अधिकांश भाग पीड़ित है, और गांवों में उत्पादन कार्यों के लिए पंचायत मन्त्रियों की उपस्थिति की विशेष आवश्यकता है, अवांछनीय तत्वों द्वारा बहकाए हुए कुछ व्यक्ति अनशन पर अड़े हुए हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस कथन में कोई सार नहीं है कि अनशनकारियों के प्रदर्शन से जनता में उत्तेजना व रोष की भावना व्याप्त है। मैं आशा करता हूं कि प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनशनकारी इस प्रकार के प्रदर्शनों में अपनी शक्ति क्षीण न करके ग्रामीणजनों की सहायता कर अपनी शक्ति और समय का सदुपयोग करेंगे।

(अनेक सदस्यों के प्रश्न पूछने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया था। उस पर प्रश्न नहीं हो सकते। नियम यह है कि 'परन्तु अध्यक्ष यदि यह ठीक समझें तो स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्नों की अनुमति दे सकते हैं।" जिस समय मैंने इस प्रश्न को नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए भेजा था तो उस समय अपना विवेक इस्तेमाल कर लिया था। इस पर प्रश्न नहीं होंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब नियम ५२ के वक्तव्य सदन के समक्ष आवें, नियम के अनुसार माननीय अध्यक्ष को अगर वह उचित समझे तो स्पष्टीकरण के लिए आज्ञा देनी चाहिए। तो क्या बिला सुने हुए ही ऐसी रूलिंग दे सकते हैं कि इस पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं जानकारी करा दूं कि ये कहते हैं कि जिला परिषद का कर्मचारी है तो पूछ लीजिए कि अध्यापक भी कर्मचारी है, उसको पेंशन दिया है, तनख्वाह बढ़ाते हैं....

श्री अध्यक्ष—

मैंने केवल इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के प्रति इस भावना से कि उनको अधिक से अधिक जानकारी मिल जाय, एक प्रथा को अंगीकार किया है। मैं सूचनाओं को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करता रहा हूं, अन्यथा नियम ५२ के अन्तर्गत तो उसे अस्वीकार कर सकता था। ५ वर्ष तक इसका हमने पालन किया और मुझे खुशी है कि इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों ने सहयोग दिया और प्रश्न नहीं पूछे, तो अब आखिरी वक्त में ऐसा क्यों?

श्री सालिग्राम जैसवाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

यह सूचना प्राप्त हुई है कि जिलाधीश, इलाहाबाद ने जाब्ता फौजदारी की धारा १४४ के अधीन एक निषेधात्मक आदेश जारी किया जो सम्पूर्ण इलाहाबाद जिले में १९ नवम्बर, १९६५ से एक महीने की अवधि तक अगर उससे पहले वापस न ले लिया जाय लागू रहेगा। उक्त आदेश द्वारा यह रोक लगा दी गई थी कि उसमें उल्लिखित अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति के बिना पांच या उससे अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों या लाउड स्पीकर, एम्प्लीफायर या मेगाफोन का इस्तेमाल न किया जाय। २ दिसम्बर, १९६६ के अपरान्ह में इलाहाबाद जिले के मंझनपुर कस्बे में बिना सम्बन्धित अधिकारियों की आज्ञा लिए एक सार्वजनिक स्थान पर सभा आयोजित की गयी थी। उक्त सभा में बिना इजाजत लिए हुए एक लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया गया था। सभा में शामिल होने वाले व्यक्तियों में विधान सभा के सदस्य श्री सालिग्राम जैसवाल, भी थे। निषेधात्मक आदेश का खुला उल्लंघन करने के कारण श्री जायसवाल तथा ६ अन्य व्यक्तियों को मंझनपुर के थानेदार नें भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ के अधीन गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्तियों को नैनी सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया और वे अभी जेल में हैं। श्री सालिग्राम जैसवाल तथा एक और व्यक्ति, श्री के० पी० तिवारी, को तत्काल उच्च श्रेणी में रख दिया गया।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

आपने कहा था कि अगर आवश्यक होगा तो प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, जिस समय मैंने इसको पढ़ा था आपके सामने, उस समय निवेदन किया था कि इसमें इस बात का संकेत किया गया है कि चुनाव सभा थी और चुनाव सभा में हापने गिरफ्तार किया, तो क्या यह चुनाव सभा थी या और कुछ?

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

यह चुनाव सभा नहीं थी।

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मुझे याद है, मैंने भी प्रश्न उठाया था और कहा था कि यह नीति का प्रश्न है। जबतक ये कांग्रेस के लोग बाहर रहेंगे तब तक यह दूसरे दल वालों को काम न करने देंगे। ऐसा मालूम होता है कि ये धारा १४४ जारी रखेंगे, यह इनकी आदत है। आपने कहा था कि वक्तव्य के लिए दिया है।

श्री अध्यक्ष---

मैं मानता हूं। यह अब समाप्त होता है। अब केवल सरकार से नियम ३१९ के अधीन जहां मन्त्रियों का वक्तव्य हो सकता है, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं का प्रश्न है कि क्या दफा १४४ धारा प्रयोग इलेक्शन के जमाने में भी आप करते रहेंगे या क्या नीति रहेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

उसके लिए तो उसमें प्रतिबन्ध है कि एक महीने के बाद और चुनाव सभा होती है और धारा १४४ रहती है, तो यह तो १ महीने के लिए था। तो उसको परमीशन दे सकते हैं, इलेक्शन मीटिंगों के लिए परमीशन दे दी जाती है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, कार्यकर्ता हमारे मीटिंग्स फिक्स करते हैं, इसमें तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष---

उनका कहना यह है कि इलेक्शन मीटिंगों के लिए परमीशन है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

एक-एक दिन में ५--५, ६--६ जगह मीटिंग्स करना पड़ती हैं, हर जगह के लिए परमीशन ली जाय, श्रीमन्, यह कैसे सम्भव होगा ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

आखिर यह दफा १४४ कब तक लगी रहेगी ? आप यह देखें कि यह जहां चाहते हैं दफा १४४ लगा देते हैं। यह मूल सिद्धांतों के अधिकारों के खिलाफ है। जब इनकी सभा हो तो कोई प्रतिबन्ध नहीं, जब हम सभा करना चाहें तो दफा १४४। विरोधी दलों का प्रचार न हो इसके लिए दफा १४४ लगायी जाती है। आप इसका परिमार्जन करायें। इस पर यहां बहस होना चाहिए कि दफा १४४ कब लगे, और किन परिस्थितियों में लगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

आप श्रीमन्, माननीय गृह मन्त्री से केवल इतना ही कहलवा दें कि यह प्रतिबन्ध इलेक्शन की मीटिंगों के लिए नहीं है।

श्री सत्यनारायण पांडेय---

श्रीमन्, एक सोशलिस्ट कार्यकर्ता ने अपनी पार्टी का घोषणा-पत्र पढ़ा इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया....

(व्यवधान)

प्रश्न का उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)---

मैंने कल आपकी सेवा में २ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। एक के बारे में आपने कहा कि मैं पत्रावली मंगा लूं ....

श्री अध्यक्ष---

वह मैंने मंगायी है।

श्री गयाप्रसाद---

दूसरा प्रश्न यह था कि मेरा एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न स्वीकार हुआ था वह इस विषय में था कि माननीय कमलापति त्रिपाठी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, बलिया गए तो उनका प्रोग्राम वहां के जिलाधीश श्री अजितप्रसाद जैन ने छपवाकर बंटवाया, जिसकी सूचना एस०पी० को दी गयी, समस्त विधायकों को दी गयी, जिला परिषद् के अध्यक्ष वगैरह को दी गयी, अधिशासी अभियंता वगैरह को दी गयी, तहसीलदार को दी गयी। ....

श्री अध्यक्ष---

ये कौन हैं ?

श्री गयाप्रसाद---

ये श्री अजित प्रसाद जैन, जिलाधीश बलिया हैं जिन्होंने पंडित कमलापति त्रिपाठी के दौरे का कार्यक्रम प्रसारित और प्रचारित किया है। तो दो स्थिति हैं---एक तो जिलाधिकारी गलत सूचना देता है तो उस पर मंत्री वक्तव्य देते हैं और उस पर आप सदन में कार्यवाही कर लेते हैं और मैं यहां शत प्रतिशत सत्य प्रमाण उपस्थित कर रहा हूं। ऐसे प्रश्न को अल्पसूचित की शक्ल में मैंने दिया और वह स्वीकृत हुआ और सरकार कहती है कि हम उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको तो हमने हाउस में प्रस्तुत कर दिया है। हाउस के नेता, उपनेता, मंत्री सब बैठे हुए है आप इसका उत्तर दिलवा दें कि उस जिलाधीश के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं। प्रमाण को मैं अध्यक्ष महोदय के पास भेज रहा हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, अब दो ही दिन रह गये हैं और इतना महत्वपूर्ण प्रश्न अल्पसूचित के रूप में आपके सामने आया है। मैं समझता हूं कि कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी सूचना १० घंटे के अन्दर सरकार को न मिल सके। सरकार यह कह सकती है कि वे हमारे गुट के नहीं थे, दूसरे गुट के थे और वह कलेक्टर भी दूसरे गुट का था। लेकिन उनके गुट से हमें कोई मतलब नहीं है। विरोधी पक्ष के लोग सदैव कहा करते हैं कि इस ब्यूरोक्रेसी को भ्रष्ट करने का सारा श्रय सरकारी पक्ष के लोगों को है। वे अधिकारियों से सेवा लेकर उनके सामने झुकते है और उनको गैरमुनासिब काम करने का अवसर देते है क्योंकि उनसे वे लाभ उठाते हैं। मैं आपसे यह व्यवस्था के रूप में जानना चाहता हूं कि वह कौन सा अवसर आया कि आपने अपने दल का या अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया कि वे उसी दिन उस अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर दे दें। अब यह बात दूसरी है कि वे गदहे से ही सवारी कराना चाहते हैं तो करावें, जो मन में आवे करें, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि किस कानून का सहारा लेकर वे इसका जवाब नहीं देते हैं ? टेक्निकेलिटी के अनुसार भी देखा जाय तो यह सत्र भी समाप्त हो रहा है और इसके साथ ही इस सदन से न्याय भी समाप्त हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

दो बातें मैं भी कहना चाहता हूं। दफा १४४ के अन्तर्गत हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है जब कि इनकी सभाओं का आयोजन कलेक्टर करता है, प्रचार करता है और उसे कोई सजा भी नहीं दी जाती है। कारण यह है कि आज इनको जनता के सामने जाने की हिम्मत तो है नहीं, इसीलिये उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रकार के अविवेकपूर्ण और गैरकानूनी काम करने के लिये तैयार है। हमारे नेता माननीय सालिगराम को गिरफ्तार कर लिया गया जब कि चुनाव सभा में वे भाषण करने जा रहे थे। मैं उसकी नोटिस आपको दिखला सकता हूं कि वह चुनाव सभा ही थी। हमारी पार्टी के जो उस क्षेत्र से उम्मीदवार हैं उनको गिरफ्तार कर लेने का क्या मतलब है? इसलिये मैं चाहता हूं कि एक तरफ जो इस तरह से उत्तर प्रदेश में दफा १४४ लगा कर विरोधी पक्ष को सभा करने से रोक दिया जाय और दूसरी तरफ सूबा कांग्रेस कमेटी की तरफ से होने वाली सभा का आयोजन कलेक्टर करे, इस पर बहस होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

इस वक्त तो इसकी सूरत नहीं है। अब माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया है, मैं चाहता हूं कि वे कृपा करके हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम ३० (२) को पढ़ लें जिसमें लिखा हुआ है कि किसी प्रश्न का उत्तर देना या न देना यह सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। हम उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते हैं। यह नियम ३० (२) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है---

"अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रश्न की एक प्रतिलिपि संबंधित मंत्री को इस निवेदन के साथ भेज दी जायेगी कि वह सचिव को सूचित करें कि क्या वह प्रश्न का उत्तर अल्प सूचित प्रश्न के रूप में देने के लिये सहमत हैं।"

आप "मे" को देख लीजिये, लोक सभा के रूल को देख लीजिये, यह बिलकुल उनके विवेक पर निर्भर है, हम उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते। हमारा नियम केवल यह है कि अगर वे अल्पसूचित रखते हैं और वे सहमत नहीं हैं तो हमें अधिकार यह है कि हम पूर्वता दें। जितना हमारे अधिकार में है वह हम कर सकते हैं। यह दूसरी चीज है। इसलिये यह विषय खत्म हुआ।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

अध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारी सभाओं पर रोक लगा दी जाती है और १४४ दफा लगा दी जाती है इसलिये मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यगण सदन त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की सीमा में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अध्यक्ष---

मेरा विचार है कि नं० १२ पहले ले लिया जाय....

विद्युत उप मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---

अध्यक्ष महोदय, "चूंकि इलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ (ऐक्ट सं० ५४, १९४८) की धारा ६५ की उपधारा (३) में यह व्यवस्था है कि उपधारा (१) के अधीन कोई राज्य विद्युत परिषद किसी भी समय दस करोड़ रुपये तक की अधिकतम धनराशि ऋण पर ले सकती है, जब तक कि राज्य सरकार इस संबंध में राज्य विधान सभा के अनुमोदन से कोई उच्चतर अधिकतम

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

धनराशि निश्चित न करें और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को, जिसने उक्त ऐक्ट की धारा ६५ की उप धारा (१) के अधीन ८,१९,२६० लाख रुपये का कुल ऋण पहिल ही ले रक्खा है और जिसने बन्ध पत्र जारी करके १.७५ करोड़ रुपये का बाजार ऋण चालू करने की अनुज्ञा दिये जाने की प्रार्थना की है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अनुमोदित परियोजनाओं के निष्पादन के लिये अपेक्षित धनराशि हेतु ऋण की आवश्यकता होगी; और इस सभा की राय में उक्त परिषद को योजनागत निर्माण कार्यों के निष्पादनार्थ, जिनके लिये उसके पास पर्याप्त निधियां नहीं है, साधनों को पूरा करने योग्य बनाने के उद्देश्य से उधार लिये जाने की अधिकतम सीमा को दस करोड़ रुपये से बढ़ाकर पच्चीस करोड़ रुपये करना आवश्यक है; अतएव, यह सभा उक्त ऐक्ट की धारा ६५ की उपधारा (३) के अधीन उक्त परिषद द्वारा उधार लेने की अधिकतम सीमा को पच्चीस करोड़ रुपये तक निश्चित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव से सहमत है।"

श्रीमन्, इस प्रस्ताव में यह है कि अभी तक राज्य विद्युत परिषद १० करोड़ रुपये का ऋण ले सकती थी। यह ४८ में था आज चीजों के दाम बढ़ गये हैं। पारसाल इसका जो बजट था वह ६६.६७ करोड़ रुपये का था। इस साल चूंकि और ज्यादा कम है वह ४६.१७ करोड़ का ही है। इसलिये हमें २० करोड़ रुपये का घाटा है। हम चौथी प्लान में आशा करते थे कि रुपया मिल जायेगा उतना रुपया हमें नहीं मिल सका है। इसलिये यह सोचा गया कि बाहर से कर्जा लें और उसके लिये आवश्यक यह है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की क्षमता अभी तक १० करोड़ की थी हम चाहते हैं कि उसकी क्षमता २५ करोड़ तक बढ़ा दी जाय। माननीय सदन के सदस्यों को मालूम है कि बिजली के विस्तार की कितनी आवश्यकता है। इस विस्तार से हरदुआगंज में जो बिजली घर है उसमे बिजली की क्षमता बढ़ सकेगी। हम कोई ग्रान्ट तो नहीं मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसकी क्षमता का विस्तार कर सकें।

श्री अध्यक्ष---

आपका मतलब यह है कि हम बिजली की क्षमता का विस्तार कर सकें और इसके द्वारा बिजली की क्षमता बढ़ाई जा सके।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं एक बात देख रहा हूं। इसमें लिखा है धारा ६५ की उपधारा (३) में यह व्यवस्था है कि उपधारा (१) के अधीन कोई राज्य विद्युत परिषद किसी भी समय दस करोड़ रुपये तक की अधिकतम धनराशि ऋण ले सकती है। इस दस करोड़ शब्द के स्थान पर आप २५ करोड़ रखना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि १० करोड़ या २५ करोड़ रुपया अधिक से अधिक पूरे वर्ष में लिया जायगा अथवा कई बार इतनी धनराशि ली जा सकती है? अगर कई बार ली जा सकती है तो मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

इसमें साफ लिखा हुआ है कि १० करोड़ रुपया तक। इसके मतलब यह साफ हैं कि अधिक से अधिक १० करोड़ रुपया। अब उसके बजाय २५ करोड़ की लिमिट रखी जा रही है। २५ करोड़ रुपये से अधिक का ऋण भार उनके ऊपर न होगा, यह स्पष्ट है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

पिछले वर्ष में इस परिषद् को ४९ लाख रुपये का घाटा हुआ है, ऐसी परिषद् को ऋण लेने की छूट क्यों दी जाय?

श्री अध्यक्ष---

आज ही मेरे पास १२ सूचनायें आयीं जिनमें यह कहा गया था कि हमको बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। आप कहते हैं कि इस ऋण को लेकर हम उन साधनों को उत्पन्न करेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

कर्जा लेने वाली बात पर मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान अवश्य दिला देना चाहता हूं कि एक तो आप सूद पर कर्जा लेते है और उसका एल० आई० सी० से इंश्योरन्स भी कराते हैं। इन दोनों को मिला कर इतना रुपया आपको देना पड़ जाता है कि आपका कर्जा कभी पट नहीं सकता। दूसरे इस कर्जे में आप कैसा आदि बड़-बड़े अंडरटेकिंग्स को मारगेज कर देते हैं। इस ओर आप जरुर ध्यान दें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

हम लोग दो प्रकार से कर्जा लेते हैं। एक मारकेट से और एक एल० आई० सी० से। कर्ज के लेने में हमें कुछ मारगेज तो करना ही पड़ेगा।। रहा यह सवाल कि इन्टरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है तो मंहगा कर्जा हम न लें, इस पर हम बिचार कर लेंगे। ऐसा कर्जा लेने की हमारी कोई इच्छा नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं कहा है। ५१२ करोड़ रुपया मिलने वाला है। आपने अपने बजट में काफी लम्बी रकम रखी है। उसके बाद २ अनुपूरक बजट आये हैं। आपके पास २५ करोड़ का धन होते हुए भी कौन सी विशेष चीजें उपलब्ध करनी हैं जिससे २५ करोड़ की धनराशि के ऋण की जरुरत पड़ी हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

श्रीमन, मैंने यह कहा था कि हमारा जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वह ६६ करोड़ है। हम अपने पास से ४६ करोड़ खर्च करेंगे और २० करोड़ रु० की और आवश्यकता है।हमने २५ करोड़ ऋण लेने की आज्ञा ली है। हमने केवल जो हमारी सीमा अभी तक १० करोड़ थी उसको ज्यादा से ज्यादा लेने की मांग की है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की १९६६-६७ की नियम समिति का प्रतिवेदन

श्री होतीलाल अग्रवाल---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की १९६६-६७ की नियम समिति का प्रतिवेदन, जो कि इस सदन में ८ अगस्त, १९६६ को प्रस्तुत किया गया था, स्वीकार किया जाय।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७८६-८१५ पर)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ)---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम समिति के प्रतिवेदन में पृष्ठ १ पर मद (२) में प्रस्तावित नियम ३ में "गजट" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश सरकार के हिन्दी गजट से है," रक्खा जाय।

श्रीमन्, चूंकि आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार में भी अंग्रेजी का प्रचलन रहता है और गजट भी अंग्रेजी में निकलता है इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है तकि हर चीज स्पष्ट हो जाय और हिन्दी वाला ही गजट यहां पर मान्य हो।

श्री अध्यक्ष---

इसमें केवल यह है कि जो अंग्रेजी में गजट छपता है, उसके शीर्षक में होता है कि "हिन्दी से अनुवादित"। तो इसमें कोई बात नहीं है।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

गजट हिन्दी में ही छपता है। अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया जाता है।

श्री अध्यक्ष---

अगर यह बात है तो कोई बात नहीं है। माननीय राम सुन्दर पान्डेय जी, इसे आप वापस ले लें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

यदि ऐसा है तो मैं वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि रामसुन्दर पाण्डेय जी को अपना संशोधन वापस लेने की आज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २ पर मद (५) धारा नियम ३ में प्रस्तावित "सदन के परिसर" की परिभाषा के स्थान पर शब्द 'सदन के परिसर का तात्पर्य मुख्य विधान भवन स्थित सभा मन्डप और सभा कक्ष से है', रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष---

इस सबध में मैं निवेदन करूंगा कि हमारा जो मूल नियम है उस पर आप संशोधन रख रहे हैं अथवा जो संशोधित नियम हैं, उन पर ?

श्री रामसुन्दर पान्डेय---

जो आपके नियम हैं, उनमें भी और आप के जो संशोधित नियम हैं, उनमें भी।

अगर आप हमारी भावनाओं की कदर करते हैं तो जो नियमावली पुरानी भी है और जो हम अब संशोधित करने जा रहे हैं, उसका मतलब यह हुआ कि हम इस हाउस के अन्दर आ नहीं सकते। परिणाम यह है कि जो आपके दर्शक लोग हैं, बाहर के वे लोग, सचिवालय के अन्दर आ सकते हैं, दर्शक दीर्घाओं में बैठकर देख सकते हैं और सचिवालयों में अपने कामों के लिये आ सकते हैं, लेकिन जो विधान सभा के निलंबित सदस्य हैं या निष्काषित सदस्य हैं वे आ ही नहीं सकते हैं। जो व्यवहारिक बात है उसका उल्लंघन होता है कि वे प्रवेश पत्र लेकर अन्दर आ सकते हैं, दीर्घाओं में बैठ सकते हैं और यहां की कार्यवाही को देख सकते हैं। सचिवालय में अधिकारियों से बात कर सकते हैं। आप यह कर सकते हैं कि ऐसे सदस्य जो निलंबित हैं या निष्काषित हैं, वे विधान सभा के मंडप में न आयें, सदन या लाबी में न जाय, यह ठीक है, लेकिन आप से भी मिलने की मुमानियत नहीं होना चाहिये। कोई हिंसा की बात करे तब तो बात दूसरी है लेकिन जो जनता के चुने हुए व्यक्ति हैं उनको आपसे मिलने की या सचिव महोदय से मिलने की मनाही हो या पैसा किसी का बाकी हो तो वह आपके सचिवालय तक भी हिसाब के लिये न जा सकें इस तरह की 'परिसर' की व्याख्या ठीक नहीं है। केवल सभामंडप या लाबी की बात ठीक है, बाकी पुस्तकालय और वाचनालय में तो सभी जा सकते हैं और हमारे लिये सीमित कर दिया जाय यह उचित न होगा। आज आप अध्यक्ष हैं, कल आप भी अगर इधर बैठें तो वह आप पर भी लागू होगा। इसलिये नियम ऐसा होना चाहिये कि जो अधिकार आप बाहरी व्यक्तियों तक को देते हैं वह अधिकार भी सदन के सदस्यों को न रहे, यह उचित न होगा। पुस्तकालय में

और वाचनालय में सब जायं आप से मिल सकें इस पर प्रतिबन्ध न होना चाहिये। आप सभामंडप और लाबी तक ही सीमित रखें और कहीं के लिये इसे न बढायें। बाकी अगर किसी सदस्य के संबंध में पूरी जानकारी हो जाय कि वह हिंसा फैलाता है. . . .

श्री अध्यक्ष––

वह हो गया।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)––

श्रीमन्, जो कुछ श्री राम सुन्दर जी ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि यदि हम निलम्बित सदस्य की हैसियत से सदन की सेवाओं से निलम्बित होते हैं तो हमें साधारण जो नागरिक के अधिकार हैं उनसे वंचित नहीं होना चाहिये। वाचनालय या पुस्तकालय में साधारण नागरिक जा सकें और जो बहैसियत सदन के सदस्य के सेवा करता है।

श्री अध्यक्ष––

कठिनाई हमारी यह है कि जो संशोधन हमारे सामने माननीय राम सुन्दर जी पान्डेय ने रखा है वह नियमित नहीं है, केवल उसका अंश समझ लिया गया। पहले जो मूल 'परिसर' की व्याख्या थी वह तो कायम रहेगी। उसका कोई परिवर्तन हम इस समय नहीं कर सकते। आप इस रिपोर्ट में जो दिया है उसमें संशोधन कर सकते हैं, जितनी इसमें प्रक्रिया है उतने तक ही आप का संशोधन सीमित रहेगा। इसमें है विधान सभा सचिवालय के अध्यासन के कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधान पुस्तकालय, विधान वाचनालय 'तो जो पहले नियमों में है उसी तक आप अपनी व्याख्या सीमित रखें।

श्री होतीलाल अग्रवाल––

अकेला एक ही सवाल इसमें नहीं है, माननीय सदस्यों के अरेस्ट का सवाल भी इसमें है। मान लीजिये कि कक्ष में हैं और वहां अरेस्ट हो जाय तब क्या होगा? हमारा विशेषाधिकार है कि परिसर में कोई अरेस्ट नहीं हो सकती और परिसर में बिना अध्यक्ष की आज्ञा के किसी सदस्य पर समन भी तामील नहीं हो सकते। ऐसा करने से तो हमारा अधिकार भी कम हो जायगा इसलिये इसको बढ़ाकर रखना ही उचित होगा। यहां पर निष्कासित करने की बात है वह बात दूसरी है। बाकी मूल अधिकार तो इसी से सुरक्षित रहेंगे, यह सवाल नहीं है कि . . .

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)––

आपको याद होगा श्रीमन्, कि जिस समय यह संशोधन हो रहा था हमारी मंशा केवल यह नहीं थी कि जो सदस्य सदन से निष्कासित होते हैं वह कहां जा सकते हैं और कहां नहीं जा सकते हैं केवल यही प्रश्न हमारे सामने नहीं था। आप स्वयं देखें जितनी चीजें जोड़ने के लिये कही गयी हैं उनमें समितियों के कक्ष, विधान वाचनालय के कमरे यानी वह स्थान भी जोड़ दिये गये हैं जिनको आप की अधिकार सीमा के भीतर होना चाहिये। और जो पहले परिभाषा है उससे भी संकुचित परिभाषा आप करना चाहते हैं। आप यह चाहते हैं कि केवल विधान भवन और लाबीज हों।

श्री अध्यक्ष––

वह नहीं होगा।

श्री रामायण राय––

मंशा हमारी केवल उन सदस्यों को जो निष्कासित हैं उनको आने से रोकने की ही नहीं है, वरन् विधान भवन से संबंधित और आप की अधिकार सीमा के अन्दर जितने भी स्थान आते हैं उन सबको परिसर के भीतर शामिल करना चाहते हैं। इसी मंशा से यह संशोधन आया था।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

मुझे श्रीमन्, यह कहना है कि आप का सदन काउन्सिल के नाम से विख्यात है और इसमें सरकार के सारे कार्यालय हैं। जिस आदमी को आप निकालते हैं उसको सरकार के अन्य कार्यालयों में जाने की भी मनाही हो जाती है इस नियम के अनुसार क्योंकि जब कभी भी कोई सदस्य आयेगा सामने का जो फाटक है और मुख्य द्वार है उसमें घुसते ही मनाही लग जायगी। ऐसी स्थिति में आपको विचार करना पड़ेगा कि परिसर की व्याख्या स्पष्ट और विषद होनी चाहिये जिससे माननीय सदस्य की सुरक्षा, जैसा माननीय उपाध्यक्ष ने कहा है, उसकी भावना स्पष्ट हो जाय अन्यथा यह जो नियम बनाने का उपक्रम है वह घातक होगा और हमारे अधिकारों को कम करेगा। मैं उदाहरण देता हूं। पुस्तकालय है, किसी को आपने सदन की सेवा से निलम्बित किया, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं होगा कि हमको पढने के लिये भी निलम्बित कर दिया। पुस्तकालय हमारे प्रयोग के लिये है। ऐसी स्थिति में यदि पुस्तकालय में रहें तो वह हमारे एक उपयोग की चीज होगी। आप हमको ज्ञानार्जन से निलम्बित नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि माननीय सदस्यों के उपयोग की बातों को ध्यान में रखते हुए, उनके नागरिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए परिसर की व्याख्या स्पष्ट और विषद करें, जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष चाहते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय राम सुन्दर पान्डेय और माननीय केशरी प्रसाद पान्डेय के विवाद में यह भ्रम हो गया है कि सदन के परिसर की जो व्याख्या बढ रही है उससे इन लोगों के अधिकार में कमी आ जायेगी कि वे वाचनालय में नहीं जा सकते। हम सदन की परिभाषा में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बल्कि परिसर में परिवर्तन कर रहे हैं जिसका केवल एक उपयोग यह है, जैसा माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रिविलेज का क्वेश्चन आता तो लिखा है कि प्रिसिंक्ट्स आफ दी हाउस में कोई अरेस्ट नहीं हो सकती जब तक कि आपको इजाजत न मिले। तो यह सदस्यों के फायदे के लिये है। आप जब निलम्बित करेंगे तो सदन के परिसर से निलम्बित करने का प्रोवीजन नहीं है, सदन से आप निलम्बित करेंगे। लोक सभा का नियम आप देखें, उसमें है कि सदन के परिसर में वह हिस्सा होगा। अध्यक्ष जितने हिस्से को परिसर माने वह उसको अधिकार दिया हुआ है। पुराने नियमों में भी दिया हुआ है यही। लेकिन यह जो व्याख्या कर रहे हैं इसमें अध्यक्ष की पावर को ले रहे हैं कि किस पोर्शन को परिसर माने किसको न माने। तो यह गलत होगा। लोक सभा के नियमों और हमारे नियमों में लिखा है कि सभा कक्ष, दीर्घा और उन हिस्सों को जिनको कि अध्यक्ष माने वही परिसर होगा। यह परिभाषा है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके लिये नुकतानदेह हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय कृष्णानन्द जी को निलम्बित होने के बाद जो आपकी आज्ञा मिलती है, उसको पाने का अवसर नहीं मिला है। जो व्याख्या है यह स्पष्ट है कि सचिवालय के अन्दर जो पूरा विधान भवन है उसके अन्दर कोई सम्मानित सदस्य जिसको आपने निष्कासित किया है वह नहीं आ सकता है। अब माननीय उपाध्यक्ष जी जो व्यवस्था कर रहे हैं और कुछ लालच ऐसा दिखाते हैं जिस से वह चाहते हैं कि यह व्यवस्था रहे। तो इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहिये कि अगर माननीय सदस्यों पर कोई बाहरी वारंट या कोई और चीज आये तो उसका क्या होगा।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न २९९ के सम्बन्ध में जब विचार हो तभी आप कर सकते हैं? ऐसी व्यवस्था २९९ में है कि अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति को सदन में आने की इजाजत दे सके इत्यादि।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उपाध्यक्ष की ओर से यह कहा गया कि इसको मान लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता है .....

श्री अध्यक्ष—

परन्तु इस में यह है कि किसी निलम्बित सदस्य को सदन के बाहर किये जाने पर सदन के परिसर में आने की इजाजत दे देगा । ....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

एक बात और कह दूं । आप खुद आदेश निकालते हैं, जब कमरों के बंटन का सवाल आया इस हाउस में तो आपने स्वतः यह कहा कि यह तो सरकार के कब्जे में है, यह विधान परिषद् के कब्जे में है । अब अगर माननीय राममूर्ति जी से हमें मिलने जाना है तो जायेंगे तो इसी रास्ते से । उस हालत में आपको अपना दायरा सीमित करना पड़ेगा और अगर उसको व्यापक बनाते हैं तब तो उत्तर प्रदेश को सचिवालय में कोई कहीं आ जा ही नहीं सकता ।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

मैं असमर्थ हूं इस अमेंडमेंट को मानने में । मेरा पक्का खयाल है कि माननीय सदस्यों के जहां तक अधिकार का ताल्लुक है, इस अमेंडमेंट से ज्यादा बढ़ता है बनिस्बत दूसरी बात से । मैंने पहले भी एक बात यह कही थी कि हमारे बहुत से प्रिविलेजेज हैं । अगर हम इसकी परिभाषा छोटी करते हैं तो हमारे अधिकार कम होते हैं । जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि निलम्बित सदस्यों का क्या होगा, तो उनको माननीय अध्यक्ष इजाजत दे ही सकते हैं और वे सब जगह जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल कक्ष में नहीं आ सकते, बाकी सब जगह के लिये इजाजत होती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

प्रार्थना-पत्र देने पर ।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

यह ठीक है, लेकिन अध्यक्ष के ऊपर हमें पूरा भरोसा करना चाहिये । वे माननीय सदस्यों के अधिकारों को पूरी तरह से रक्षित करेंगे । इसलिये मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि पृष्ठ २ पर मद (५) द्वारा नियम ३ में प्रस्तावित "सदन के परिसर" की परिभाषा के स्थान पर शब्द "सदन के परिसर का तात्पर्य मुख्य विधान भवन स्थित सभा मंडप और सभा कक्ष से है" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, आप इस समय मतदान कैसे ले सकते हैं ? इसके अलावा कोरम भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

कोरम तो है । यह ठीक है कि इस समय मतदान नहीं लेना चाहिये लेकिन अब तो ले लिया, आगे नहीं लेंगे ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

हमेशा के लिये कानून बन गया ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ३ पर मद (१४) में नियम ११ के प्रस्तावित उपनियम (१) के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय—

"परन्तु ऐसा कोई सदस्य निर्देशित नहीं होगा जो विधान सभा में किसी भी दल का पदाधिकारी हो ।"

श्रीमन्, यह जो नियम बना है उसमें कहीं यह उल्लेख नहीं है कि जो यहां पर दल इस विधान सभा में हैं उनके जो पदाधिकारी हैं वह उससे वंचित किये जायं ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें मुझे कठिनाई यह हो रही है कि इसके प्रस्तुत करने से मूल नियम में संशोधन कर रहे हैं । मूल नियम में ऐसी शर्त नहीं थी । यह नई शर्त लग जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जो प्रतिवेदन पेश किया गया है वह मूल नियमों से तो किया गया है । हमने तो केवल एक शब्द "पदाधिकारी" रखा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बोल लीजिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा विधान सभा में हुआ है । पार्टियों के पदाधिकारी इस कुर्सी पर बैठते हैं तो जो उनका कर्तव्य है अधिष्ठाता मंडल का उसको वे छोड़ सकते हैं और अपने दल विशेष की ओर आकर्षित हो सकते हैं । विधान सभा में एक बार नहीं कई बार ऐसी अवस्था पैदा हुई है कि उन्होंने जानबूझ कर इधर के माननीय सदस्यों को बोलने नहीं दिया और जो विचारार्थ प्रस्तुत होना चाहिये था उस पर विचार नहीं होने दिया । एक दिन बड़ा होहल्ला हुआ और माननीय राममूर्ति जी बैठे हैं, उनको मालूम है कि गलत काम हुआ और फिर बाद में उसका परिमार्जन हुआ और फिर से उस पर विचार हुआ । चाहे इधर के हों या उधर के हों, कोई भी पदाधिकारी इस कुर्सी पर न बैठे । अन्य सदस्यों को ले सकते हैं । इस कुर्सी को निष्पक्षता बनाये रखने के लिये पदाधिकारियों को मनोनीत न करें । इसको आप मंजूर कर लें ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन, उन्होंने जो उदाहरण दिया है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि माननीय चन्द्रजीत यादव अपनी पार्टी के डिप्टी लीडर हैं उनके पैनल के चेयरमैन रहने से हमें कभी शिकायत नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ मिश्र भी बैठे हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जितनी बार वे बैठे हैं और माननीय रामायण राय जी बैठे हैं उसे आप देख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

इसको छोड़िये । मेरा निवेदन यह है कि जहां हम यह सोच रहे हैं कि अध्यक्ष किसी पार्टी का सदस्य न रहे तो इस को मानने में क्या हर्ज है कि पार्टी के पदाधिकारी न रहें ।

श्री कृष्णानन्द राय—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । किसी भी नियम के अन्तर्गत नियम समिति अपनी रिकमेंडेशन तो ले सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय राम सुन्दर जी, हम इसका ध्यान रखेंगे कि इसकी परम्परा स्थापित करनी है बजाय नियम बनाने के। वैसे यह अनियमित हो जायेगा।

श्री होतीलाल अग्रवाल---

जब माननीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ध्यान रखेंगे तो फिर इसके रखने की क्या जरूरत है? मैं आशा करूंगा कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष---

यह तो अनियमित है, लेकिन कनवेन्शन के रूप में यह बात अमल में आये।

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ४ पर मद (२७-क) एवं उसके अन्तर्गत नियम २९ के खंड (१५) में प्रस्तावित संशोधन निकाल दिये जायं।

एग्जिस्टिंग नियम यह है कि कैबिनेट डिसिजन पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता लेकिन कमेटी ने जो प्रस्ताव किया है उसमें कैबिनेट डिसीजन पर भी क्वेश्चन किया जा सकता है। कैबिनेट डिसीजन कुछ मानी में बहुत ही सीक्रेट होते हैं कैबिनेट की सीक्रेसी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर यह मान लिया जाय कि कैबिनेट के डिसीजन्स पर भी सवाल हो सकते हैं तो इस से बड़ी कठिनाई उपस्थित हो सकती है। अतः पुराने नियम को उसी तरह से रखा जाय और इसको स्वीकार न किया जाय।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

श्रीमन्, सरकार को अधिकार है कि किसी प्रश्न का उत्तर न देना चाहे तो न दे, गोपनीय कह कर या जनहित में नहीं है यह कह कर टाल देती है। यह सर्वसाधारण नियम बन रहा है। ऐसी स्थिति में इसका विरोध अनावश्यक है। यह तो आवश्यक नियम है जो आप लाये हैं। इस से माननीय सदस्यों के अधिकार बढ़ते हैं।

श्री होतीलाल अग्रवाल---

वस्तुस्थिति यह है कि कांस्टीट्यूशनली कैबिनेट गवर्नमेंट से डिफरेंट है। कैबिनेट टर्म गवर्नमेंट से वाइडर है। कैबिनेट के डिसीजन्स सीक्रेट होते हैं। लिहाजा यह सही है कि इस संशोधन को मान लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

जो लोक सभा में है वह सुन लीजिये। लोक सभा में नियम ४१ है। अगर इस प्रकार से हम रख लें तो उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। उसमें मंत्रिमंडल में की जाने वाली चर्चा या राष्ट्रपति को किसी ऐसे विषय के बारे में दी गयी मंत्रणा से सम्बन्धित जानकारी नहीं मांगेगा।

वह कैबिनेट डिसीजन जो है वह इसमें आता है---"राष्ट्रपति को किसी ऐसे विषय में दी गयी मंत्रणा"। मंत्रीमंडल का निर्णय राज्यपाल के पास दिया जाता है, राज्यपाल जब उसे स्वीकार कर लेता है, तो वह नियम बन जाता है तो इसके बारे में राज्यपाल को दी गई मंत्रणा नहीं पूछी जायेगी यानी कैबिनेट की मंत्रणा नहीं पूछी जायेगी। राज्यपाल द्वारा स्वीकृत होने पर पूछी जा सकती है, क्योंकि वह तत्पश्चात गवर्नमेंट का निर्णय बन जाता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

माननीय उपाध्यक्ष ने जो कुछ कहा आप उसका भाष्य न करें। इस से थोड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। कैबिनेट का फैसला राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल उसे स्वीकार कर

[श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय]

लेता है तो उसकी संज्ञा आपने मंत्रणा से दे दी है उससे मैं सहमत नहीं हूं। गवर्नर किसी विषय पर मंत्रणा मंत्रिमंडल से चाहे तब वह ले। तो यह एक बात है और जो मंत्रिमंडल के लोग रोजाना आये दिन राजकाज चलाने के लिये काम काज किया करते हैं और उसके लिये निर्णय लिया करते हैं, वे निर्णय इस सदन के ऊपर नहीं हो सकते। सदन को पूरा अधिकार है कि मंत्रिमंडल द्वारा इस प्रकार के निर्णीत विषयों पर प्रश्न करे और जानकारी हासिल करे। इसलिये मंत्रणा से उसमें अन्तर है। यदि यह रहा कि मंत्रिमंडल के फैसले पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता तो इस से इधर के या उधर के बैठने वाले सदस्य को बैठने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि सरकार की क्या नीति है और वह क्या करने जा रही है। इसलिये इनका जो सर्वाधिकार सुरक्षित है कि वे किसी प्रश्न को जनहित में न बतायें या किसी को गोपनीय कह कर टाल दें वह इनके पास रहने दीजिये और हमारे अधिकार हमारे पास रहने दीजिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह देख रहा हू कि ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं जिसमें आदरणीय सदस्य कुछ बातें करते हैं। तो उस पर कह रहा हूं। उस प्रकार मान लिया जाय तो इसमें क्या हर्ज होगा। उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूल्स कमेटी जिस पूर्ण रूप से निर्णय करके यहां रखती है, ये उसके समान न माने जायेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

केशरी प्रसाद पांडेय जी ने जो बातें रखी और आपने जो कहा कि मंत्रिमडल अगर कोई मंत्रणा करता है और राज्यपाल के पास सिफारिश के लिये भेजता है तो उसमें उसे हटा देंगे। मैं समझता हूं कि रूल्स कमेटी ने जो रेकमेंड किया वह उससे भिन्न है, क्योंकि कैबिनेट आये दिन फैसला लेती है। अभी आपने देखा कि कैबिनेट ने निर्णय लिये कि सूखे के बारे में हम यह करने जा रहे हैं या यह खर्च करने जा रहे हैं। आये दिन बहुत से निर्णय यह सरकार राजकाज चलाने के लिये लिया करती है उनसे यदि वंचित रखा जाये इस सदन के माननीय सदस्यों को, तो मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं है। जो आपने लोक सभा का नियम पढ़कर सुनाया वह उससे भिन्न है। वह इस प्रकार है कि किसी चीज के बारे में यदि कैबिनेट से कोई मंत्रणा राष्ट्रपति को दी जाती है, तो वह दूसरी चीज है। लेकिन सरकार चलाने के लिये जो आये दिन सरकार निर्णय लेती है वह दूसरी चीज है। जो आये दिन कैबिनेट निर्णय लेती है उसको जानने का सदन पूरा हकदार है और सदन को जानना चाहिये। इसलिये इस बात को मानते हुये भी, कैबिनेट आये दिन जो निर्णय सरकार चलाने के लिये लेती है उसे जानने का माननीय सदस्यों को अधिकार है। उसमें यदि आप संशोधन कर दें तो बहुत ही फायदा होगा।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

इसमें तीन बातें हैं, केवल यह बात नहीं है कि डेसीजन आफ दि कैबिनेट। इसमें प्रोसीडिंग्ज आफ दि कैबिनेट, डिस्कशन इन दि कैबिनेट ऐंड डेसीजन इन दि कैबिनेट। आप आर्टिकिल १६३ देखें उसमें है "चीफ मिनिस्टर तथा प्राइम मिनिस्टर टू एड ऐड ऐडवाइज" चाहे राष्ट्रपति हो या गवर्नर हो। इसलिये कैबिनेट का डेसीजन जो है वह ऐसा तो होता नहीं कि फौरन लागू हो जाता हो। वह विभिन्न मंत्रालयों में जाकर राज्यादेश का रूप धारण करता है। उसके बाद फिर इस सदन के अन्दर माननीय सदस्य प्रश्न, प्रस्ताव आदि करते हैं। और अगर यह न हुआ और जैसा हमारे माननीय दोस्त चाहते हैं वह कर दिया जाय तब तो कैबिनेट न हुआ, ४२५ सदस्यों की एक छोटी कमेटी हो जायगी जो अमान्य है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मंत्रि परिषद् का जब फैसला, श्रीमन्, हो जाता है तब अखबारों में ये दे देते हैं और रेडियों द्वारा उसका प्रचार करते हैं, उस सूरत में सदन के माननीय सदस्यों को बताने में इनको क्या दिक्कत है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वह तो बतायेंगे ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

वही तो हम भी चाहते हैं। हां, जहां जनहित में न बताना चाहें वह आप न बतावें, उसका तो अधिकार आपके पास है ही। इसलिये जो संशोधन दिया गया है वह बिल्कुल ठीक है। उसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन, जो बात माननीय बंशीधर जी ने कही वह ध्यान देने योग्य है। इन्होंने कहा कि डेसीजन्स आफ दि कैबिनेट विभिन्न विभागों को वितरित कर दिये जाते हैं और फिर उस पर राजाज्ञा होती है और उस राजाज्ञा पर माननीय सदस्यों को अधिकार है कि प्रश्न करें। डिसीजन विभागाध्यक्षों, विभागीय कर्मचारियों और साधारण से साधारण लिपिक को भी मालूम हो सकता है लेकिन इस सदन के माननीय सदस्यों को जानने का अधिकार नहीं है। आप जरा इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। यह बात सत्तारूढ़ दल की तरफ से है। तो जो संगत बात है आप उसे स्वीकार करें।

श्री बंशीधर पांडेय—

इन्हें भ्रम है। वह राजाज्ञा का रूप ले ले तब आप विचार कर ही सकते हैं।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

कैबिनेट का डिसीजन राज्यपाल की असेन्ट से पूर्व सीक्रेट होते हैं और जब असेन्ट हो जाती है तब वह राजाज्ञा का रूप धारण करते हैं और तब वह सरकारी आज्ञा बन कर सामने आ जाते हैं और फिर उस पर आगे कार्यवाही होती है। जब तक वह सीक्रेट है तब तक कैसे उन पर विचार हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि पृष्ठ ४ पर मद (२७-क) एवं उसके अन्तर्गत नियम २९ के खंड (१५) में प्रस्तावित संशोधन निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

व्यवस्था का प्रश्न। श्रीमन, अगर आपने हाथ उठवाया होता तो जो आपने 'हां' वाली स्थिति अपनायी है वह न होती। केवल कृष्णानन्द राय ने 'हां' कहा था। आपके कान धोखा नहीं दे सकते और न वह हमको धोखा दे सकते हैं। 'हां' की संख्या 'नहीं' की संख्या से कम थी।

श्री बंशीधर पांडेय—

५ आदमी बैठे हैं और कहते हैं कि 'नहीं' की संख्या ज्यादा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम २९ के प्रस्तावित उपनियम (२०) के अन्त में "परन्तु जांच प्रारम्भ करने के पहले पूछा जा सकेगा" जोड़ दिया जाय।

जब कोई इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है तो किसी कमीशन किसी न्यायाधिकरण और अदालत के विचाराधीन है तो हम जवाब नहीं दे सकते। मैं इतनी सफाई चाहता हूं कि न्यायाधिकरण या जांच आयोग या अदालत में जब मुकदमा पेश हो जाता है या जांच आरम्भ हो जाती है उस समय उस पर विचार न हो लेकिन जांच आरम्भ होने के पहले तो पूछा जा सकता है। जांच आयोग में कई महीने लग जाते हैं और काम शुरू नहीं होता है। मुकदमा अदालत में पेश हो जाय उस समय सदन में विचार नहीं होना चाहिये।

श्री होतीलाल अग्रवाल---

जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है अगर यह संशोधन माना न जाय तब भी पांडेय जी का मंशा पूरी हो जाती है क्योंकि आप पहले तो पूछ ही सकते हैं। जब वह अदालत में पहुंच जाता है तब आप नहीं पूछ सकते हैं। जांच आरम्भ हुई या नहीं, लेकिन सबजुडिस होने से पहले आप पूछ सकते हैं। तो इसमें इस समय भी कोई रुकावट नहीं है। आपका संशोधन हो या न हो तब भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन जब वह सब जुडिस हो जायगा, अदालत या कमीशन के सामने वह प्रश्न चला जायगा तो उसके बाद आप नहीं पूछ सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय---

लोकसभा के नियम ४१ (२२) में यह है कि "विचाराधीन" यानि पेंडिंग बिफोर दि कोर्ट और हमारे यहां रूल में भी यह है। पांडेय जी चाहते हैं कि "जांच प्रारम्भ होने से पहले" जो बिलकुल साहित्य के शब्द हैं। कानूनी शब्द नहीं हैं। 'विचाराधीन" लोक सभा के नियम में है और हमारे नियमों में भी विचाराधीन है यानी पेंडिंग बिफोर दि कोर्ट"। इनके लीगल शब्द नहीं हैं इसलिये इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जो बात कहीं है वह सही हो सकती है, लेकिन आपने देखा कि आये दिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि न्यायाधिकरण की बात कह दी जाती है। हम प्रश्न पूछते हैं तो कह दिया जाता है कि सबजुडिस हो गया। माननीय कृष्णानन्द राय जी बहुत लीगल ब्रेन रखते हैं। पेंडिंग का मतलब यह है कि पड़ा हुआ है। विचाराधीन का मतलब यह है कि ऐक्टिव कंसीडरेशन में है। जब इन्क्वायरी शुरू हो जाती है तो वह सबजुडिस हो जाता है। पेंडिंग की बात समझ में नहीं आती है। न्यायाधीकरण के नियुक्त किए जाने से किसी विषय को विचाराधीन नहीं माना जा सकता है।

श्री अध्यक्ष---

विचाराधीन हो या पेंडिंग हो। देखना यह है कि रूल का मन्शा क्या है। मन्तव्य यह है कि सदन के अन्दर किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में चर्चा न हो जिस चर्चा का प्रभाव न्यायाधिकरण या न्यायालय पर पड़े। यह मौलिक सिद्धांत है। उस मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम आज रामसुन्दर पांडेय जी के संशोधन पर विचार कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

हम कहते हैं कि हमें किसी जाली मुकदमे में फंसा दिया गया उसमें आप देखें कि होता क्या है। सदन में अनेकों उदाहरण हैं, सरकार कह देती है कि थाने में गया तो सबजुडिस है। कोई घटना घटी, जांच आयोग मुकर्रर हुआ, तो विचाराधीन है। आप अयोध्या वाले कांड पर फैसला किए हैं, वह फैसला आपने सीमित कर दिया था। न्यायाधिकरण के सुनने के पहले क्या फर्क

पड़ जायगा ? न्यायाधिकरण के सामने प्रस्तुत हो जाना और सुपुर्द कर देना, दोनों में फर्क है। न्यायाधिकरण उस पर विचार न करे तो विचाराधीन नहीं माना जा सकता।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

यह जो कहा कि थाने में रिपोर्ट करने से सबजुडिस हो जाता है, ठीक नहीं है। जब चार्ज-शीट हो तब होता है। न्यायाधिकरण को सुपुर्द नहीं करते हैं तो बहस की जा सकती है, उसके बाद नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि नियम २९ के प्रस्तावित उपनियम (२०) के अन्त में "परन्तु जांच प्रारम्भ होने के पहले पूछा जा सकेगा", जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष जी, आप नियम ३३ को देखें, उसमें यह है कि सवालों का उत्तर सरकार एक दिन पहले देगी।

श्री अध्यक्ष—

३३ के बारे में इसमें कोई संशोधन नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आपको अधिकार देना चाहता हूं और वह सरकार के लिए भी अच्छी बात है कि नियम बना हुआ है। पुराने में स्पष्ट है कि सरकार एक दिन पहले सवालों का उत्तर मेम्बरों के पास भेज देगी किन्तु होता यह है कि आपके बार-बार निर्देश के बावजूद भी ऐसा हो रहा है कि सवालों के उत्तर.....

श्री अध्यक्ष—

आगे चलिए। इस समय नहीं, फिर कर लीजिएगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ५ के मद (३३) पर नियम ३४ के सम्बन्ध में प्रस्तावित संशोधन निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर चालू नियम ३४ ही रक्खा जाय।

नियम ३४ में देखें कि पुराने नियम में है "एक सदस्य एक दिन में तीन तारांकित प्रश्नों से अधिक नहीं पूछेगा"....और इस नए नियम में तीन की जगह दो ही प्रश्न करने का अधिकार दिया गया है। नियमावली तो आप देखें कि वह सदस्यों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए, सदन के अधिकार को बढ़ाने के लिए बनायी जाती है। जनता की आबादी बढ़ी, तकलीफें बढ़ीं और सवालों के माध्यम से हम सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट कर सकते हैं तो उसको भी सीमित कर दें, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पुराना नियम था जिसमें एक दिन में एक सदस्य को तीन तारांकित प्रश्न करने का अधिकार है वही रहे।

अब जो दो प्रश्नों का प्राविधान किया जा रहा है इससे ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारों को सीमित और कम किया जा रहा है। हमारे अधिकार तो बढ़ने चाहिए थे।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

हाउस आफ कामन्स में भी पहले ३–३ प्रश्न एक माननीय सदस्य कर सकते थे। लेकिन उन्होंने भी जब देखा कि जितने सवाल आते हैं उनके उत्तर नहीं हो पाते तो उन्होंने ३ के स्थान पर

[श्री होतीलाल अग्रवाल]

२ प्रश्न कर दिए । हमारे यहां एक घंटे में २०–२५ प्रश्न से अधिक नहीं हो पाते । इसलिए यह सोचा गया कि सब को या और अधिक माननीय सदस्यों को मौका मिल सके । अक्सर एजेन्डे में १००–१०० प्रश्न तक आते हैं । इसपर कमेटी ने बहुत विचार कर लिया है इसलिए इसे स्वीकार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष––

हाउस आफ कामन्स में भी. . . .

"The number of questions for oral answer which may be asked by a Member on the same day is now limited to two..

आगे है––

"The Clerks at the table examine questions standing in the Order Book for the following day and transfer excess question to the non-oral list. ....."

माननीय रामसुन्दर जी जो बात कहते हैं, वह है तो ठीक, मगर यहां खयाल यह रखा गया है कि अधिक माननीय सदस्यों को मौका मिल जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय––

बहुत से माननीय सदस्य तो ऐसे हैं जो सवाल नहीं करते । अगर आप यह संख्या २ की निर्धारित कर दें तब भी वे नहीं करेंगे । अगर सरकार के अधिकारी कोई गलत काम करते हैं तो प्रश्नों के द्वारा ही हम उस चीज को यहां ला सकते हैं और उसका परिमार्जन कर सकते हैं । अगर यहां सदन में प्रश्नों का उत्तर नहीं भी आता है, तो भी जो प्रश्न हम देते हैं उसका प्रभाव बहुत कुछ हो जाता है क्योंकि उन प्रश्नों पर सरकार कार्यवाही तो करती ही है और उसी बहाने फाइल यहां तक आती है । सरकार की गलतियों का उसी से परिमार्जन हो जाता है । चाहे सब सवाल सदन के सामने न आवें, लेकिन तारांकित प्रश्न पूछने की संख्या ३ से कम नहीं होनी चाहिए । नियमावली को आप देख लें, जहां इनका लाभ होता है वहां तो स्वीकार कर लिया और जहां उनका लाभ नहीं होता है, उसे अस्वीकार कर देते हैं । अगर मानना है तो सब को मानें ।

श्री होतीलाल अग्रवाल––

अध्यक्ष महोदय, यह सदन में ही सब पार्टी की तरफ से तय हुआ है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय––

सबने अपनी सहमति नहीं प्रकट की है, हमने उसमें अपनी असहमति प्रकट की है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय––

श्रीमन्, उस समिति में मैं भी कुछ समय के लिए था और इत्तफाक से उसी समय यह प्रश्न समिति के सामने आया था । मैंने भी अपनी राय उसके खिलाफ दी थी, पता नहीं वह लिखा गया या नहीं । इस सम्बन्ध में आपने जो हाउस आफ कामन्स का हवाला दिया, तो वह एक दो दिन या १८ वर्ष का तजुर्बा नहीं है, बल्कि हजार बारह सौ वर्ष का तजुर्बा है जो उन्होंने ८ से लेकर २ तक तारांकित प्रश्न की संख्या कर दी है । वहां जनतन्त्र के प्रति बड़ी साख है ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्नों की प्रथा तो १९०५ से पड़ी है ।

प्रश्न यह है कि पृष्ठ ५ के मद (३३) पर नियम ३४ के सम्बन्ध में प्रस्तावित संशोधन निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर चालू नियम ३४ ही रखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कृष्णानन्द राय––

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। माननीय केशरीप्रसाद पांडेय और माननीय राम सुन्दर पांडेय भी उस रूल्स कमेटी में रह चुके हैं और वहां जितने रिकमेंडेशन्स हुए हैं वे सब यूनैनिमस हुए हैं और फिर ये लोग यहां सदन में भाषण दे रहे हैं। इसलिए यहां इन लोगों को न बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष––

यह विषय निश्चय हो चुका है, जो हमारे संकलन में है कि प्रवर समिति में कुछ ने एक राय दी और बाद में सदन में आकर दूसरी राय दी, तो यह आग्रह था कि उन्हें यहां उसके प्रतिकूल न कहने दिया जाय। इस पर यह निर्णय दिया गया कि हर एक सदस्य को अपने मत को परिवर्तन करने का अधिकार है।

श्री रामसुन्दर पांडेय––

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ५ पर मद (४१) द्वारा प्रस्तावित नियम ५२ में "एक घंटा पूर्व" के स्थान पर "आधा घंटा पूर्व" ही रखा जाय।

क्योंकि ऐसा न होने से हमें साढ़े ९ बजे हाउस में आ जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि "आधा घंटा" का समय रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष––

मैं निवेदन कर रहा था कि मैं हर एक नियम ५२ की सूचना को पढ़ता हूं। आधे घंटे में मुझे बड़ी कठिनाई होती है। जब १०–१५ तक नियम ५२ के अन्तर्गत आ जावें तो एक दो मिनट में मैं क्या देख सकता हूं और उसमें गलतियां भी हो जाती हैं। इसलिए पांडेय जी से मेरा निवेदन है कि इसे वे वापस ले लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय––

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं अपने इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कृष्णानन्द राय––

मैं प्रस्ताव करता कि पृष्ठ १४ पर मद (८७) में प्रस्तावित नियम १२७ की पंक्ति १ में अंक १२५ के स्थान पर १२६ रख दिया जाय।

१२५–१२६ पहले ही बन चुके हैं वह तो नम्बरिंग की बात है।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि पृष्ठ १४ पर मद (८७) में प्रस्तावित नियम १२७ की पंक्ति १ में अंक १२५ के स्थान पर १२६ रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय––

मैं प्रस्ताव करता कि पृष्ठ १९ पर मद (११६) की प्रथम पंक्ति में शब्द "के" और शब्द "स्थान" के बीच शब्द "उपनियम १ के" रख दिए जायं, तथा उसमें प्रस्तावित नियम १७१ की प्रथम पंक्ति में शीर्षक के पश्चात् और शब्द "जब सदनों" के पूर्व कोष्ठक एवं अंक "(१)" बढ़ा दिए जायं।

[श्री कृष्णानन्द राय]

यह लिखने और समझने मे कठिनाई मालूम पड़ रही है। अगर आप रूल्स कमेटी की रिकमेन्डेशन्स देखें तो यह मालूम होगा कि रूल १७१ में दो क्लाजेज हैं। क्लाज (२) के रूल्स में यह लिखा है--"तदुपरान्त उसी प्रक्रिया का.....जहां तक व्यवहार्य होगा अनुसरण किया जाएगा।" जो कि गवर्नमेंट के अमेन्डमेन्ट के लिए आता है। कौन-सी प्रक्रिया की जाएगी यह क्लाज (२) में है। कमेटी ने रिकमेन्ड किया है कि क्लाज (२) के अनुसार कोई दूसरा रिकमेन्ड न करे। १७१ के अनुसार अगर कमेटी की रिकमेन्डेशन मान ली जाती है तो कौन-सी प्रक्रिया होगी यह खत्म हो जाता है। मैंने यह प्रस्ताव किया है कि उसकी रिकमन्डेड क्लाज (१) मान ली जाय और क्लाज (२) प्रक्रिया सम्बन्धी उसी तरह रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

इसमें गड़बड़ है। इसमें आपने यह नहीं लिखा कि १७१ (२) कायम रक्खा जाय यह तो कहा नहीं यह जो आपने रखा है इसका क्या मतलब है? अगर (१) रखा जायगा तो (२) कहीं आवेगा या नहीं?

श्री कृष्णानन्द राय--

१७१ नियम में २ क्लाज हैं। पहला क्लाज जो संशोधन राज्यपाल क्लाजेज में सजैस्ट करते हैं उनके लिए है। लेकिन दूसरे क्लाज में यह है कि ओरिजिनल विधेयक उस अमेंडमेंट के साथ पुनः पास कराना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष--

आपको यह भी तो रखना चाहिए था कि मूल नियम १७१ (२) भी रखा जाय। यह आपने किया नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय--

मंशा तो हमारा यही है। हमारा संशोधन आप मान लेंगे तो ठीक वहीं मंशा पूरा होता है। यह होगा कि नियम १७१ के उपनियम (१) के स्थान पर यह लिख दिया जाय। उपनियम (२) अपने स्थान पर रहेगा।

श्री होतीलाल अग्रवाल--

इसमें १७१ का जो पैरा है उसे वह (१) करना चाहते हैं। और इसमें कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

तो यह हुआ कि १७१ के उपनियम (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय--

जी हां।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

प्रश्न यह है कि पृष्ठ १९ पर मद (११६) की प्रथम पंक्ति में शब्द "के" और शब्द "स्थान" के बीच शब्द "उपनियम (१) के" रख दिए जावें तथा उसमें प्रस्तावित नियम १७१ की प्रथम पंक्ति में शीर्षक के पश्चात् और शब्द "जब सदनों" के पूर्व कोष्ठक एवं अंक "(१)" रख दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय––

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २० पर मद (१२९) द्वारा प्रस्तावित नियम १८८ (१) में "सामान्यतया" शब्द निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "कम से कम" रख दिया जाय।

इसमें है कि सामान्यतया चर्चा ५ दिन तक होगी। मैं यह चाहता हूं कि ५ दिन कम से कम हो। ५ दिन से अधिक का अधिकार आपको रहे, लेकिन चूंकि बजट का मामला है और सभी लोग कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए कम से कम ५ दिन अवश्य होना चाहिए।

श्री होतीलाल अग्रवाल––

आम तौर से अभी तक ५ दिन दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि कोई अध्यक्ष ऐसा नहीं होगा जो आपके अधिकारों को कम करना चाहेगा। सामान्यतया के मानी यही हैं कि ५ के बजाय ४ और ६ दिन भी हो सकते हैं। इसे अध्यक्ष के विवेक पर छोड़िए।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)––

लोक सभा में तो ५ दिन भी नहीं है। बिल्कुल अध्यक्ष के विवेक पर है। इसलिए सामान्यतया ठीक ही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय––

यह परम्परा रही है कि ५ दिन तक बहस होती रहती है। जगदीशप्रसाद जी को क्या परेशानी है अगर कम से कम ५ दिन कर दिए जावें? श्रीमन्, आप जानते हैं कि बजट में हर आदमी तो बोल नहीं पाता है। कुछ चुने हुए लोग कटौती पेश करते हैं और अपनी बात कह देते हैं। लेकिन सामान्य विवाद में जिन्हें आप बैक-बेंचर्स कहते हैं उनको भी अवसर मिल जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक अधिकार आपको हो और कम से कम ५ दिन का संशोधन मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि पृष्ठ २० पर मद (१२९) द्वारा प्रस्तावित नियम १८८ (१) में "सामान्यतया" शब्द निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "कम से कम" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय––

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २१ पर मद (१३०) एवं उसके नियम १८८ के उपनियम (२) में प्रस्तावित संशोधन निकाल दिया जाय।

कमेटी की सिफारिश यह है कि "सामान्य" शब्द निकाल दिया जाय। मैं लोक सभा के नियम २०७ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें फाइनेन्स मिनिस्टर को राइट आफ रिप्लाई का प्राविजन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय––

अध्यक्ष जी, अभी सामान्यतया शब्द के बारे में सदन मेरा संशोधन अस्वीकार करा चुका है तो यह संशोधन नहीं आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष––

इस शब्द का अर्थ अलग-अलग जगहों पर भिन्न-भिन्न हो सकता है। सामान्ततया के माने अंग्रेजी में कहीं "आर्डिनरिली' होते हैं। वह चाहते हैं कि सामान्यतया शब्द कायम रहे।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

इससे क्या लाभ होगा ?

श्री होतीलाल अग्रवाल--

और मिनिस्टर तो अपने-अपने विभागों का जवाब देंगे, लेकिन फाइनेन्स मिनिस्टर सब विभागों का जवाद देंगे। इसलिए यह ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि पृष्ठ २१ पर मद (१३०) एवं उसके नियम १८८ के उपनियम (२) में प्रस्तावित संशोधन निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, पृष्ठ २२ पर मद (१४१) में प्रस्तावित नियम १९२ के शीर्षक "अनुदान को हटाने या कम करने के प्रस्ताव की सूचना" के स्थान पर शीर्षक "कटौती के प्रस्ताव की सूचना" रख दिया जाय।

इसमें कमेटी की रिकमेंडेशन 'अनुदान को घटाने' की है, लेकिन कट-मोशन में अनुदान को घटाया नहीं जा सकता, एक रुपया या १० रुपया रिड्यूस किया जा सकता है। इसलिए यह कट-मोशन की डेफिनीशन को खत्म कर देता है।

श्री होतीलाल अग्रवाल--

यह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि पृष्ठ २२ पर मद (१४१) में प्रस्तावित नियम १९२ के शीर्षक "अनुदान को हटाने या कम करने के प्रस्ताव की सूचना" क स्थान पर शीर्षक "कटौती के प्रस्ताव की सूचना" रख दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, पृष्ठ ३३ पर मद (१५३) और उसमें नियम २१३ का प्रस्तावित संशोधन निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, इस नियम में यह रखा गया है कि पार्टीज जो कमेटी के सामने आएगीं वे वकील के जरिए अपने को रिप्रजेन्ट कर सकती हैं। लेकिन उसमें विटनेस के लिए रखा गया है और उसको काउन्सिल के जरिए अपने को रिप्रेजेन्ट करने का अधिकार दे दिया गया है। यह एवीडेन्स ऐक्ट के विरुद्ध पड़ता है।

श्री होतीलाल अग्रवाल--

मुझे स्वीकार है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

यह अच्छी बात है। इसमें जन साधारण के अधिकार को विस्तृत किया जा रहा है। अगर ऐसा अधिकार यह सदन विटनेस को न दे सका तो और कौन देगा। फिर यह परम्परा बन जायगी और उसका प्रचलन हो जायगा। यह अच्छी चीज है। वकील तो उसके साथ आएगा।

श्री अध्यक्ष––

नियम २१३ में, यह है––"समिति किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा नियुक्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता से कराए जाने की अनुमति दे सकेगी। इसी प्रकार कोई साक्षी समिति के समक्ष अपने द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता के साथ उपस्थित हो सकेगा।" वह तो रहेगा ही।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)––

उस कमेटी के सभापति की हैसियत से उपाध्यय जी बैठे हैं और समिति ने सब चीजों पर ब्योरेवार विचार किया है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि कोई भी संशोधन जो उधर से स्वीकृति के लिये आता है तो वह इतनी जल्दी पास होने लगता है और पूरी कमेटी का जो संशोधन करने का मतलब था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि पृष्ठ २३ पर मद (१३) और उसमें नियम २१३ का प्रस्तावित संशोधन निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय––

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २३ पर मद (१५४) और उसमें नियम २१७ का प्रस्तावित नया उपनियम (४) निकाल दिया जाय।

इस उपनियम (४) में कमेटी की सिफारिश है कि जितनी हमारी समितियां हैं, लोक लेखा, विशेषाधिकार या प्रतिनाहित विधायन इनकी सिफारिशों पर बिना किसी मोशन के सदन में विचार किया जाय। लेकिन हाउस आफ प्यूपिल्स में या दूसरे राज्यों के सदनों में कहीं पर भी बिना फार्मल मोशन के कमेटियों की रिपोर्ट पर विचार करने का प्राविधान नहीं है, जहां है वह अलग से नियमों में दिया है। मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय––

उनकी बहस तो उल्टी हो रही है, जब कोई प्रतिवेदन सदन में आ जाता है तो वह सदन की प्रापर्टी हो जाता है और आपकी अनुमति के बाद उस पर बहस का अधिकार सदन का हो जाता है। केवल आपकी अनुमति की आवश्यकता होती है। इसमें फार्मल मोशन की जरूरत नहीं है, उसमें तो स्वतः सदन को अधिकार प्राप्त हो जाता है बहस का, वह बात दूसरी है कि सदन इस पर विचार करना न चाहे।

श्री अध्यक्ष––

वह कहते हैं कि प्रस्ताव द्वारा बहस हो सकती है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय––

इसमें प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, जब प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया तो केवल आप की अनुमति की प्रक्रिया रह जाती है, तिथि निश्चित करने की बात रह जाती है। बाकी फार्मल-मोशन की जरूरत नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय––

आप इसको श्रीमान् देख लें।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि यह जो चौथे नम्बर का उपनियम है उसको वह निकालना चाहते हैं बाकी नियमावली तो वैसी ही रहती है। इसमें यह था कि प्रतिवेदन दाखिल होने के बाद कोई माननीय सदस्य भी अध्यक्ष महोदय से उस पर विचार करने के लिये समय मांग सकता है और फिर अध्यक्ष उसके लिये समय निश्चित करेंगे, केवल इतनी सी बात को निकालने की बात है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि पृष्ठ २३ पर मद (१५४) और उस में नियम २१७ का प्रस्तावित नया उपनियम (४) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय किशोरी लाल जी नहीं हैं, लेकिन उनका यह संशोधन २४ नम्बर का जरूरी है। इसमें यह है कि नियमावली में प्राविधान स्वायत्त शासन के निकायों की जांच के लिये नहीं है, इसको किसी और के ही नाम ले लिया जाय। क्रम संख्या २३ से २६ को कृष्णानन्द राय जी की ओर ले लीजिये ?

श्री अध्यक्ष—

हम आपका संशोधन जो क्रम संख्या २७ पर है माने लेते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २४ पर मद (१५५) से (१५९) द्वारा नियम २३०–२३२ के संबंध में प्रस्तावित संशोधनों को निकाल दिया जाय और चालू नियम २३०–२३२ ही रखे जायं।

श्रीमन्, अब तक की जो परिपाटी रही है वह अच्छी रही है। इसमें यह है कि आपके ऊपर कोई संदेह की दृष्टि से न देखे तो जो हमारा पुराना नियम है, वह ही रहे नया न रहे।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

यह संशोधन हमें स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि पृष्ठ २४ पर मद (१५५) से (१५९) द्वारा नियम २३०–२३२ के संबंध में प्रस्तावित संशोधनों को निकाल दिया जाय और चालू वित्तीय वर्ष नियम २३०–२३२ ही रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २४ पर मद (१६१) में प्रस्तावित नियम २५१ के

(१) प्रस्तावित उपनियम (क) में शब्द "सात दिनों" के स्थान पर शब्द, "चौदह दिनों" रख दिये जायं।

(२) प्रस्तावित उपनियम (घ) में शब्द "सात दिन" के स्थान पर शब्द "तीस दिन" रख दिये जायं।

श्रीमन्, ये रूल्स के रिवीजन के संबंध में कुछ रिकमेंडेशन्स हैं कमेटी की। जो कि एग्जिस्टिंग नियम हैं, उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। यदि ये रूल्स रख दिये जाते हैं, और

किसी को पता नहीं चलता है तो ७ दिन का समय यों ही निकल जाता है। इससे अब समय मिल जायगा और इसीलिये हमने पहली स्टेज पर १४ दिन और फाइनल स्टेज में १४ दिन के स्थान पर ३० दिन रख दिये जायं।

श्री होतीलाल अग्रवाल--

यह संशोधन हमें स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि पृष्ठ २४ पर मद (१६१) में प्रस्तावित नियम २५१ के:

(१) प्रस्तावित उपनियम (क) में शब्द "सात दिनों" के स्थान पर शब्द "चौदह दिनों" रख दिये जायं।

(२) प्रस्तावित उपनियम (घ) में शब्द "सात दिन" के स्थान पर शब्द "तीस दिन" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २५ पर मद (१६३) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित संशोधन रख दिया जाय :--

"१६३--नियम २७१ में जहां जहां शब्द "प्रस्ताव" आया है वहां वहां उसके स्थान पर शब्द "संकल्प" रख दिया जाय।"

श्रीमन्, यह जो नियम है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव उसके संबंध में है। रूल्स रिवीजन कमेटी ने यह प्रस्ताव किया है कि जहां जहां पर शब्द "संकल्प' आया है, उसके स्थान पर शब्द "प्रस्ताव' रख दिया जाय, लेकिन यदि आप संविधान के आर्टिकिल १७९-१८१ तक देखें तो आप पायेंगे कि उनमें भी शब्द "संकल्प" ही है। तो इसका नतीजा यह होगा कि संविधान में तो 'संकल्प' ही रहेगा और हमारे नियमों में "प्रस्ताव" हो जायगा तो यह मुनासिब बात नहीं है। इसलिये हमने यह संशोधन रखा है ताकि एक दूसरे के विरुद्ध प्राविधान न हो जाय।

श्री होतीलाल अग्रवाल--

यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि पृष्ठ २५ पर मद (१६३) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित संशोधन रख दिया जाय।

"१६३--नियम २७१ में जहां जहां शब्द "प्रस्ताव" आया है वहां वहां उसके स्थान पर शब्द "संकल्प" रख दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २६ पर मद (१६७) में मूल नियम २७२ के भाग (क) की पंक्ति २ में रखे जाने वाले शब्दों में शब्द "प्रस्ताव" के स्थान पर शब्द "संकल्प" रख दिया जाय।

वही वैधानिक कठिनाई दूर करने के लिये है।

श्री होतीलाल अग्रवाल--

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि पृष्ठ २६ पर मद (१६७) में मूल नियम २७२ के भाग (क) की पंक्ति २ में रखे जाने वाले शब्दों में "प्रस्ताव" के स्थान पर शब्द "संकल्प" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २७ पर मद (१७७) द्वारा नियम २९९ में प्रस्तावित संशोधन को निकाल दिया जाय और चालू नियम ही रखा जाय।

पुराना जो नियम है उस में और इस नियम में जरा सा फर्क हो गया है और वहां पर फर्क हो गया है कि जहां पर किसी सदस्य को इंगित करने, निष्कासित करने का प्रस्ताव आयेगा तो उस पर कोई संशोधन, कोई विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं रहेगा। यह संशोधन प्रतिवेदन में है कि कोई संशोधन नहीं हो सकेगा, और न कोई वाद विवाद हो सकेगा और वह आखिरी मान लिया जायगा। मैं इतनी सी बात चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी पक्ष के लोग हों, चाहे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हों, भूल या आवेश के कारण गलती करते हैं और जब उधर से उस के ऊपर गलती का भार पड़ता है, अगर कोई सुझाव देता है, संशोधन देता है पुनः विचार करने के लिये उसी वक्त प्रश्न उपस्थित कर देता है तो गलतियों का परिमार्जन हो जाता है। लेकिन प्रतिवेदन में जो संशोधन है वह अधिकार को सीमित कर देता है और सदस्यों के लिये नुक्सानदेह हो सकता है। इसलिये मैं चाहता था कि पुरानी जो नियम है वही नियम रहे और इस प्रकार का नियम न हो जैसा प्रतिवेदन में है तो अच्छा हो। मैं चाहता हूं कि प्रतिवेदन में जो संशोधन है वह हटा दिया जाय और पुराना नियम ही रखा जाय।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

मैं इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार था जो माननीय रक्षपाल सिंह और माननीय हरीश कुमार गंगवार ने रखा था कि "४" के स्थान पर "३" और "१५" के स्थान पर "७" रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह तो हैं नहीं।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

लेकिन मैं इस को नहीं मानता हूं क्योंकि इस में पुरानी बात आ जायगी। जो सदस्य दो दफा अनुशासन भंग कर चुके हैं उन को भी वही सजा और जो एक दफा कर चुके हैं उन को भी वही सजा। इसलिए मैं इस को स्वीकार नहीं करता। इस के अलावा लोक सभा और हाउस आफ कामन्स में भी इसी तरह के प्रस्ताव हो गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हम चाहते थे कि जहां नियम २९९ में इंगित करने का प्राविधान है उस में यह भी लिखा हुआ है कि कोई संशोधन नहीं हो सकेगा, वादविवाद नहीं हो सकेगा। यह आदेश अंतिम हो जायगा और अगर कोई संशोधन लाता है, वाद विवाद करना चाहता है तो उस को अधिकार नहीं होगा। जब कि मैं चाहता हूं कि यह अधिकार मिलना चाहिये। आप ने कई बार स्वीकार किया है कि गलती हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोग अगर सुझाव देना चाहें तो उस पर विवाद हो जाय, बहस हो जाय, और अधिकार तो बहुमत को रहेगा ही।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

दंड की प्रक्रिया के बारे में मैं कुछ नहीं कहता। अन्त में आप देखें, प्रतिवेदन में है कि ऐसे प्रस्ताव पर प्रश्न बिना किसी संशोधन या विवाद या स्थगन प्रक्रिया के सदन के समक्ष उपस्थित कर दिया जायगा।

इस शब्द को आप देखें तो इसके माने क्या हो जाते हैं। हो सकता है कि एक महीने के बजाय १५ दिन ही करें या उन्होंने गलती न की हो, जो इंगित किया जा रहा हो वह गलत किया जा रहा हो। इस प्रकार के विचार यदि सदस्य देना चाहते हैं तो उनको अधिकार मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

जो हाउस आफ कामन्स में है उसी को लिया है।

श्री होती लाल अग्रवाल---

पार्लियामेंट में भी यही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने, जो आपके सामने प्रस्ताव रखा है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है और यह हमारे अधिकारों पर, यदि आप नहीं मानेंगे, तो कुठाराघात हो जायगा। कभी कभी माननीय सदस्य इधर से ऐसी बात कह देते हैं कि मंत्री लोग आवेश में आ जाते हैं। तो आवेश में आकर किसी माननीय सदस्य को जिसको एक बार भी पहले आपने इंगित या निलम्बित नहीं किया है उसको एक महीने के लिये निकालते हैं, इस प्रकार का कोई आवेशपूर्ण प्रस्ताव आ गया तो उस पर कोई अंकुश रहना चाहिये या नहीं ? यदि आप अंकुश नहीं रखते हैं तो फिर कौन रखेगा ? और यदि आप नहीं रखते हैं तो फिर इस सदन को अधिकार दें ताकि जो गलत प्रस्ताव आये उस पर संशोधन दिया जा सके। कभी कभी ऐसा होता है कि मुख्य मंत्री नहीं होती हैं, यदि वह हों तो शायद कोई गलत प्रस्ताव न आये। और उपनेता सदन अब माननीय हुकुम सिंह हैं नहीं, माननीय गिरधारीलाल जी हैं। उनकी बात तो आप जानते ही हैं। वे कभी होश हवास में रहते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---

अब ये सब बातें न कहिये। प्रश्न यह है कि पृष्ठ २७ पर मद (१७७) द्वारा नियम २९९ में प्रस्तावित संशोधन को निकाल दिया जाय और चालू नियम ही रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

श्रीमन्, मेरा एक संशोधन था। मैं प्राक्कलन समिति की बैठक में चला गया था।

श्री अध्यक्ष---

अब तो वह हो गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन, अनेक बार ऐसा हुआ है। विधेयकों के समय आपने किया है, और समय भी किया है।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा, अच्छा। उपाध्यक्ष जी ने आपका संशोधन स्वीकार किया है। अगर सदन की इजाजत हो तो मैं ले लूं।

(किसी के आपत्ति न करने पर)

श्री रक्षपालसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि पृष्ठ २७ पर मद (१७७) द्वारा संशोधित नियम २९९ (२) की पंद्रहवीं पंक्ति में आये अंक "४" के स्थान पर "३", तथा अंक "१५" के स्थान पर "७" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--

यह उपाध्यक्ष महोदय स्वीकार कर रहे हैं।

श्री होतीलाल अग्रवाल--

जी हां।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि पृष्ठ २७ पर मद (१७७) द्वारा संशोधित नियम २९९ (२) की पंद्रहवीं पंक्ति में आये अंक "४" के स्थान पर "३", तथा अंक "१५" के स्थान पर "७" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २८ पर मद (१८०) में प्रस्तावित नियम ३०५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"सदन के उपवेशनों के समय, सदन के परिसर के उन भागों में, जो केवल सदस्यों के उपयोग के लिये सुरक्षित नहीं हैं, अजनबियों का प्रवेश अध्यक्ष के आदेश या उनके द्वारा निर्मित नियमों द्वारा विनियमित किया जायगा।"

श्रीमन्, यह कोई संशोधन नहीं है। केवल इसका मतलब साफ कर दिया गया है। इसलिये हमने इसको रख दिया है।

श्री होतीलाल अग्रवाल--

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि पृष्ठ २८ पर मद (१८०) में प्रस्तावित नियम ३०५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"सदन के उपवेशनों के समय, सदन के परिसर के उन भागों में जो केवल सदस्यों के उपयोग के लिये सुरक्षित नहीं हैं, अजनबियों का प्रवेश अध्यक्ष के आदेश या उनके द्वारा निर्मित नियमों द्वारा विनियमित किया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २८ पर मद (१८९) एवं उसमें प्रस्तावित संशोधन निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, १८९ पर कमेटी ने प्रस्ताव किया है कि जहां जहां शब्द सदन आया है उसके स्थान पर विधान भवन रख दिया जाय। यह तो इतना जनरल है कि यदि कोई माननीय सदस्य सदन से निलम्बित कर दिये जायं तो वह विधान भवन से ही निलम्बित कर दिये जायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, हमने परिसर की व्याख्या के संबंध में कहा था तो उपाध्यक्ष जी ने उसको २९९ पर लेने के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि पृष्ठ २८ पर मद (१८९) एवं उसमें प्रस्तावित संशोधन निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री होतीलाल अग्रवाल---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संशोधित नियम समिति का प्रतिवेदन स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित नियम समिति का प्रतिवेदन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यापकों की मांगों तथा उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

अब साढ़े चार बजे माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

अध्यक्ष जी, हमको वक्तव्य की कापी नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष---

वक्तव्य साढ़े चार बजे होगा। उस समय यदि हो सकेगा तो मिल जायेगी।

(इस समय ३ बजकर १४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ४ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

गृह मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---

प्राप्त सूचना के अनुसार जाब्ता फौजदारी की धारा १४४ के अधीन एक निषेधात्मक आदेश जारी किया गया जो लखनऊ शहर में २७ नवम्बर, १९६६ के प्रातःकाल से एक महीने की अवधि तक अगर उससे पहले वापस न ले लिया जाय, लागू रहेगा। उक्त आदेश द्वारा यह रोक लगा दी गई थी कि उसमें उल्लिखित अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति के बिना ५ या उससे अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों। २९ नवम्बर, १९६६ को श्री हरिहर पांडेय, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने अधिकारियों को एक प्रार्थनापत्र दिया जिसमें विधान भवन के बाहर ३० नवम्बर, १९६६ से २ दिसम्बर, १९६६ तक धरना देने की और ५ दिसम्बर, १९६६ को एक जुलूस निकालने की आज्ञा मांगी गई थी। अधिकारियों ने श्री पांडे की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और उसी दिन उनको स्थिति से अवगत करा दिया। ५ दिसम्बर को सबेरे श्री हरिहर पांडे अधिकारियों से फिर मिले और उस दिन अपराहन में माध्यमिक शिक्षक संघ की संरक्षता में जुलूस निकालने की अनुमति मांगी। जुलूस निकालने की आज्ञा नहीं दी गई। अधिकारियों ने फिर भी एक संकेत दे दिया कि किसी सार्वजनिक स्थान पर यदि एक मीटिंग की जाय तो कोई आपत्ति न होगी। संघ ने छेदीलाल धर्मशाला में एक मीटिंग की जिसमें यह तय किया गया कि निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन किया जाय। इस इरादे से संघ के कुछ सदस्य अमीनाबाद में जमा हुए और जुलूस निकालना शुरू किया। उनको पुलिस ने रोका और निषेधात्मक आदेश में उल्लंघन के कारण १२ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। गिरफ्तार होने वालों में श्रीश्री हरिहर पांडे, राजाराम पांडे, विद्या सागर दीक्षित, देवी प्रसाद मिश्र, लल्ल सिंह चौहान और हृदय नारायण सिंह थे जो सभी विधान परिषद् के सदस्य हैं। कुछ समय

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]
बाद संघ के कुछ सदस्यों ने पुलिस स्टेशन हजरतगंज के निकट जुलस शुरू किया और स्थल पर पुलिस द्वारा ३० व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार होने वालों में श्री हरिराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद, भी थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि इस संघ के अध्यक्ष, हरिहर पांडेय ने कहा था कि हम मौन जुलूस निकालेंगे। लेकिन उनको मौन जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गयी। इसका क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जिलाधीश ने सब बातों पर विचार करके, ला ऐंड आर्डर के सवाल को देख कर आज्ञा नहीं दी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

पचासों आदमी बाहर इकट्ठा हो कर बात कर रहे हैं, रास्ते में आ जा रहे हैं। जो आदेश जारी किया है क्या उसमें मौन भी नहीं चल सकते ? अगर नहीं चल सकते तो क्यों वह व्यक्ति इकट्ठा हो रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह लिखा हुआ है कि पांच आदमियों का इकट्ठा होना ही गैरकानूनी है।

श्री उपाध्यक्ष—

बात यह है कि चाहे मौन जुलूस हो या जैसे पांच आदमियों का इकट्ठा होने का निषेध है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री, सदन के बाहर सामने जो सड़क है उस पर जाकर देखेंगे या दिखलवायेंगे कि इस वक्त हर स्थान पर बीस-बीस, चालीस-चालीस व्यक्ति खड़े हो कर बात कर रहे हैं ? क्या वह आज्ञा उन पर लागू होती है ? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

आपस में बात करना दूसरी बात है। और प्रोसेशन निकालना दूसरी बात है। वह प्रोसेशन बैंड था। उन्होंने प्रोसेशन निकालने का प्रयत्न किया इस लिए पकड़े गये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

गिरफ्तारियां कितने स्थानों पर हुई ? कितने आदमियों की हुई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

कुल ५० गिरफ्तारियां हुईं। ३० हजरतगंज रोड पर और ८ हुईं असेम्बली भवन के सामने कल। वह हुई ५ तारीख को। १२ हुईं अमीनाबाद पार्क के पास।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गिरफ्तारी के पहले जो लोग इकट्ठा हुए थे, उनको यह चेतावनी दी गयी थी कि दफा १४४ लगी हुई है और आप लोग पांच की संख्या से फूट कर अलग हो जाइये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी हां, मैजिस्ट्रेट ने बाकायदा उस वक्त भी ऐलान किया था कि दफा १४४ लगी हुई है आप लोग डिस्पर्स हो जाइये और इसके लिये उन्होंने दो मिनट का मौका भी हटने के लिये दिया था।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि पहले दिन कितने लोग गिरफ्तार किये गये थे और उनमें क्या दो पुलिस अधिकारी भी थे जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया था ? क्योंकि श्रीमन्, मेरी जानकारी यह है कि दो सादी पोशाक में पुलिस अधिकारी भी गिरफ्तार किये गये थे जब कि दोनों के जुर्म एक ही थे लेकिन इन्होंने अध्यापकों को तो जेल में बन्द कर दिया और अपने सिपाहियों को बचा लिया।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

ऐसी सूचना तो कोई मेरे पास नहीं है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, गवर्नमेंट की घोषित नीति यहां यह है कि जब तक जुलूस या मीटिंग शान्त रहेगी यानी वायलेन्स की सम्भावना नहीं रहेगी सरकार उसकी इजाजत देगी; अध्यापकों ने परमीशन मांगी और उन्होंने कहा कि मीटिंग और जुलूस पीसफुल और मौन रहेगा, किन्तु उसके बावजूद भी उन्होंने उसकी इजाजत क्यों नहीं दी ? उन्होंने यह रवया क्यों अख्तियार किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मीटिंग के लिये तो हमने मना नहीं किया था, केवल जुलूस के लिये मना किया था, क्योंकि वह अक्सर अशान्ति पैदा करता है और फिर उस पर कार्यवाही करनी पड़ती है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

जब आपकी सरकार ने पब्लिक मीटिंग करने की इजाजत दी, तो यह क्यों नहीं मान लिया गया कि वह आदमी दफा १४४ तोड़ने नहीं जा रहे हैं बल्कि मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह मीटिंग तो छेदीलाल धर्मशाला में हुई थी और उन्होंने वहां पर यह निर्णय किया कि वह प्रोसेशन निकालेंगे और वे जब वहां से उस रोड से निकले तो गिरफ्तार किया गया।

श्री टम्प्रेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, किसी भी प्रदर्शन या जुलूस का उद्देश्य होता है कि वह अपनी मांगों को सरकार के सामने रखे, तो क्या मंत्रिगण अब वहां पर जाया करेंगे उनका रेप्रेजेन्टेशन लेने के लिये ? क्योंकि मंत्रिगण यहां होंगे और प्रदर्शन कहीं दूर होगा तो बीच का काम कैसे चलेगा ? क्या आप डंडे से काम लेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मैं जानना चाहता हूं कि जुलूस निकालने वाले केवल क्या ४२ अध्यापक ही थे या और ज्यादा थे ? यदि ज्यादा थे तो सभी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? इसके अतिरिक्त यह भी बताएं कि दफा १४४ का प्रचार किस किस तरह से किया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

अंग्रेजी में है, मैं इसे पढ़ दूं--'नो परसन शैल असेम्बेल...

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन की आज्ञा यह है कि पत्र-व्यवहार और कार्य हिन्दी में हो, लेकिन यह आज्ञा केवल अंग्रेजी में है, हिन्दी में बिलकुल नहीं प्रसारित की गयी। अगर दोनों में प्रसारित हुई हो तो अंग्रेजी में पत्र न पढ़ कर हिन्दी में पढ़ा जाय।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मेरे पास इस समय सिर्फ अंग्रेजी की कापी है।

कुंवर श्रीपालसिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में एक नहीं दसियों बार सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि हमारा सारा काम हिन्दी में चल रहा है। मैं साफ और जानबूझ कर कहता हूं कि यह सरकार झूठ बोलती है; सरकार का सारा काम अंग्रेजी में चल रहा है। हमारे कलेक्टर सारा काम अंग्रेजी में करते हैं। आज यह पकड़े गये हैं। तो मैं यह कहता हूं कि वास्तव में हिन्दी लाने का वह प्रयास करें।

श्री उपाध्यक्ष--

कुंवर साहब, अंग्रेजी में काम हो ही न, यह कहां मना कर दिया गया है?

कुंवर श्रीपालसिंह--

२२ अप्रैल, सन् १९६१ को मंत्रिमंडल में यह तय हुआ था और उसके अनुसार पहली जुलाई, सन् १९६१ से मुख्य सचिव का परिपत्र है कि, हिन्दी में सारा सरकारी काम होगा, मगर यह लोग काम अंग्रेजी में ही करते हैं। अगर मंत्री लोग कुछ करें तो नीचे के अधिकारी हिन्दी में काम करें। लेकिन यह नहीं करते। अब आप ही यहां से इन पर जोर डालिये।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, यही पत्रावली जो मेरे पास है इसमें ही काफी कागजात लगे हुये हैं।

श्री लखपतराम शर्मा--

आपने बताया कि ४२ आदमी गिरफ्तार हुये तो क्या वहां सिर्फ ४२ आदमी ही थे या ज्यादा थे? अगर ज्यादा थे, तो ४२ आदमियों को ही क्यों गिरफ्तार किया गया?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

उपाध्यक्ष महोदय, जो भाग गये वह भाग गये और जो पकड़े गये वह पकड़ लिये गये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या इस नोटिस की कुल २ कापियां छपी थीं, एक मंत्री जी के पास आयी थी और एक डी० एम० के बंगले पर? इसकी नोटिस किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं लगायी गयी थी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, यह अखबारों को भी दी गयी। सम्पादक "नैशनल हेराल्ड", "पायनियर", "स्वतंत्र भारत", आदि आदि। नगरपालिका को भी दी गयी थी उसकी कापी।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अध्यापकों का जलूस अब तक रहा है वह बड़ा शान्त रहा है और मौन जुलूस भी निकाला है, कभी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई और न इसकी आशंका ही है तो फिर जुलूस निकालन की इजाजत क्यों नहीं दी गयी? दूसरे यह कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हो गये हैं उन्होंने भी बराबर यही कहा कि हम शान्त रहेंगे और गड़बड़ नहीं करेंगे। यह भी बताने की कृपा करें कि उनको कब तक जेल से रिहा कर देंगे?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। १४४ लगी हुई थी वह उन्होंने तोड़ी।

श्री उपाध्यक्ष--

वह यह जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने आज्ञा मांगी थी वह किस कारण से नहीं दी गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

आज्ञा इसलिये नहीं दी गई कि शान्ति और व्यवस्था बिगड़ न जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं उनमें एम० एल० सी० भी शामिल हैं तो उनको कब तक छोड़ने का इरादा है और कब तक छोड़ेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। १४४ में नहीं, १८८ में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया है, सजा काट कर छूटेंगे। जन्म भर जेल में नहीं रहेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि शिक्षकों ने पहले से यह बता रखा था कि वह उस तिथि को प्रदर्शन करेंगे अपनी मांग के लिये, तो यह १४४ इसीलिये लगाई गई ताकि वह मांग और प्रदर्शन न कर सकें ? इसके अतिरिक्त और कोई डर नहीं था ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि ला एण्ड आर्डर के लिये १४४ लगाई गई थी। उनको इस बात का भय था।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या यह सही है कि वह ४२ अध्यापक जो गिरफ्तार किये गये उनको दिन भर कोतवाली में रखा गया, रात के १० बजे उनको जेल भेजा गया, उनको भोजन नहीं दिया गया, दूसरे दिन २ बजे तक उन्होंने खाना नहीं खाया इसलिये कि उनमें से केवल ६ को सुपीरियर क्लास दी गई और शेष को, जो उन्हीं के समान योग्य और शिक्षित थे, एम० ए० और ग्रेजुएट थे उनको 'सी' क्लास में रखा गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इन सब सवालों के लिये नोटिस चाहिये।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि जो लोग पकड़े जा सके, पकड़े गये और बाकी भाग गये ? तो उस अध्यापकों के जुलूस को ५ बजे शाम तक रोक रखा गया था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मेरे पास सूचना नहीं है। वह वहां से लाये गये, यह है।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि टीचर्स ने लिखित नोटिस दिया था कि अमुक तारीख से धरना देंगे यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जायंगी ? इस पर सरकार ने प्रिवेंटिव मेजर्स अख्तियार किये, क्या यह सही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

नोटिस तो कई मर्तबा दे चुके हैं और २६ तारीख को जुलूस निकालने की लिखित आज्ञा मांगी थी और प्रिवेंटिव आर्डर २७ तारीख की सुबह ८ बजे से लागू हुआ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अध्यापकों का जो शान्तिपूर्ण जलूस चल रहा था तो १२ बजे लठबन्द पुलिस ने हजारों की जनता और अध्यापकों को रोक दिया और ५ बजे तक रोके रखा? क्या जांच कराकर सही-सही बतायेंगे कि ऐसा आपके आदेश से किया या पुलिस ने अपनी निजी बेवकूफी से किया?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जो जुलूस निकाल रहे थे उनके पास झंडे थे और नारे लगा रहे थे, पुलिस ने उनको रोका और गिरफ्तार किया, अगर कोई नागरिक आ गया तो शक्ल में तो कोई फर्क होता नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

केशरी प्रसाद जी के प्रश्न के उत्तर में बतलाया कि नोटिस की आवश्यकता है, नियम ५२ के नोटिस में निश्चित सरकार को पुलिस दुर्व्यवहार की नोटिस है, इसलिए मंत्री जी से उत्तर दिलवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में उत्तर दे देंगे, और चीजों के लिए नोटिस चाहते हैं और कहते हैं कि नहीं मालूम है, तो हम क्या करें? जुलूस पर दुर्व्यवहार किया, इसके बारे में पूछिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

दफा ५२ का नोटिस ही इसलिए हुआ करता है। मैंने दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में ही स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि ४४ अध्यापक १० बजे रात तक पुलिस की कस्टडी में पुलिस के बिना खाने-पीने चाय के रहे और उनको घसीटा गया तथा धमकियां और गालियां दी गयीं?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। जहां तक "सी" क्लास देने की बात है, उसके लिये तो सरकारी आदेश हैं, अगर किसी को 'सी' क्लास मिला है, तो वह जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र दे सकता है, वह उसको सुपीरियर क्लास दे सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

१० बजे रात तक उनको खाना नहीं दिया गया और यह नियमों का उल्लंघन है, क्या यह सही है?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मुझे इसकी सूचना नहीं है, अगर प्रश्न देंगे तो उत्तर मंगा कर दे दूंगा।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)--

क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि अध्यापकों को उकसाने में विरोधी पार्टियों का हाथ है?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि अध्यापकों का आन्दोलन अभी भी जारी है और कल भी उनकी टोली के कुछ लोग पकड़े गये हैं और आज भी गिरफ्तार हुये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसकी जानकारी तो आपको ज्यादा होगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या यह सही है कि पुलिस ने नागरिकों तथा दूकानदारों को भी आतंकित किया जिसके कारण अमीनाबाद में दूकानदार अपनी दूकानें बन्द करके चले गये ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री रामसुन्दर शास्त्री--

मेरा व्यवस्था का सवाल है, हम लोगों ने नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया था, उसमें हमारा नाम है, हमें सप्लीमेंटरी करने का मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

करीब २० मिनट हो चुके हैं, बराबर मैं माननीय सदस्यों को मौका दे रहा हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अध्यापकों की मुख्य मांगें क्या हैं तथा जो गिरफ्तार हुये हैं क्या उनमें विधायक भी हैं और उनसे कौन सी शान्ति भंग होने का भय है ? तथा क्या सरकार गिरफ्तार लोगों को छोड़ने तथा उनकी मांगों को स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

अध्यापकों की मांगों के बारे में तो शिक्षा विभाग ही बता सकता है।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

यह यही कह दें कि हम नहीं बता सकते।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी, अगर आप बता सकते हों तो बता दें।

श्री बीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

मंत्री जी उठ नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

उनकी क्या मांगें हैं और क्या नहीं हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। उनकी मांगें रोज बढ़ती जाती हैं, यह भी सभी को ज्ञात है। पहले समान वेतन की मांग आयी, फिर और मांग आयीं, कोई स्थिर मांग हो तो बतलाऊं भी। उनकी मांगें रोज बढ़ती रहती हैं। पहले महंगाई भत्ते की मांग की गयी, जब उतना बढ़ गया तो और बढ़ाने की मांग की गयी। मांग इतनी आती रहती हैं कि हर एक को पूरा नहीं किया जा सकता क्यों कि हमारे साधन सीमित हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब यह प्रश्न समाप्त।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है उपाध्यक्ष जी। जब मैंने यह प्रश्न किया था मंत्री जी से कि क्या आपको अध्यापकों की मांगों के बारे में जानकारी है? यदि हां, तो क्या है? इस पर आपने यह उनको सजेस्ट किया कि आप यदि बतला सकें तो बतला दीजिये। तो इस तरह का सजेशन आप ने क्यों दिया?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई सजेशन की बात नहीं है। वह उनके विभाग की बात नहीं थी, एजूकेशन विभाग से सम्बन्धित थी, इसलिये यह मैंने उनसे जरूर कहा कि यदि आप बतला सकें तो बतला दें।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मेरे आधे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, उसका उत्तर तो आप दिलवा दें।

(व्यवधान)

आपने तो उनसे कह दिया कि यदि आप जवाब देना चाहें तो दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

जो मेरी समझ में आया आपके प्रश्न के बारे में, वह मैंने उनसे कहा और उसका उन्होंने पालन किया।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मेरे आधे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। उसका उत्तर तो दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अब यह प्रश्न समाप्त हो गया। आधा घंटा इसके लिये काफी होता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मेरा आधा प्रश्न रह ही गया।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप कृपा करके बैठ जांय।

(श्री सन्तसिंह यूसुफ का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

आपकी इस व्यवस्था के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री हरीशकुमार गंगवार सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री सन्तसिंह यूसुफ के खड़े होने पर)

श्री रघुनाथसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज की जो कार्य सूची है उसमें १३ वें आइटम पर दिया हुआ है -- "अध्यापकों की मांगों तथा उनकी गिरफतारियों के संबंध

में गृह मंत्री वक्तव्य देंगे।" और जब उनकी मांगों के संबंध में श्री गंगवार ने पूछा तो आपने मंत्री जी से कहा कि आप बतला सकें तो बतला दीजिये। इस पर उन्होंने कहा कि उनकी मांगों के संबंध में सब लोग जानते हैं, बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कार्य-सूची में साफ साफ दिया हुआ है कि अध्यापकों की मांगों के संबंध में वक्तव्य होगा, तो आपका यह कहना कि जवाब दे सकें तो दे दें और माननीय मंत्री का यह कहना कि मांगों के बारे सब लोग जानते हैं, बतलाने की कोई जरूरत नहीं है, कहां तक उचित था, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मेन पोर्शन जो इसका है उसमें इम्फैसिस मांगों के सिलसिले में नहीं बल्कि उनके जलूस व गिरफ्तारियों के संबंध में था। इसलिये यह प्वाइंट आफ आर्डर का कोई सवाल नहीं बनता। आप कृपा करके बैठ जांय।

कानपुर की लक्ष्मीरतन काटन मिल्स के बन्द होने तथा अन्य मिलों में अनियमित कार्यों के विषय में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप से मेरी प्रार्थना है कि आज चीफ मिनिस्टर भी नहीं हैं और लेबर मिनिस्टर भी नहीं हैं जिन्होंने इस सिचुएशन को पैदा किया है। पहले यह ६ तारीख के लिये था, फिर चीफ मिनिस्टर के कहने से ही इसे ७ तारीख के लिये रखा गया। तो अगर आप इसको कल के लिये कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

ये चाहते हैं कि जब श्रम मंत्री हों तभी हो। आपको कल हो जाने में क्या आपत्ति है?

मुख्य मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

कल हमारे पास समय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय यूसुफ, आप शुरू कीजिये।

(व्यवधान)

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर की औद्योगिक स्थिति काफी गम्भीर है। लक्ष्मीरतन काटन मिल्स में साढ़े चार हजार मजदूर काम करते हैं। इस मिल ने पांच लाख रुपया केसा कम्पनी का देना था और इसी लिये पहिली मार्च से उनकी बिजली काट दी गई। जब लाला रामरतन के भाई रामगोपाल एलैक्शन लड़ रहे थे तब बनारसीदास जी की मदद से ३५ हजार रुपये महीने की किस्तें की गई। कायदा यह है कि एक बार बिजली का टैक्स न देने से जो बिजली कटती है वह तमाम एरियर अदा करने के बाद ही दोबारा दी जाती है। लेकिन वे किस्तें भी अदा नहीं की गई। एरियर अदा न होने पर १ सितम्बर, १९६६ में फिर बिजली दोबारा कट गई। बिजली कटने के बाद से आज तक वह मिल बन्द पड़ी है। मुख्य कारण मिल के बन्द होने का यह है कि मिल में जो मजदूर काम करते थे उन माहवारी काम करने वालों को माहवारियों का और पन्द्रहियों में काम करने वाले को तीन पन्द्रहियों की तनख्वाह नहीं मिली, जो पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट के अधीन जुर्म है, इस पर मुकदमा चलाया सकता है। मान्यवर, उनका

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

६२-६३ का बोनस नहीं दिया जिस बोनस का एग्रीमेन्ट हुआ था। एग्रीमेन्ट हो जाने के बाद वे लीगल ड्यूज हो जाते हैं और उस पर प्राजीक्यूशन हो सकता है। उसके पूरा न करने के बाद दुबारा एग्रीमेन्ट किया गया जो जुलाई में पूरा होता था। ६३-६४ से जो प्राफिट हुआ है उसके बोनस के बारे में भी अभी तक तय नहीं हुआ है। ६४-६५ का बोनस जो कानूनन वाजिब है उसके लिये भी सरकार ने इजाजत दी थी कि वह ३१ जनवरी तक अदा करेंगे। वह भी नहीं किया गया है। श्रीमन्, हिन्दुस्तान में एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो कि एक बार भी अपना किया एग्रीमेन्ट पूरा न करता हो और आगे उसको समय दिया गया हो। वह रुपया दस महीने के बाद भी पेमेन्ट नहीं किया। यह इजाजत लक्ष्मीरतन काटन मिल को है, चूंकि हमारे बनारसीदास जी की दिलचस्पी गुप्ता जी के साथ है। इसलिये ८ लाख रुपया जो प्राविडेंट फंड का इनको जमा करना चाहिये था वह नहीं किया गया और इसके अलावा जो इसकी सीक्योरिटी २१ लाख रुपये सरकारी सिक्योरिटी में जमा था उसका भी दुरुपयोग फिर किया गया है। साल भर से यू० पी० गवर्नमेन्ट को लिखा जा रहा है, लेकिन उस प्राविडेंट फंड से छूट को रद्द करने के लिये सरकार ने कुछ नहीं किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी से हमारा डेपुटेशन मिला और उन्होंने कहा कि यह एग्जेम्पशन कैंसिल हो जाना चाहिये। मुझे रिपोर्ट मिली है सेक्रेटरी से कि उन्होंने दिल्ली को लिखा। वहां भी पार्लियामेंट के मेम्बर मिनिस्टर से मिले और उन्होंने यू० पी० गवर्नमेन्ट के ऊपर डाल दिया। इससे मजदूर परेशान है। उसे प्राविडेंट फंड की सुविधा नहीं मिल रही है। इम्पलाईज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन का ५ लाख रुपया इनके ऊपर है। कलेक्टर ने इनको नोटिस दिया। २५,००० रुपये का इन्होंने चेक ईश्यू किया जो डिसआनर हो गया। यही एक कारखाना है जिस में चैक डिसआनर होने के बाद कुछ भी जिलाधिकारियों ने या गवर्नमेन्ट ने नहीं किया। २,५०० रुपये माहेश्वरी देवी जूट मिल के मालिक ने अदा नहीं किया। उसे गिरफ्तार किया गया और २०,००० रुपये की जमानत पर छोड़ा गया। म्योर मिल के पी० डी० सिंहानिया को भी इसी तरह से ३ महीने की सजा हुई, मगर रामरतन गुप्ता के लिये कुछ भी नहीं हुआ।

इतना ही नहीं, यहां करीब ३० परसेंट ठेके के मजदूर हैं। उनको कम तनख्वाह देनी पड़ती है। गवर्नमेन्ट का ६ अगस्त, ४८ का जी० ओ० है कि कम से कम ३८ रुपये तनख्वाह और ११० रुपये महंगाई मिलाकर करीब १५० रुपये पाने का एक मजदूर का अधिकार है। लेकिन ठेके के मजदूर को केवल ५० रुपये वेतन मिलता है। इसके अलावा टैम्पोरेरी मजदूर हैं करीब १,५०० के। इनको सम्पूर्णानन्द अवार्ड के मुताबिक परमानेंट किया जाना चाहिये था लेकिन नहीं किया गया। चूंकि यह बनारसीदास जी का डिपार्टमेन्ट है और राम रतन गुप्ता से इनकी दोस्ती है, इसलिये इनके कारखाने में कोई कानून-कायदा लागू नहीं है।

इसी तरह से टैम्पोरेरी मजदूर को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। प्राविडेंट फंड और इम्पलाईज स्टेट इन्श्योरेंस की सुविधा इनको नहीं है। एलगिन मिल्स साल में १२ लाख रुपया प्राविडेंट फंड में देती है। और लक्ष्मीरतन काटन मिल सिर्फ २ लाख देती है, १० लाख बचाती है, हालांकि लक्ष्मीरतन काटन मिल और एलगिन मिल में तकरीबन बराबर ही आदमी काम करते हैं। इसके अलावा सम्पूर्णानन्द एवार्ड को भी लागू नहीं किया जा रहा है। ८-८ घंटे की तीन शिफ्टों के बारे में तय हुआ था--६-२, २-१० और १०-६/, लेकिन इस मिल में कोई निश्चित टाइम नहीं है शिफ्टों का। टाइम एक दूसरे से ओवर लैप करते हैं जो एवार्ड के मुताबिक गैर कानूनी है। ओवर टाइम सब जगह डबल दिया जाता है लेकिन यह मिल सिंगल देती है और वह भी रेवार्ड के नाम से देती है। इसके अलावा सालाना छुट्टी भी नहीं दी जाती है। वर्क लोड भी एवार्ड के मुताबिक नहीं है। ग्रेचुइटी भी एवार्ड के मुताबिक नहीं मिलती है। टेम्पोरेरी लेबर इसलिये भी रखते हैं कि वे यूनियन काबम कर सकें। उनको जेलखाने की तरह से बंद कर रखा है। बोनस भी यह

मिल देने को तैयार नहीं है। उनकी तीन महीने की कमाई तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। ६ महीने हो गये, लोग भूखों मर रहे हैं। यहां तक हालत है कि राम कुमार मजदूर अपने बाल-बच्चों को भूखा मरता हुआ न देख कर गाड़ी के नीचे आत्म-हत्या कर के मर गया। हजारों की तादाद में मजदूर रिक्शा चला रहे हैं और बनारसी दास के कानों पर जूं नहीं रेंगती। दो बार वहां के लोग यहां आये। जो समझौते की बात की गई उसमें मालिक कहता है कि इस वक्त पैसा नहीं है ६२ का बोनस होली पर देंगे, १९६४–६५ का मई, जून में दे देंगे। बनारसीदास जी की मदद से २–३ लाख रुपया लेकर रुई, खरीदेंगे, कपड़ा बनायेंगे, बेचेंगे उसके मुनाफे से तनख्वाह और बोनस किस्तों में देंगे। जब मिल चलेगी, तब देंगे। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। लेकिन फिर भी सरकार कोई ऐक्शन लेने के लिये तैयार नहीं है। सुचेता कृपालानी जी ने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को लिखा कि इस मिल की हालत खराब है मिल के मिसमैनेजमेंट की वजह से यह सब है। वहां से इंक्वायरी आयी, लेकिन अब तीन महीने से कोई पता नहीं है। यहां बनारसी दास हैं और वहां मनुभाई शाह हैं। राम रतन गुप्ता श्री शाह के भाई को ३ हजार रुपया माहवार तनख्वाह दे रहे हैं। सम्पूर्णानन्द जी के भाई हैं उनको २,००० रु० तनख्वाह, कार और बंगला दिए हुए हैं। ४–५ लाख रुपया माहवार जो बचाते हैं वह इस तरह से खर्च करते हैं। यह पोलिटिकल करप्शन है। यह कानपुर में सब से नई मिल है।

यह मिल १९३४ में एस्टेब्लिश हुयी। इस मिल की मैशिनरी भी नयी है। कानपुर में जब और मिलों में रैशनलाइजेशन नहीं हुआ था लेकिन इस मिल ने १५ वर्ष पूर्व उसका फायदा उठाया। इस मिल ने १ करोड़ १९ लाख और ७९ हजार रुपया टैक्स इवेजन के रूप में और दूसरे तरीकों से बचाया। यह इनका इल्लीगल और अनड्यू प्रौफिट का रुपया है। १९६० से १९६४ तक ४ वर्ष का ९६ लाख रुपया लीगल प्राफिट है। इस बात को रामरतन गुप्ता ने इन्कम टैक्स इनवेस्टीगेशन कमीशन के सामने स्वीकार किया था। इसकी पेड अप कैपिटल १० लाख से बढ़कर ३५ लाख हो गयी।

इसमें दो पार्टनर थे। एक ये और दूसरे श्री पद्मपत थे। १९४४ में रामरतन गुप्ता ने पद्मपत सिंघानिया के ५ लाख रुपये के शेयर ४५ लाख में खरीदे और यह रुपये इन्होंने लक्ष्मीरतन मिल से निकाले। इसी मिल से रामरतन ने करोड़ों रुपये कमाये और दूसरे कन्सर्न्स खरीदे। इस प्रकार से करोड़ों रुपया खर्च करके एक के बाद दूसरी और तीसरी कम्पनी बनाई। इन धन से इनकी हबिस और ज्यादा बढ़ गयी और इन्होंने एक औरंगाबाद, एक बम्बई और एक अहमदाबाद में काटन मिल खरीदी। एक इन्श्योरेन्स कम्पनी खरीदी। इसके अलावा एक बैंक व अन्य कम्पनियां खरीदीं। इन्होंने इस रुपये को मूंधरा की तरह से खर्च किया। बम्बई वाली मिल मिसमैनेजमेंट के कारण बेचनी पड़ी। अहमदाबाद की मिल लिक्विडेशन में चली गयी। महाराष्ट्र की सरकार ने औरंगाबाद वाली कम्पनी में मिसमैनेजमेंट के कारण एक ऐडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया। हर जगह पर गड़बड़ घोटाला चल रहा है। यहां पर यू० पी० की सरकार इनको बचाने के लिए कानूनी और गैर-कानूनी कार्यवाही करती है।

दूसरी हाबी रामरतन की पोलिटिक्स की है। एलेक्शन में लाखों रुपया खर्च हुआ। एक एलेक्शन में ये खुद खड़े हुए और दूसरे में अपने भाई रामगोपाल को खड़ा कर दिया।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि क्या यह उचित होगा और क्या यह इस माननीय सदन की गौरवमयी परम्परा के अनुकूल होगा कि जो व्यक्ति यहां पर नहीं है, उनके बारे में माननीय सदन में टीका-टिप्पणी की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

चूंकि माननीय बनारसी दास और श्री राम रतन गुप्त सदन में नहीं हैं इसलिये जो उनके बारे में कहा गया है वह प्रोसिडिंग से निकाल दिया जाय ?

श्री संतसिंह यूसुफ--

श्रीमन्, इस मिल के प्रोविडेन्ट फंड के रुपये की ही बात नहीं है, यह बिजली के रुपये की ही खाली बात नहीं है बल्कि लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग मिल ने जो ५ लाख रुपये सरकार से लिये उस की किस्तों का पेमेन्ट नहीं किया। जब चीफ मिनिस्टर से डेपुटेशन मिला तो उन्होंने आदेश दिया कि इनको शो काज नोटिस दिया जाय और ऐग्रीमेंट में है कि अगर किस्तें पे नहीं होंगी तो मिल पर कब्जा कर के सरकार नीलाम कर सकती है। मुख्य मंत्री ने विश्वास दिलाया कि वह इनके खिलाफ कार्यवाही करेंगी। इन्कमटैक्स के लाखों रुपये बाकी हैं, १८ लाख एक, ५३ लाख एक, ६ लाख एक इतना रुपया बाकी है जब कि लाखों रुपया पोलिटिक्ल जुएबाजी में ये खर्च करते हैं। लेकिन मजदूरों को पैसा देने के लिये इन के पास कुछ नहीं रहता। मैं चाहूंगा कि इस मिल के मामले में पूरी जांच होनी चाहिए। आप रोज पढ़ते हैं अखबार में कि पार्लियामेन्ट में इस कारखाने के बारे में कभी फारेन ऐक्सचेंज का मामला उठता है और कभी कुछ झगड़ा खड़ा होता है, कभी कम्पनी ऐक्ट का झगड़ा खड़ा होता है। और कल इनका जो बिहारी निवास है उस को पुलिस ने घेर लिया है कल से तलाशी हो रही है। जायें मंत्री जी, उन को वहां भी बचायें। मंत्री जी से पहली मांग मेरी यह है कि जैसे मूंधड़ा की जांच करने के लिये हाई कोर्ट का जज मुकर्रर हुआ था वैसे ही राम रतन के तमाम कारनामों की जांच करने के लिये हाई कोर्ट का एक जज मुकर्रर होना चाहिये।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

राम रतन गुप्ता कैसे जवाब देंगे हाउस में आकर, जिनका नाम यह ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री संतसिंह यूसुफ--

मैं राम रतन और उनके भाइयों के नाम इसलिये ले रहा हूं कि यही लोग मिल के मालिक हैं। दूसरी मांग मेरी यह है कि इन को जेल भेजा जाय। इसके अलावा जैसा चीफ मिनिस्टर ने लिखा है, इस मिल की जांच जल्दी करा के सरकार को इस मिल पर कब्जा कर लेना चाहिये। नहीं तो लाखों रुपये का सरकार के इन्कम टैक्स का नुक्सान हो रहा है। सरकार को मिल अपने हाथ में ले कर हजारों मजदूरों का जो पैसा बाकी है उसका पेमेंट करना चाहिए। आज वे भूखों मर रहे हैं। राम रतन जी ने अपनी कम्पनी की यूनियन से तरह-तरह के पर्चे हमारे खिलाफ और माननीय सुचेता कृपालानी के भी खिलाफ निकलवाये। माननीय चन्द्रभानु गुप्त के जन्म दिवस पर इन्होंने ३ चैक भेजे ३० हजार के, यह तीनों डिस्आनर हो गये (व्यवधान)।

मैं सब प्रूव करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप का समय समाप्त।

(श्रम मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मैं आखिर में बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राधेश्याल शर्मा। अब आप लोग ७-७ मिनट बोल लीजिये। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता था कि माननीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य जिस तरह से प्रत्यारोप हम लोगों के ऊपर भी करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी बात कहिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

यदि श्री रामरतन गुप्ता और लक्ष्मी काटन मिल्स कांग्रेस के लोगों से संबंधित नहीं हैं तो फिर इनको गुस्सा काहे का? यूसुफ ने मजदूरों के हित में बातें रखी हैं। जिस मिल मालिक ने मजदूरों को वेतन नहीं दिया, भत्ता नहीं दिया, बोनस नहीं दिया और करोड़ों रुपये उत्तर प्रदेश सरकार की आंख में धूल झोंक कर के खा गये! मैं कानपुर का आदमी नहीं हूं यह सच है, लेकिन मैंने श्री रामरतन गुप्ता को परसों ही इस विधान सभा में कम से कम ४५ मिनट तक माननीय बनारसीदास से बात करते देखा।

श्री उपाध्यक्ष—

वह विधान सभा में कैसे बैठ सकते हैं?

श्री राधेश्याम शर्मा—

बनारसी दास जी के कमरे में।

(व्यवधान)

माननीय बनारसीदास उनको आदरणीया मुख्य मंत्री के पास ले गये। कमसे कम २५ विधान सभा के सदस्य बैठे हुये थे मुख्य मन्त्री से मिलने के लिये। क्या बात उन्होंने श्री रामरतन गुप्ता से की यह मैं नहीं जानता, लेकिन यह मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को १९५२ में माननीय रामरतन गुप्ता ने कम से कम दो लाख रुपये दिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मिल के बारे में कहिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

और सन् १९६२ में १५ लाख रुपये चन्दा दिया।

(व्यवधान)

श्रीमन्, इस हल्ले से मैं रुक नहीं सकता। अगर ये विधान सभा में हल्ला करेंगे तो मैं बाहर कहूंगा। और क्या बात कहूं, यह तो बात है सन् १९६२ की। अब फिर चुनाव नजदीक है। भारतीय सरकार ने रामरतन गुप्त के लिये दो दिन से सी० आई० डी० तैनात कर दी है। माननीय बनारसीदास, माननीय चन्द्रभानु गुप्त और उत्तर प्रदेश के सारे कांग्रेसी लीडरों ने माननीय रामरतन गुप्त को बचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। यह भी

[श्री राधेश्याम शर्मा]

बता दूं उपाध्यक्ष जी, यह कोई चुनाव की बात नहीं करता। १९६७ के आम चुनाव के लिये माननीय बनासीदास ने माननीय रामरतन गुप्त से ६० कांग्रेसी मेम्बरों को जिताने के लिये ४८ लाख रुपये तय किये हैं। जब इस तरह की बात हो, सारे उत्तर प्रदेश के लोग रामरतन गुप्ता से प्रभावित हों तो फिर क्या होगा? कांग्रेस के लोग बिना किसी बात के हल्ला करते हैं। और माननीय उपाध्यक्ष जी, यह वह शख्स है जिसने कांग्रेस की प्रतिष्ठा को सारे हिन्दुस्तान में गिराया है। गोंडा के चुनाव में इसने क्या किया था, यह सभी को मालूम है। जो चुनाव में वोट चुरा सकता है उससे ज्यादा बेईमान, भ्रष्ट और निकम्मा और कौन हो सकता है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप मिल के सम्बन्ध में कहिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

सारी मिल का ये रुपया खा गये, मैं आपसे क्या कहूं?

(व्यवधान)

श्रीमन्, यह हल्ला करके हमको दबाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

इससे बड़ा हल्ला मैं कर सकता हूं। ये जो गुप्ता जी की वकालत करते हैं वही चिल्ला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मिल के काम को ठीक किया जाय और जैसा माननीय यूसूफ साहब ने कहा है राम रतन गुप्ता जी को सजा दिलाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया है। अब कृपा कर के बैठ जाइये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय राधेश्याम जी के कहने पर आपने कहा कि यह बात गलत है। यह शब्द प्रोसीडिंग्स से निकाल दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या गलत है?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप एलाऊ या डिस्एलाऊ कर सकते हैं। लेकिन यह नहीं कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जरा सुन लीजिये। वह इस संबंध में था कि किसी व्यक्ति के बारे में बहस नहीं है, यह मिल के बारे में बहस है। मिल के बारे में जो चाहें कहें, व्यक्ति के बारे में मैंने मना किया यह गलत है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

यह उसी तरह से संबधित है जैसे आपका सिर और टोपी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा कहना यह है कि अभी तक मिल उसी व्यक्ति की है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मिल के बारे में जितना चाहें उतना कहिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आखिर मिल उसी व्यक्ति की है।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि वह बेईमान हैं, इस तरह के हैं, उस तरह के हैं, यह बात नहीं होनी चाहिये।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, युसूफ साहब ने जो कहा है वह भ्रामक है।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा—

उन्होंने हमारे बोलते समय हल्ला किया था। हम भी हल्ला करेंगे। जिन लोगों ने हल्ला किया उनमें से किसी को आपने नहीं निकाला।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये।

श्री मुरलीधर कुरील—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो लक्ष्मीरतन काटन मिल कानपुर है उसके यूनियन के मजदूरों ने अपनी १५ मांगे स्वयं निकाली हैं। उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ मांगें पूरी हो गई हैं और जो बाकी रह गई हैं उनको पूरा कर दिया जाय। माननीय युसूफ जी उसके प्रतिनिधि भी नहीं हैं और न उसके सदस्य हैं। चूंकि चुनाव नजदीक आ गया है और उनका चुनाव क्षेत्र वही है इसलिये इस तरह की वे बातें करते हैं। (व्यवधान) उन्होंने कम्युनिस्ट गुन्डे लगा रखे हैं और जो कर्मचारी जाना चाहता है उसको पीटा जाता है और चोट पहुंचाई जाती है। यह बच्चा बच्चा कानपुर का जानता है। कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि हमें पुलिस का संरक्षण दिया जाय, लेकिन गुन्डे अन्दर नहीं जाने देते। यह स्थिति कर रखी है। इन्होंने एलेक्शन स्टेट बना रखा है। और यहां भ्रामक वातावरण पैदा कर रहे हैं। जब आप प्रतिनिधि नहीं हैं तो फिर जो सरकार से जांच कमेटी बनायी गयी है उसमें आप किस हैसियत से रखे गये हैं? (व्यवधान) जो यूनियन के प्रतिनिधि हों उनको जांच कमेटी में रखा जाय। वर्कर यूनियन के कर्मचारियों को न लेकर सिर्फ इनके हल्ला मचाने की वजह से या पता नहीं कि सरकार क्यों डर गयी है, या माननीय बनारसीदास जी डर गये हैं। इनके हल्ला से या धोखा हो गया है, सरकार जांच करे इनकी कोई यूनियन वहां पर नहीं है। यह प्रतिनिधि बनाये गये हैं या नहीं? अगर यह प्रतिनिधि नहीं हैं तो इनको निकाल देना चाहिये और सही प्रतिनिधियों को रखना चाहिये। जो लोग काम करने जाना चाहते हैं उनको पुलिस का संरक्षण मिलना चाहिये और उनको काम करने देना चाहिए। जो लोग झगड़ा करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और जो लोग काम करने जाना चाहते हैं उनको काम करने दिया जाय और जांच कमेटी से इनको हटा कर सही आदमियों को भेजा जाय।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से दो मिनट शांति से सुन लेने की प्रार्थना करूंगा। इस मिल में पांच हजार मजदूर काम करते हैं। मिल सितम्बर के महीने से बन्द है।

[श्री रक्षपालसिंह]

मैं पहले बता देना चाहता हूं कि मिलबन्दी से संबंध मालिकों से है, सरकार से है और मजदूरों से है। सबसे पहली बात यह है कि तीन आदमी राम रतन गुप्ता, सर्वविख्यात, उनके भाई रामगोपाल गुप्ता और राम प्रसाद, तीन इसके प्रबन्धक हैं। इसलिये उनका नाम लिया जायगा। उनके द्वारा जो कुकृत्य किये गये हैं उनका भी उल्लेख किया जायगा।

दूसरी बात यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है मिल चलाने की। सरकार से इस मिल का संबंध है दो व्यक्ति परिपूर्णानन्द वर्मा जो राजस्थान के राज्यपाल महोदय के भाई हैं तथा मनुभाई शाह उपमंत्री के भाई उसकी रक्षा में हैं। बिना संबंध जोड़े तथ्य निकलेगा नहीं। तीसरी बात यह है कि माननीय बनारसी दास और राम रतन गुप्त का जो संबंध है, मैं उसको कहना नहीं चाहता। चाहे गोंडा कान्ड हो, चाहे गुप्ता जी का कोष हो या आगे का चुनाव हो. . . . ।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी ने जो रियायत की हो वह कहिये।

श्री रक्षपालसिंह--

जो सदन में चर्चा हुई कि कई लाख रुपये का गबन किया गया है, उसका इस मिल से संबंध है। इस मिल में ९५ प्रति शत मजदूर जो १९४८ से १९६६ तक काम कर रहे है, टेम्पोरेरी हैं, केवल ५ पर सेन्ट मजदूर परमानेन्ट हैं। जब वह मांग करते हैं कि उन्हें परमानेन्ट कर दिया जाय तो उन्हें बन्द कर दिया जाता है। मिनिमम वेजेज ऐक्ट, एम्प्लाएमेन्ट ऐक्ट और संपूर्णानन्द अवार्ड, कोई भी उन पर लागू नहीं होता। उन्होंने बिजली का पैसा नहीं दिया तो सरकार ने उनकी बिजली बन्द कर दिया। जब बिजली मिली तो मजदूरों ने कहा कि जो उन्हें १५-१५ दिन की तनख्वाह मिलती है और उन पर डेढ़ महीने की तनख्वाह बाकी हो गयी थी कि हमें १ महिने की तनख्वाह दो। किन्तु प्रबन्धकों ने उनकी इस मांग से इंकार कर दिया तो उन्होंने हड़ताल कर दी। उनका मिल पर प्राविडेन्ट फन्ड का पैसा बाकी है, बीमे का पैसा बाकी है और अत्याचार की हालत सीमा से बाहर हो गयी है। ३६ मजदूरों को बन्द कर रखा गया। एक मजदूर ने भुखभरी और बीमारी से ऊबकर मोटर से कटकर आत्म हत्या कर ली और एक मजदूर ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रबन्धकों ने गेट पर मीटिंग करने वाले मजदूरों पर बर्बर हमला कराया और उनको गिरफ्तार कराया और जिसमें ६ लोगों पर मुकदमा विचाराधीन है। इन बेचारों की मांगे यही हैं कि १८-१८ साल की सर्विस वाले लोगों को परमानेन्ट कर दिया जाय यह उनकी मांग बिलकुल सही है इसे संपूर्णानन्द अवार्ड के आधार पर अवश्य कर दिया जाना चाहिये।

उनकी दूसरी मांग यह है कि वीविंग सेक्शन में २० प्रतिशत और अन्य सेक्शनों में साढ़े सत्तरह परसेन्ट एवजीदार होना चाहिये। सब को एक समान वेतन दिया जाय। उनको ६२ से ६५ तक वेतन जो मिलना चाहिये, दिया जाय और मिल बन्दी के समय का पैसा दिया जाय। किन्तु उनकी मांगे मानने के बजाय मालिकों द्वारा एक फर्जी यूनियन बनाकर उनको धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। यदि सरकार झगड़ा तय न करा सके तो मिल को बिलकुल जप्त कर लेना चाहिये। इस विवाद के अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कानपुर काटन मिल को पैसा देकर मिल चलाई गयी। अथारटन और म्योर मिल को सरकार ने चलाने के लिये अपने हाथ में ले लिया उसी तरह से इस मिल को भी सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये और उसे ठीक से चलाना चाहिये। हमारे बनारसीदास जी जो इतने दिनों से श्रम मंत्री बने हुए हैं और सन् ५६ से जो ट्रेड यूनियन ऐक्ट पेंडिंग हैं उसे नहीं पास कर पाये हैं और जो इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल है वह भी नहीं पास हुआ है, ऐसे मंत्री को इस पद पर रहने का हक नहीं है। जब तक ऐसा ही मंत्री रहेगा तब तक मजदूरों की परेशानियां बनी रहेंगी और उनका कोई कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे मंत्रियों को हटाकर हमें गरीबों की दशा सुधारनी चाहिये।

श्री मुरलीधर कुरील—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस पर तो आधे घंटे का विवाद होता है।

(हंसी)

*श्री ए० सी० ग्राइस (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हुआ हूं न राम रतन का पक्ष करने को न सन्तसिंह यूसुफ का पक्ष करने के लिये। मैं केवल इसलिये खड़ा हुआ हूं कि जनता की आवाज आपके सामने और सरकार के सामने आ जाए। जब-जब मैं कानपुर जाता हूं, मेरे पास मजदूर आते हैं और कहते हैं कि साहब क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या गुजर रही है, कांग्रेस पार्टी हमारी सुनेगी या नहीं, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। इतने दिन हुए, इतने दिनों की न हमें तनख्वाह मिल रही है न इन्श्योरेन्स का पैसा मिला है न अन्य दूसरी सुविधाएं ही हमें मिल रही हैं। उनका पर्चा निकला जो माननीय युसूफ के खिलाफ था उसमें यह लिखा हुआ है कि हमारा बोनस मिल जाय, वेतन मिल जाय। इसलिये मैं यह कहता हूं कि क्यों नहीं एन्क्वायरी करा देते हैं, इन्डिपेंडेन्ट इन्क्वायरी या सरकार द्वारा इन्क्वायरी जिससे जो सच बात है वह दोनों तरफ की स्पष्ट हो जाय? हम लोग बुरे हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी का मुंह बन्द हो जाता है। मैं इसीलिये खड़ा हुआ था कि मैं जनता के बीच में जाता हूं तो मुझे जो मालूम होता है वह मैं चाहता हूं कि उस जनता की आवाज आपके सामने आ जाय और आपके कान खुल जायं।

*श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ)—

श्रीमन्, सरकार की ओर से जो मंत्री जवाब देने खड़े हों उनसे मैं दो, तीन सवालात करना चाहता हूं। उन सवालों का उत्तर मुझे अवश्य मिलना चाहिये। पहला सवाल यह है कि लक्ष्मी रतन काटन मिल्स पर ढाई करोड़ रुपया सरकार और मजदूरों का बकाया है और जब सरकार का पावना वसूल नहीं हो सका और मजदूरों का बकाया है वह न दिला सकें तो इसका कारण क्या है।

दूसरी बात, एक बार मिल बन्द हुई, फिर सरकार ने उसको चलाया, लाखों रुपया लगाया और फिर उन्हीं मिल मालिकों को सुपुर्द कर दिया जाय जिनका प्रबन्ध खराब था और जिनके कारण मिल बन्द हुई।

तीसरी बात, उत्तर प्रदेश या सारे हिन्दुस्तान में कौन-सी ऐसी मिल है जिसमें ५ फी सदी मजदूर स्थायी हों और ९५ प्रति शत अस्थायी? कौन-सी मिल है जहां पांच-पांच महीने की तन्ख्वाह और बोनस बाकी हो? यह लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इसमें हाथ नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री परिपूर्णानन्द वर्मा और श्री मनुभाई शाह, केन्द्र के मंत्री के भाई क्या वहां नौकर हैं जिनके कारण यह सब हो रहा है और अगर उनके कारण यह अनियमिततायें नहीं हो रही हैं तो किनके कारण हैं?

चौथी बात, इस मिल के बन्द होने के साथ-साथ एक मिल महेश्वरी देवी जूट मिल बन्द है और यह भी पता चलता है कि ३ मिलें और बन्द होने वाली हैं। श्रीमन्, हमारे यहां कहावत है कि देखे देखे पुन्य, और देखे-देखे पाप"। सारी मिलें बन्द हों, मजदूरों को वेतन न मिले, सरकार का पावना बाकी रहे, सरकार कर्जा उनको अलग देती रहे, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन मिलों को सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं लेती। साथ ही जांच बैठाने में इनको क्या दिक्कत है? यही मैं चाहता हूं, इनके बारे में सरकार स्थिति स्पष्ट कर दे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो विवाद आज चल रहा है उसमें जो लोग बोल रहें हैं उन सब को सुना। यूसुफ साहब ने जो बातें सदन के सामने कही हैं वे तोड़ मरोड़ कर कही हैं। उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो व्यक्तिगत हैं और जिनका इस विवाद से कोई संबंध नहीं है। वह इस बात को भूल जाते हैं कि जब कभी वह जनतन्त्र और जनता की भलाई का नारा देते थे और कांग्रेस वालों को पकड़ाते थे तो ये रामरतन जी गुप्त जेल जाया करते थे और देश के लिये काम करते थे। वह कांग्रेस की सहायता करते थे। आज यूसुफ साहब यहां पर इस तरह की बातें कहकर आपको और सदन को गुमराह करना चाहते हैं। अगर वह डा० लोहिया के चुनाव के करिश्में को देखें तो मालूम होगा कि उसमें लाखों रुपया कहां से लेकर खर्च किया गया। लाखों रुपया पूंजीपतियों से लिया गया है और उस चुनाव में बहाया गया है। आज ये गरीबों के साथ हमदर्दी जाहिर करते हैं। आज गरीबों और मजदूरों को गुमराह करके उनको तबाह और बरबाद करना चाहते हैं। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि सरकार का फर्ज है कि जो मजदूर शान्तिपूर्ण तरीके से मिल के अन्दर जाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं उनको संरक्षण देना सरकार का परम कर्तव्य है..... (व्यवधान)

यूसफ साहब का पता नहीं किस तरह की बात यहां कह गये। ये लोग हिन्दू-मुसलमानों की बात यहां पर पैदा करके हिन्दू और मुसलमान दोनों में अन्तर पैदा करना चाहते हैं। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि जनता इनके बरगलाने और बहकाये में न आये। सरकार को सच्चाई का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिये। अगर कोई किसी का भाई किसी मिल में काम करता है तो इस सरकार के साथ उसका क्या मतलब हो सकता है? व्यक्तिगत बात यहां कहकर जनता को बरगलाने का प्रयत्न किया जाता है, जो नितान्त अशोभनीय है। झूठी बात को सच बात सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस बात को देखे कि जो लोग मिल में शान्ति से आकर काम करना चाहते हैं और मिल को शान्तिपूर्ण ढंग से चलाना चाहते हैं उनको चलाने दिया जाय। इसके साथ ही जो लोग इसमें रुकावट पैदा करते हैं उनको सजा दी जाय। जो वहां पर मारपीट होती है और गुंडागिरी होती है उसको बन्द करने का प्रयत्न होना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि सदन इन लोगों के बरगलाने और बहकावे में न आये और सही तथ्य को समझे और सरकार सही तथ्य को समझकर मिल को चलाने में सहायता करे।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

यह पांडेय जी का जो भाषण हुआ है यह उधार पर था या नकद पर था? मेरी जानकारी तो यह है कि यह भाषण उनका उधार पर हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह की मजाक की बात यहां सदन में नहीं होना चाहिये।

श्री राधेश्याम शर्मा--

अगर कोई आदमी सन्त सिंह यूसुफ को कहे कि वह हिन्दू है या मुसलमान, तो यह किस तरह की बात है? अगर इस तरह की बात यहां पर कही जाती है और वे मजाक करते हैं तो हम भी उसी तरह से उनको जवाब देना चाहते हैं।

*श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन में इस बात का मैं कभी भी हामी नहीं रहा हूं और न कभी तारीफ करने वाला रहा हूं। मान लीजिये कि हमारा कोई विरोधी हमारा नाम लेता है तो हम यह नहीं कहते हैं कि वह किसी वजह से नाम लेता है। अगर कोई इस तरह की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात करता है तो उसको मैं यह नहीं कहता कि वह गलत कहता है। जिन बातों को यहां पर कहा गया उन पर विचार करना चाहिये और सोचना चाहिये। जैसा कि ८ लाख रुपये की सिक्योरिटी का मजदूरों का मामला है, वह जप्त की गई और वह उनको नहीं मिली। १० लाख रुपये मजदूरों के वेतन का बकाया पड़ा है, १५ लाख स्टेट इनश्योरेंस कारपोरेशन और प्रोविडेंड फंड का बकाया है, ५ लाख रुपया बिजली का बकाया है। क्या यह गलत कहा गया है? क्या यह गलत है कि बिजली काट दी गयी इसलिये कि पैसे नहीं दिये गये और जब समझौता २५ हजार रुपये मासिक पर हुआ तो उसके लिये भी गलत चेक दिया गया जो भुन नहीं पाया था? अगर यह गलत है तो यूसुफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिये और यदि दूसरे लोग जो झूठी बातें कहते हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिये। हम इस मसले को, हजारों मजदरों के पेट के मसले को केवल कम्यूनिस्ट, समाजवाद या कांग्रेस के पचड़ों में डाल कर उसे नहीं टालना चाहते हैं। हमारी मांग इसलिये नहीं है कि कम्युनिस्ट का स्तर गिरे या कांग्रेस का उठे या किसी का क्या हो। हम तो यह चाहते हैं कि हमारी सरकार निष्पक्ष कही जाय, ऐसा इन्साफ करे कि विभाग पर जो लांछन लगता है उससे वह बरी हो। हम और कुछ नहीं कहना चाहते, मिल कर्मचारियों की तरफ से ही एक पर्चा बंटा है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का कोई हाथ नहीं कहा जा सकता, उस पर श्री मुरली धर कुरील का ही असर है, उस पर्चे के दूसरे पेज पर ही आप देख लें उसकी छठी लाइन के आखिर में लिखा हुआ है कि हमें मिल मालिकों से बोनस दिलाया जाय ताकि हम मिल को चलायें और सातवीं लाइन में लिखा हुआ है कि ६४–६५ का बोनस मिल प्रबंधकों द्वारा वितरित करना चाहिये और इसके लिये कानूनी कार्यवाही करने की छूट हो। आगे लिखा है कि भविष्य में मिल प्रबन्धकों द्वारा प्रोविडेंट फंड जमा करने का उचित किस्तों में अवसर दिया। यानी सारी बातें मुलायमियत और सहूलियत से करने की बात कही गयी है ताकि लाला जी पर ज्यादा सख्ती न हो। यदि कोई बात यूसुफ जी करें या कोई विरोधी पार्टी का आदमी कहे उसे सही हो तो मान लेना चाहिये। गलत बात होने से मजदरों में असन्तोष बढ़ता है और सरकार का स्तर नीचे गिरता है जिससे सरकार बदनाम होती है। डंडे के जोर से कोई काम करने के बजाय आपको इन्साफ के जरिये दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिये ताकि किसी को किसी तरह की शिकायत न हो।

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष जी, आज जो इस संबंध में विवाद हुआ, मैं सचमुच करीब दो घंटे तक तैयारी करता रहा और सोचता था कि सभी माननीय सदस्य मजदूरों और मिल मालिकों के प्रश्न पर अच्छी तैयारी करके आवेंगे। लेकिन मुझे क्षमा किया जाय कि यहां मिल प्रबन्धकों की दुर्व्यवस्था के अलावा और मजदूरों के हित अनहित के बारे में कोई चर्चा हुई ही नहीं। और उससे....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

वह कहते हैं कि कुछ नहीं कहा। आप क्यों परेशान होते हैं? आप बैठिये, यूसुफ साहब। रिकार्ड में लिखा हुआ है कि आपने कहा है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

इस पर कोई विवाद नहीं हुआ, यूसुफ साहब ने स्वयं अपने भाषण में तीन मिल का नाम रखा, लेकिन वह लक्ष्मीरतन काटन मिल, न्यु विक्टोरिया मिल और स्वदेशी मिल को भूल गये, उनका नाम ही नहीं लिया।

श्री राधेश्याम शर्मा—

समय ही नहीं मिला।

श्री बशीधर पांडेय—

समय इसलिये नहीं मिला कि मजदूरों की हमदर्दी एक तरफ और राजनीतिक चहल-पहल जो है यह २४ फरवरी, १९६७, के बाद नहीं आने वाली है। यह दिल में हलचल क्या है कि कौन-सा ऐसा तरीका अख्तियार किया जाय जो आम जनता में हमारे चुनाव क्षेत्र में जनता हमारी ओर झुके। (व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

स्पीच के बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है, आप बैठिये।

श्री बंशीधर पांडेय—

मायर साहब, फिर पूछियेगा, मैं फिर कहूंगा, रात भर बैठ सकता हूं, लेकिन मेरे बोलनें में मत बोलिये। यूसुफ साहब ने सवाल उठाया और मै कहना चाहता हूं कि कोई उन बातों का जिक्र भी करना नहीं चाहते। जरा उनको भी कहिये। और बनारसीदास जी के बारे में आपने इसी सदन में काफी जोरों से कहा है कि लेबर मिनिस्टर ने यह बहुत बड़ा काम किया है और समय-समय पर आपने बनारसीदास जी की बड़ी तारीफ की है। यह गलत है कि रामरतन गुप्ता से उनका कोई संबंध है। बनारसीदास जैसे बहादुर नेता राम रतन गुप्ता जैसे आदमियों से कभी भी प्रभावित नहीं हो सकते। किसी भी मिल मालिक का उन के ऊपर बिलकुल भी असर नहीं है। जैसा कि माननीय राधेश्याम जी कहते हैं कि वैसे तो पूंजीपति बड़ा चालाक होता है वह तो राधेश्याम शर्मा और बंशीधर सब को ही खुश कर देता है। सब की झोली में कुछ न कुछ डाल देते हैं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

इसलिये हम चाहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त कर दी जाय।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं भी वही चाहता हू, लेकिन मैं भी कालीकट गया था वहां कांग्रेस का अधिवेशन था....

(शोर)

श्री संतसिंह यूसुफ—

मैं पूछना चाहता हूं कि इसका कोई हल होगा या नहीं ?

(शोर)

मैंने किसी को बीच में नहीं टोका लेकिन जब मैं बोलता हू तो इस तरह से गुंडागीरी की जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—

यूसुफ साहब, जरा शान्त रहिये। माननीय बैजनाथसिंह, आप भी शांत रहें। मंत्रीजी को बोलने दीजिये।

*श्री बंशीधर पांडेय—

६ सितम्बर को बिजली के कट जानसे लक्ष्मीरतन काटन मिल बन्द हो गयी। १२ सितम्बर को जब बिजली मिल गयी तो वह चालू होने वाली थी लेकिन उसी बीच में श्रमिकों में असंतोष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पैदा हो गया और वे दूसरों के भड़काने में आ गये। फिर दीवाली की छुट्टी हो गई। इसके अलावा और भी डिटेल्स की बातें हैं जिनमें जाने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात यह है कि वेतन न मिलने की सन् ६६ में पहली बार शिकायत अप्रैल में मिली। इम्पलाइज स्टेट इन्श्योरेन्स के १ लाख ९२ हजार रुपये की वसूली के लिये कलेक्टर कार्यवाही कर रहे हैं।

(व्यवधान)

प्राविडेन्ट फंड का जो बकाया है ९ लाख ३१ हजार, वह सैन्ट्रल प्राविडेन्ट फंड के कमिश्नर ने इसको एग्जेम्पट कर दिया है। उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के सामने मामला विचाराधीन है।

कान्ट्रेक्ट पर लेबर करने की शिकायत आयी है। यह बात गलत है। जो काम परमानेन्ट बेसिस का हो वह कान्ट्रेक्ट बेसिस पर नहीं होना चाहिये। जो टेम्पोरेरी काम हो वही इस बेसिस पर होना चाहिये। उसको लेबर कमिश्नर देख रहे हैं और उस ओर कार्यवाही वे करेंगे।

(व्यवधान)

जहां तक १९६२ के बोनस का सवाल है, उस समय यह बोनस ऐक्ट लागू नहीं था। यह ४ परसेंट वाली बात तो अब आयी है। (व्यवधान)। १९६२-६३ के लिये तो, हमें सूचना मिली है, मजदूरों ने स्वयं समझौता कर लिया है। आगे का बोनस हड़ताल हो जाने के कारण बंट नहीं सका। उसको हम देखेंगे और प्रयास करेंगे कि उस तरफ शीघ्र कार्यवाही हो।

विक्टोरिया मिल और स्वदेशी काटन मिल्स में एक कठिनाई है। अब हड़ताल तो नहीं है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। श्रमायुक्त उसको देख रहे हैं। यह कठिनाई कच्चा माल जैसे रुई आदि न मिलने के कारण पैदा हो गई। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि पोलीटिकल प्रेशर के कारण यह बात हो। माननीय मंत्री जी ने तो यूसूफ साहब से खुद बातचीत की थी। इस बात को कहने से कोई लाभ नहीं है कि वह बनारसी दास जी के दोस्त हैं या क्या हैं। रामरतन जी को किसी कानून के अन्तर्गत रोका नहीं जा सकता। वह लाखों रुपया पालिटिक्स में खर्च करें तो उनको हम रोक नहीं सकते। वह तो ऐसे ही रोक सकते हैं कि ऐसे लोगों को वोट न दें। राज्य सभा का चुनाव हुआ। हम बिहार के सोशलिस्ट नेताओं के यहां गये। (व्यवधान)। शान्ति प्रसाद के लड़के ने कहा कि दादा, तुम तो बहुत चुनाव लड़ते हो, पूंजीपति हो कर रुपया बांटते हो, चुने तो गये नहीं हो। मान्यवर, वे सबसे हाईएस्ट वोट पाये। सीक्रेट आर्डर हुआ। जज ने कहा कि सीक्रेसी को तोड़ो। मेरी पार्टी क्या, सभी की पार्टी के प्रमुख नेता वोटों से बिक गये थे। इसलिये सब ने तय किया कि इस विवाद को खत्म करो। (व्यवधान) तो श्रीमन्, इस तरह की बातों से कोई फायदा नहीं है।

श्री झारखण्डेराय---

जब इतना बड़ा छूत का रोग आपके सामने है तो आप उसका उन्मूलन क्यों नहीं करते ?

श्री वंशीधर पांडेय---

हम चाहते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिये हमारा और आपका सम्मेलन होना चाहिये। हम अपनी ओर से सब प्रयास कर रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, वक्तव्य में मिल के खुलने की कोई निश्चित तारीख नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप फिर पूछ लीजियेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

१५-१६ नवम्बर को कोई ऐसा समझौता हुआ था और उस समझौते को मिल मालिकों ने नहीं माना ।

श्री बंशीधर पांडेय---

हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में किसी निश्चित तिथि की घोषणा नहीं की है । मैं यह भी जानता हूं कि और मिलों की तरह इस मिल के मजदूरों का भविष्य भी अनिश्चित है । क्या आप किसी तिथि की सूचना दे सकते हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

इसमें प्रयास जारी है । हम कोई तिथि कह नहीं सकते । हमारी कोशिश यही होगी कि जल्दी से जल्दी विवाद समाप्त हो ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

यह कोई जवाब नहीं है ।

श्री झारखण्डे राय---

यूसुफ जी ने जो बातें कहीं हैं उनको मंत्री जी ने अस्वीकार नहीं किया । प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें स्वीकार ही किया है कि दिक्कतें हैं, गड़बड़ियां हैं, आदि आदि, यही स्वीकार किया गया है । जब आपने इन तमाम बातों को स्वीकार ही किया है तो क्यों नहीं एक हाई कोर्ट जज को नियुक्त करके पूरे मसले की सम्यक जांच पड़ताल करवाते ?

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, इंडस्ट्रीज और लेबर जब तक रहेगा तब तक देश या दुनिया में कभी झगड़े और और कभी शान्ति, ये चलते ही रहेंगे । ये मामला तो पंचायती तरीके से सुलझाया जा सकता है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, रुई की वजह से कारखाने नहीं चल रहे हैं । क्या माननीय मंत्री जी विशेष व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

इसके लिये तो यहां की सरकार और केन्द्र की सरकार कोशिश में है ।

श्री संतसिंह यूसुफ---

मैं मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं । स्वदेशी काटन मिल में ३१ अगस्त तक बोनस उनको देना था और लेबर कमिश्नर ने वायदा किया था कि वह ३१ दिसम्बर तक बांटा जायगा । मैं जानना चाहता हूं कि वह बांटा जायगा या नहीं, वरना वहां फिर झगड़ा फैलेगा । दूसरे, विक्टोरिया मिल में जो रुई की कमी से बन्द करने की बात कही जाती है और जब दिल्ली से कहा गया है कि रुई की कमी नहीं है केवल भाव का झगड़ा है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जब सप्ताह में एक दिन बन्द करने की बात तय कर दी तो इस मिल को चलवाने का कब तक प्रबन्ध होगा ?

श्री बंशीधर पांडेय---

उपाध्यक्ष जी, यह स्वदेशी काटन मिल का झगड़ा तो लेबर कमिश्नर के सुपुर्द है आर्बिट्रेशन के लिये और हम लेबर कमिश्नर से कहेंगे कि वह जल्द इस कार्य को निबटावें और रुई

की कमी के सम्बन्ध में भी सरकार उनका ध्यान आकृष्ट करेगी और कोशिश करेगी कि जब रुई की कमी नहीं है तो उसको चलवाया जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह इस मिल को आर्थिक दिक्कत से निकालने के लिये कुछ कार्यवाही करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

हमारे सामने जो कठिनाइयां मिल वालों की तरफ से या और भी आयेंगी और जो सुझाव आयेंगे उन पर गौर किया जायेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस मिल में केवल ५ प्रतिशत ही मजदूर स्थायी क्यों हैं, शेष क्यों नहीं हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

पांडेय जी की यह सूचना तथ्य से परे है, स्थायी लोग मिल में ६ सितम्बर, १९६६, को १,४१५ थे । यह कुल संख्या का ३० प्रति शत है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब यह विवाद समाप्त ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६

श्री उपाध्यक्ष---

एक घोषणा करना है, वह सचिव करेंगे ।

सहायक सचिव, विधान सभा---

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है कि यह इस समय घोषणा नहीं हो सकती, नियम ५३ के बाद अब यह आइटम नहीं लिया जा सकता, ५३ के बाद तो सदन समाप्त हो जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह हो सकता है ।

सहायक सचिव, विधान सभा---

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत मैं सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७) का द्वितीय (अनुपूरक) विधेयक, १९६६, जो विधान सभा द्वारा २ दिसम्बर, १९६६ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के आज दिनांक ७ दिसम्बर, १९६६, को वापस प्राप्त हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर २९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

श्रीपति सहाय,
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
७ दिसम्बर, १९६६ ।

विधान सभा प्रदेश सचिवालय

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३०(४) के अन्तर्गत ता० प्र० सं० ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८६ पर]

जिला सहकारी बैंक, कानपुर, के निरीक्षण पत्र में दिखाई गई अनियमिततायें

१—व्यक्तिगत सदस्यों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के विरुद्ध ओवर ड्राफ्ट तथा ऋण देना।

२—समिति के सदस्यों द्वारा वसूल की गई अल्पकालीन ऋण की रकम को पुनः सदस्यों में मध्यकालीन ऋण के तौर पर बांट देना जबकि उसे पहले प्रांतीय सहकारी बैंक में जमा होना चाहिये था।

३—उपभोक्ता सहकारी भंडार, कानपुर, को बिना सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, कानपुर की अनुमति के ऋण की सुविधा प्रदान करना।

४—बैंक के सरप्लस धन को हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक में रखना जो कि एप्रूव्ड (approved) बैंक नहीं है।

५—व्यक्तिगत सदस्यों तथा संस्थाओं को ओवर ड्राफ्ट की सुविधा देना।

६—व्यक्तिगत सदस्यों की भरती के संबंध में बैंक में निर्बन्धित उप-नियमों को स्वेच्छानुसार पालन करना।

७—निर्धारित सदस्यों की सारी रकम वसूल किये बिना संचालक मंडल के कतिपय सदस्यों को संचालक बनने की सुविधा प्रदान करना।

८—पंजीकृत बाइलाज के अनुसार सदस्यों की अधिकतम तथा सामान्य साख के पुष्टि के बिना ऋण की सुविधा देना।

९—निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश की स्वीकृति बिना अमानती पर ब्याज की दर चालू करना।

१०—विभागीय निरीक्षण-पत्रों तथा आडिट नोटों में सन्निहित सुझावों में सहयोग एवं आपत्तियों के निराकरण में ढील बरतना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

[देखिए नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न सं० १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९१ पर]

प्रश्न (१) का उत्तर

कर्मचारियों की	निर्धारित योजनायें तथा दी गई ट्रेनिंग	ड्यूटीज	वेतन क्रम तथा सुविधायें
नर्सिंग अर्दलीज तथा नर्सिंग असिस्टेन्ट्स ..	१ मैट्रिक (विज्ञान सहित) .. २ उन्हत्तर सप्ताह की सेकिन्ड ग्रेड नर्सिंग परीक्षा जो मिलिट्री में पास की गई थी।	ड्यूटी लिस्ट संलग्न है।	६०–१–८० विभाग में काम करने वाले नर्सिंग असिस्टेन्टस तथा नर्सिंग अर्दलीज मिलिटरी के (आई० एन० ए०) के पूर्व कर्मचारी हैं।
वेक्सीनेटर ..	१ जूनियर हाई स्कूल .. २ वेक्सीनेटर की ट्रेनिंग ..	.. ..	६५–१–७०–१–७५–१–८०–२–९० मैदान में काम करने वालों को एक बाइसिकिल तथा ४.५० रु० मासिक यात्रिक भत्ता। पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वालों को ६ ० मासिक यात्रिक भत्ता।
मेडिकल अटेन्डेन्टस ..	१ आठवीं कक्षा पास .. २ मेडिकल अटेन्डेन्टस की एक साल की ट्रेनिंग।	..	वेतन क्रम तथा अन्य सुविधाओं का प्रश्न विचाराधीन है। अभी तक इन पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नरसिंग अर्दलीज की ड्यूटी लिस्ट:—

१—वार्ड की सफाई की देख-रेख करना ।

२—शैय्यायें, कपड़ा, खाने के बर्तन, वार्ड पैन्स और पेशाबदान (जो कि वार्ड के हैं) उस के चार्ज में रहते हैं ।

३—मेडिकल आफिसर के आधीन पुरुष मरीजों की नरसिंग करना ।

४—जख्म, सेप्टिक, फोड़े इत्यादि उन पुरुष मरीजों के जो कि अस्पताल में बाहर से दवाई लेने जाते हैं उनकी ड्रेसिंग करना ।

५—छोटे-छोटे आपरेशनों में मेडिकल आफीसर की मदद करना ।

६—औजारों और ड्रेसिंग के सामानों को स्टैरीलाइज करना ।

७—जब मरीज अस्पताल से वापिस घर जाता है उस वक्त जो-जो सामान उस को दिया गया था उसे वापिस लेना ।

८—प्रातः व सायं काल भरती हुये मरीजों का बुखार नापना ।

९—भरती किये गये मरीजों के पलंग तैयार करना, अनीमा लगाना, स्पंज करना, खिलाना और दवा देना ।

१०—कोई और काम जो कि मेडिकल अफसर आज्ञा दे ।

मेडिकल अटेंडेंट्स की ड्यूटी लिस्ट :—

१—अस्पताल में वार्डों की सफाई देखना तथा शैय्याओं पर बिस्तर लगाना ।

२—मरीजों को नहलाना तथा भोजन कराना ।

३—डाक्टर की देख भाल में दवा आदि बनाना ।

४—डाक्टर को अपने कार्य को सुचारु रूप से करने में सहायता देना ।

५—बच्चा पैदा कराने के काम में सहायता देना ।

स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले नरसिंग असिस्टेंट्स की ड्यूटी लिस्ट:—

१—संक्रामक रोगी की रोकथाम में सहायता करना ।

२—पहाड़ तीर्थ यात्राओं, मेलों तथा वार्डों में कार्य करना ।

३—चेचक का टीका लगाना ।

४—संक्रमण निरोधक कार्य का प्रबन्ध करना ।

५—संक्रामक रोगों से संबंधित बीमारियों के लिए दवाओं का वितरण करना ।

६—साधारण नरसिंग के कार्य में इन्फेक्शस डिजीजेज हास्पिटल तथा आइसोलेशन वार्ड के चिकित्साधिकारी और कम्पाउन्डर की सहायता करना ।

७—रोगियों की शैय्याओं को तैयार करना तथा वार्ड की सफाई देखना ।

८—रोगियों को एनीमा देना, स्पन्जिंग करना तथा चिकित्साधिकारी के निदेशानुसार देख-रेख करना ।

९—औजारों तथा ड्रेसिंग का स्टैरीलाईजेशन करना ।

१०—इंडोर रोगियों का तापमान लेना ।

११—चिकित्साधिकारी तथा कम्पाउण्डर को आपरेशन के कमरे में सहायता करना तथा घावों की ड्रेसिंग करना ।

१२—कालाअजार पर कार्य करने वाले चिकित्साधिकारी को खून लेने के समय और यूरिया स्टिबामाइन के इन्जेक्शन कार्य में सहायता करना । गांवों में कालाअजार तथा मलरिया से संबंधित सूचना एकत्र करना ।

वैक्सीनेटरों की ड्यूटी लिस्ट :

१—प्रत्येक घर-घर जा-जा कर परिवार के सदस्यों की जन गणना कर, परिवार पंजिका में चढ़ाना ।

२—नव जात शिशुओं तथा बच्चों को प्राथमिक टीका लगाना ।

३—निश्चित काल अर्थात् हर तीन वर्ष के पश्चात् ग्राम जनता को पुनर्भेद टीका लगाना ।

४—छठे या सातवें दिन लगाये गये टीकों के फल का निरीक्षण करना ।

५—परिवार पंजिका को सुरक्षित रखना तथा उसमें नवजात शिशुओं का नाम लिखना ।

६—चेचक की बीमारी होने पर सामूहिक अभियान के अन्तर्गत चेचक का टीका लगाना ।

७—चेचक की भयंकरता के बारे में जनता को शिक्षित करना ।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० सं० ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९१ पर]

परिशिष्ट

जोगिया व केसरहा ब्लाक के प्रमुख और खंड विकास अधिकारियों द्वारा वर्ष १९६४ व १९६५ में लिये गये भत्ते का विवरण:—

नाम विकास क्षेत्र	अधिकारी का पद	वर्षवार भत्ते का विवरण १९६४	१९६५
जोगिया	प्रमुख	१,८९३.५७	१८००.९३
	क्षेत्र विकास अधिकारी	१,०६६.५०	११६६.९६
केसरहा	प्रमुख	१,०७३.४१	९३१.६७
	क्षेत्र विकास अधिकारी	८७६.४०	१४७४.४९

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'घ'

[देखिए नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न सं० ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९३ पर]

जिला	ट्रान्सफर एलाउन्स	टी० ए०	ट्रेनिंग टी० ए	मीटिंग टी० ए०	आंशिक वेतन
१—सहारनपुर	१	६	..	..	३
२—मुजफ्फरनगर	..	..	..	..	२
३—मेरठ	..	२	..	..	३
४—बुलन्दशहर	..	..	..	१	..
५—बदायूं	१	१	..	..	१
६—पीलीभीत	..	..	..	..	१
७—शाहजहांपुर	१	२	..	..	२
८—चमोली	..	३	..	..	..
९—बरेली	..	..	..	..	१
१०—पौड़ी-गढवाल	..	१	..	..	२
११—टिहरी-गढ़वाल	..	१	..	..	१
	३	१६	..	१	१६

विधान सभा प्रदेश सचिवालय

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९८ पर]

नगरा सिकन्दरपुर रोड में बननेवाली पुलियों का विवरण

क्रम-संख्या	पुलियों की संख्या	कार्य का प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि
१	.. १ ..	५-२-६४	३०-१-६५
२	.. ४ ..	५-२-६४	३०-१-६५
३	.. १ ..	२०-२-६४	२०-१२-६४
४	.. १ ..	२०-२-६४	१४-३-६५
५	.. १ ..	२५-२-६४	२०-१२-६४
६	.. १ ..	२५-२-६४	३०-१-६५
७	.. १ ..	२५-२-६५	३१-१-६५
८	.. १ ..	२-४-६४	३१-८-६५
९	.. १ ..	१३-४-६४	३१-८-६५
१०	.. १ ..	२०-४-६५	३०-९-६५
११	.. १ ..	१४-२-६६	३१-८-६६
१२	.. १ ..	१५-२-६६	३१-८-६६
१३	.. १ ..	१६-२-६६	३१-१०-६६
१४	.. २ ..	१८-२-६६	३१-१०-६६
१५	.. २ ..	१८-२-६६	३१-१०-६६
१६	.. १ ..	२२-६-६६	३१-१०-६६
१७	.. २ ..	२३-६-६६	३१-१०-६६
१८	.. २ ..	२४-६-६६	३१-१०-६६
१९	.. ११ ..	५-२-६६	३१-१-६७
२०	.. ३ ..	५-२-६६	३१-१-६७
२१	.. १ ..	१८-३-६६	३०-६-६६
२२	.. २ ..	२८-७-६६	३०-९-६६

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७३३ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति
१९६६–६७ का प्रतिवेदन

[जैसा कि १९६५–६६ की नियम समिति के प्रतिवेदन पर पुनर्विचार के उपरान्त संशोधित किया गया]

मैं नियम समिति का संशोधन प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

२—नियम समिति (१९६५–६६) का प्रतिवेदन सदन के समक्ष २९ मार्च, १९६६ को पाण्डुलिपि रूप में प्रस्तुत किया गया था और उसकी छपी हुई प्रतियां विधान सभा के सदस्यों को ५ मई, १९६६ को वितरित की गयीं।

३—उक्त प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में श्री कमलासिंह यादव ने कुछ संशोधनों की सूचना दी जिन्हें उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २५१ (ख) के अन्तर्गत श्री अध्यक्ष द्वारा नियम समिति को निर्दिष्ट किया गया। इन संशोधनों के सुझावों पर विचार करने के लिये समिति की बैठक १५ जून, से २० जून, १९६६ तक नैनीताल में हुई।

(बैठकों की कार्यवाहियों के लिये कृपया परिशिष्ट देखिये।)

४—उपर्युक्त बैठकों का उपयोग गत वर्ष की नियम समिति के समक्ष लम्बित कुछ कार्यों तथा श्री अध्यक्ष की अनुमति से समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये कतिपय अन्य सुझावों पर निर्णय लेने के लिये भी किया गया। नियमों में संशोधन के लिये जो सिफारिशें की गयीं हैं, वह आगामी पैराग्राफों में दी गई हैं।

५—समिति ने यह भी निश्चय किया कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों की सूचना देने के दिनांक से ६–७ दिन के भीतर इन प्रश्नों को विधान सभा की कार्यसूची में आ जाना चाहिये।

(कृपया पृष्ठ ४५ पर समिति की बैठकों की कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण देखें।)

६—संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिया गया निम्नलिखित आश्वासन भी उल्लेखनीय है—

"१ जनवरी, १९६६ के उपरान्त जो अधिनियम बने हैं, उनके अन्तर्गत निर्मित नियमों आदि में प्रत्येक संशोधन संख्यांकित किया जायगा।"

(कृपया पृष्ठ ३८ पर समिति की बैठकों की कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण देखें।)

सिफारिशें
नियम ३

(१) नियम ३ में "विभाजन" शब्द की वर्तमान परिभाषा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"'विभाजन' का तात्पर्य सदस्यों को सभा-कक्षों में भेजकर या अन्य किसी रीति का अनुसरण करके अभिलिखित मतदान से है;"

(२) नियम ३ में "गजट" शब्द की परिभाषा में से शब्द "हिन्दी" निकाल दिया जाय।

(३) नियम ३ में "विधान मंडल" की परिभाषा के पश्चात "सभा-कक्ष" शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार जोड़ दी जाय—

"'सभा कक्ष' (लाबी) से तात्पर्य उस कक्ष से है जो सभा-मण्डप से संलग्न है और जो सभा-मण्डप के साथ ही समाप्त होता है;"

(४) नियम ३ में "सदस्य" की परिभाषा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

" 'सदस्य' का तात्पर्य सभा के सदस्य से है और अनुच्छेद १७७ के प्रयोजनों के लिये उसमें मंत्री तथा राज्य के महाधिवक्ता भी सम्मिलित हैं" ;

(५) नियम ३ में "सदन के परिसर" पद की वर्तमान परिभाषा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"सदन के परिसर" का तात्पर्य मुख्य विधान भवन स्थित सभा मण्डप, सभा-कक्ष, दीर्घाय, विधान सभा सचिवालय के अध्यासन में कमरे, अध्यक्ष-कक्ष, उपाध्यक्ष-कक्ष, समिति-कक्ष, विधान पुस्तकालय, विधान वाचनालय, पार्टियों के कमरे, सभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ विधान भवन के सब स्थान तथा उनकी ओर जाने वाली मार्गों से है तथा उन स्थानों से भी है जिन्हें अध्यक्ष समय-समय पर निर्दिष्ट करें ;

(६) नियम ३ में "संकल्प" शब्द की परिभाषा में शब्द "प्रस्ताव" के स्थान पर शब्द "प्रस्थापना" रख दिया जाय ।

(७) नियम ३ में "अध्यक्ष" शब्द की परिभाषा के पश्चात निम्न परिभाषा और जोड़ दी जाय—

" 'पटल' का तात्पर्य जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो सदन के पटल से है;"

नियम ४

(८) नियम ४ के उपनियम (२) की पंक्ति १ में शब्द 'उपनियम (१) के अन्तर्गत के पश्चात् शब्द "सदस्यों को" बढ़ा दिये जायं ।

(९) नियम ४ के उपनियम (२) के परन्तुक की पंक्ति ३ में शब्द "तिथि" और "एवं" के मध्य चिन्ह व शब्द "समय" बढ़ा दिये जायं ।

नियम ५

(१०) नियम ५ की पंक्ति २ में शब्द "राज्यपाल" के पश्चात् आये हुए शब्द 'के समक्ष' निकाल दिये जायं तथा नियम ५ के अन्त में पूर्ण विराम से पहले शब्द "तथा उस पर, एवं एतत्प्रयोजनार्थ रखी गयी पंजी में, हस्ताक्षर करेगा" बढ़ा दिये जायें ।

नियम ६

(११) वर्तमान नियम ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"६—सदस्यों की आसन व्यवस्था —(क) सदस्य साधारणतः अध्यक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार बैठेंगे ।

(ख) कोई भी अन्य व्यक्ति उस आसन पर नहीं बैठेगा जो सभा-मण्डप में सदस्यों के लिये अभिप्रेत हैं"

नियम ७

(१२) नियम ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"७—अनुच्छेद १९३ के उपबन्धों के अधीन दन्ड विधि या विधान—कोई भी व्यक्ति जिसके संबंध में अध्यक्ष यह निश्चित करे कि वह अनुच्छेद १९३ के अधीन दोषी है एतदर्थ उपबद्ध शास्ति का भागी होगा। इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।"

नियम ८

(१३) नियम ७ निकाल दिया जाय ।

नियम ११

(१४) नियम ११ के उपनियम (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"११—अधिष्ठाता मंडल—(१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने पर अध्यक्ष सभा के सदस्यों में से अधिक से अधिक दस सदस्यों का एक मंडल नाम निर्देशित करेंगे और उनमें से कोई एक, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के भी अनुपस्थिति होने पर, पीठासीन सदस्य के कहने पर, सभा में पीठासीन हो सकेंगे।"

नियम १२

(१५) नियम १२ की पंक्ति ४ में शब्द "सभा" के स्थान पर शब्द "गणपूर्ति होने की दशा में" तथा अन्तिम पंक्ति में शब्द "करेगी" के स्थान पर शब्द "की जायगी" रख दिये जायं।

नियम १३

(१६) नियम १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"१३—उपाध्यक्ष तथा अधिष्ठाता की शक्तियां—उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य की जो, संविधान अथवा इस नियमावली के अन्तर्गत सभा के उपवेशन में पीठासीन होने के लिये सक्षम हों, जब वे पीठासीन हों, वही शक्तियां होंगी जो कि पीठासीन होने पर अध्यक्ष की होती हैं और ऐसी अवस्था में इस नियमावली में अध्यक्ष से सम्बद्ध सब निर्देश उस पीठासीन व्यक्ति के प्रति निर्देश समझे जायेंगे।"

नियम १४

(१७) नियम १४ की पंक्ति ३ में शब्द "उपाध्यक्ष को" के बाद शब्द "तथा उनकी अनुपस्थिति में अधिष्ठाता मण्डल के किसी सदस्य को" बढ़ा दिये जायें और इसके वर्तमान शीर्षक में शब्द "उपाध्यक्ष को" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष द्वारा" रख दिये जायें।

नियम १८

(१८) नियम १८ की पंक्ति २ में शब्द "संकल्प" के स्थान पर शब्द "प्रस्ताव" रख दिया जाय।

नियम २०

(१९) नियम २० के उपनियम (३) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "चार" रख दिया जाय।

नियम २६

(२०) नियम २६ की द्वितीय पंक्ति में शब्द "वर्ग के कार्य" निकाल दिये जाय तथा पंक्ति ४ में शब्द "जब तक" और शब्द "उसे" के मध्य शब्द "कि दूसरी तत्संबंधी सूचना पर" बढ़ा दिये जायं।

परन्तुक में शब्द "उस वर्ग" के निकाल दिये जायें तथा उनके स्थान पर "असरकारी" शब्द रख दिया जाय।

नियम २७—२८

(२१) नियम २७ को पुनरंकित करके नियम २८ तथा नियम २८ को पुनरंकित करके नियम २७ कर दिया जाय।

(२२) नियम २८ की पंक्ति २ में शब्द "सरकार" के स्थान पर शब्द "शासन" रख दिया जाय।

नियम २९

(२३) नियम २९ के खण्ड (३) की पंक्ति १ के आदि के शब्द "यह" के स्थान पर शब्द "वह" रख दिया जाय ।

(२४) नियम २९ के खंड (४) की प्रथम पंक्ति में शब्द "या" या शब्द "किसी" के बीच में शब्द "विधि संबधी प्रश्न या" रख दिये जायं ।

(२५) नियम २९ के खण्ड (९) की पंक्ति ३ में शब्द "कार्य,सम्पादन" के स्थान पर शब्द "कृत्यों" रख दिया जाय ।

(२६) नियम २९ के खण्ड (१२) की पंक्ति ३ में शब्द "शासन के साथ" के स्थान पर शब्द "और शासन के" रख दिये जाय ।

(२७) नियम २९ के खण्ड (१३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(१३) उसमें वर्तमान सत्र में हुये वाद-विवाद का निर्देश नहीं होगा,"

(२७—क) नियम २९ के खण्ड (१५) की पंक्ति २ तथा ३ में शब्द "के विनिश्चय अथवा कार्यवाहियां के स्थान पर शब्द "में की जाने वाली चर्चा अथवा उसकी कार्यवाहियां" रख दिये जायं ।

(२८) नियम २९ के खण्ड (१७) की पंक्ति १ में आदि के शब्द "इसका" के स्थान पर "उसका" रख दिया जाय ।

(२९) नियम २९ के उपनियम (२०) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(२०) उसमें ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायगा जो कोई न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो । किन्तु यदि उससे न्यायाधिकरण संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका न हो तो उसमें जांच की प्रक्रिया या व्याप्ति या प्रक्रम से संबंधित विषयों की ओर निर्देश किया जा सकेगा ।"

नियम ३०

(३०) नियम ३० के उपनियम (२) की पंक्ति ३ और ४ के शब्द "के लिये सहमत है" के स्थान पर शब्द "की स्थिति में है" रख दिये जाय ।

(३१) नियम ३० के उपनियम (४) की पंक्ति ४ का शब्द "पूर्वगामी" निकाल दिया जाय ।

नियम ३१

(३२) नियम ३१ के उपनियम (२) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:—

"परन्तुक यह भी कि यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न की ग्राह्यता अथवा अग्राह्यता का विनिश्चय करने के लिये अधिक समय की आवश्यकता है तो वह प्रश्न उत्तर के लिये कार्य-सूची में उस दिन के बाद किसी दिन रखा जायगा जिस दिन वह नियमों के अधीन नियत किया जाता ।"

(३३) नियम ३४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए:—

"३४—प्रश्नों की संख्या की परिसीमा—मौखिक उत्तर के लिए किसी एक दिन की प्रश्न सूची में एक ही सदस्य के तारांक लगा कर विभेद किए गए दो से अधिक प्रश्न नहीं रखे जायेंगे। दो से अधिक प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूची में रख दिए जायेंगे।"

नियम ३८

(३४) नियम ३८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"३८—प्रश्नों की सूचना देने की रीति—प्रश्न विभागीय मन्त्री को सम्बोधित होंगे और सचिव को उनकी लिखित सूचना दी जाएगी।

व्याख्या—एक दिन प्राप्त हुए प्रश्न उसी दिन के समझे जायंगे, चाहे प्रश्नकर्त्ता ने उन पर विभिन्न दिनांक अंकित कर दिए हों।"

नियम ४३

(३५) नियम ४३ के उपनियम (१) की पंक्ति २ में शब्द "पर अथवा किसी प्रश्न" के स्थान पर शब्द "अथवा उत्तर" रख दिए जायें।

(३६) नियम ४३ के उपनियम (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(२) अध्यक्ष की अनुज्ञा से सदस्य प्रश्नाधीन विषय सम्बन्धी तत्वों पर अग्रेतर स्पष्टीकरण के हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे:

परन्तु अध्यक्ष कोई ऐसा अनुपूरक प्रश्न अस्वीकार करेंगे, यदि उनकी राय में उससे प्रश्नों सम्बन्धी नियम भंग होते हैं।"

नियम ४८

(३७) नियम ४८ के उपनियम (१) की पंक्ति २ में शब्द "किसी दिन" के स्थान पर शब्द "निर्धारित दिन" रख दिये जायें तथा पंक्ति ३ व ४ के शब्द "उस उपवेशन में अन्य किसी कार्य के लेने से पहले प्रश्नों के लिये उपलब्ध समय के भीतर" निकाल दिये जायें।

(३८) नियम ४८ के उपनियम (२) के शब्द "सचिव किसी दिन विशेष के लिए निर्धारित प्रश्नों की एक अस्थायी सूची बनायेगा" के स्थान पर शब्द "सचिव प्रत्येक कार्य-दिवस के लिए निर्धारित प्रश्नों की एक अस्थायी सूची बनायेंगे" रख दिए जायें।

नियम ५०

(३९) नियम ५० के उपनियम (१) की पंक्ति २ में शब्द "सदन में" के पश्चात् शब्द "हाल में" बढ़ा दिए जायें।

(४०) नियम ५० के उपनियम (३) के द्वितीय परन्तुक की पंक्ति २ के शब्द "अपेक्षण" के स्थान पर "अपेक्षा" रख दिया जाए।

नियम ५२

(४१) नियम ५२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए:—

"५२—अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—(१) कोई सदस्य, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना सचिव को उपवेशन आरम्भ होने के एक घंटा पूर्व दे सकेंगे। ऐसी सूचना द्वि-प्रतिक होगी। सचिव सूचना की एक प्रति सम्बद्ध मन्त्री को सूचनार्थ भेज देंगे।

(२) किसी ऐसी सूचना के स्वीकृत हो जाने पर सम्बद्ध मन्त्री सूचनांकित विषय पर उसी दिन अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगे या किसी भावी तिथि पर वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकेंगे। लिखित वक्तव्य होने की दशा में उसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भी दी जाएगी।

(३) ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा परन्तु अध्यक्ष, यदि उचित समझें तो सूचनांकित विषय सम्बन्धी तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्नों की अनुमति दे सकेंगे।

(४) एक ही उपवेशन में एक से अधिक ऐसे विषय नहीं उठाये जायेंगे।

(५) एक ही दिन के लिए एक से अधिक सूचनायें प्राप्त होने की दशा में उस सूचना को स्वीकार किया जायगा जिसका विषय अध्यक्ष की राय में सर्वाधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण हो।"

नियम ५३

(४२) नियम ५३ के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"परन्तु सूचना के साथ एक व्याख्यात्मक टिप्पणी सलग्न होगी जिसमें विषय की चर्चा उठाने के कारण दिए जायेंगे :

और सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर से होगा।"

नियम ५५

(४३) नियम ५५ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिये जायें :—

"विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिए दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मन्त्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जाएगी।"

नियम ५९

(४४) नियम ५९ की पंक्ति १—३ के शब्द "किसी लोक महत्व के निश्चित अविलम्बनीय विषय पर चर्चा के लिए सदन-स्थगन करने का प्रस्ताव करने का अधिकार निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन होगा, अर्थात्" के स्थान पर शब्द "कार्य-स्थगन प्रस्ताव निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन ग्राह्य होगा" रख दिये जायें।

(४५) नियम ५९ के उपनियम (६) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

"(६) प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जा सकेगा जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो, किन्तु इस आधार पर प्रस्ताव को अग्राह्य करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्रत्याशित विषय पर चर्चा उचित समय के भीतर सदन के समक्ष आने की संभावना है; तथा"

नियम ६०

(४६) नियम ६० की पंक्ति में २ शब्द "साधारणतः" हटा दिया जाय तथा परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"परन्तु यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि इससे न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है तो अध्यक्ष स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे जो जांच की प्रक्रिया या व्याप्ति या प्रक्रम से सम्बन्धित हो।"

नियम ६१

(४७) नियम ६१ (१) की प्रथम और दूसरी पंक्ति के शब्द "प्रश्नों के अनन्तर और कार्य सूची में दिए हुए कार्य के आरम्भ होने के पूर्व अध्यक्ष प्रस्ताव को लेंगे और यदि उनका यह विचार हो" के स्थान पर शब्द "यदि अध्यक्ष इस विचार के हों" रख दिए जायं।

नियम ६४—६८

(४८) वर्तमान नियम ६४ से ६७ के स्थान पर निम्नलिखित नियम ६४ से ६८ के रूप में रख दिया जाए:—

"६४—विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न का उठाया जाना—किसी सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से—

(१) किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा,

(२) सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा,

(३) याचिका द्वारा, अथवा

(४) समिति के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकेगा :

परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष हो हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा ।

६५—सदस्य द्वारा शिकायत—जो सदस्य ऐसा प्रश्न उठाना चाहें वे सचिव को लिखित सूचना देंगे। यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जाएगी।

यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना द्वि-प्रतिक होगी जिसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भेज दी जाएगी।

६६—"ग्राह्यता की शर्तें—

(१) ऐसे प्रश्न की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों से नियन्त्रित होगी :—

(क) प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निर्बद्ध हो,

(ख) सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन से विदित हो, तथा

(ग) ऐसे मामले में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो :

परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता सम्बन्धी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेख्यों, यदि कोई हों, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को भी सुन सकेंगे।

(२) एक उपवेशन में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाए जायेंगे।

६७—शिकायत का प्रस्तुत किया जाना—यदि इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष के मत में विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान की सूचना सम्मति योग्य तथा ग्राह्य हो तो उस मामले को विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के निमित्त निर्दिष्ट कर सकेंगे और उसकी सूचना सदन को देंगे। यदि अध्यक्ष के मत में सूचना अग्राह्य हो तो वे अस्वीकृति की सूचना सदन को देंगे।

किन्तु यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पूर्व सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे।

६८—यदि अध्यक्ष इस मत के हों कि सूचना का विषय ऐसा है जो बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किए ही सदन में निस्तीर्ण किया जा सकता है तो यह

प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रश्न पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाए।

परन्तु यदि सूचना सचिव या समिति के प्रतिवेदन द्वारा अथवा याचिका द्वारा प्राप्त हुई है तो सदन में विषय पर विचार आरम्भ होने के पूर्व, यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो प्रतिवेदन अथवा याचिका की प्रतियां छपवा कर सदस्यों में वितरित की जायेंगी।"

नियम ६८—६९

(४९) वर्तमान नियम ६८ तथा ६९ के स्थान पर निम्नलिखित नियम ६९ के रूप में रख दिया जाय—

"६९—सदन के समक्ष शिकायत का निस्तारण—(१) यदि सदस्य के विरुद्ध शिकायत का सदन में निस्तारणार्थ लाया जाना निश्चित हो जाए तो उक्त सदस्य को सूचना दी जायगी और उसको स्पष्टीकरण तथा निर्दोषिता सिद्धि के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का तथा तत्सम्बन्धी लेख्य या लेख्यों के निरीक्षण करने तथा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

(२) वे सदस्य जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है, इस प्रकार नियत दिन पर सदन में उपस्थित होंगे और यदि उपस्थित होने में असमर्थ हों तो वे अध्यक्ष को अनुपस्थिति के कारण की सूचना देंगे और सदन दिए गए कारण को देखते हुए उस विषय पर विचार स्थगित कर सकेगा। किन्तु यदि सदन की राय में अनुपस्थिति का समुचित कारण नहीं है या वे सदस्य जान बूझकर अनुपस्थित रहें तो सदन उनकी अनुपस्थिति में ही उस विषय पर विचार प्रारम्भ कर सकेगा। यदि कोई सदस्य अनुपस्थित हों और अपरिहार्य परिस्थिति वश वे अपनी अनुपस्थिति के कारणों की सूचना न दे सके हों, तो सदन उनकी प्रार्थना पर प्रश्न को पुनः विचारार्थ ले सकेगा।

(३) वे सदस्य जिनके विरुद्ध शिकायत की गई हो सदन में उपस्थित हो कर अपना स्पष्टीकरण देने के बाद सदन से बाहर चले जायेंगे और वे तब तक सदन में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि वह विषय सदन के विचाराधीन रहे। किन्तु सदन उन्हें कार्यवाही सुनने की अनुमति दे सकेगा और अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए या क्षमा याचना के लिए उन्हें पुनः बुला सकेगा।

(४) इस नियम में उपबद्ध प्रक्रिया उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी, जो सदस्य न हों, यथोचित परिवर्तनों सहित प्रवृत्ति होगी।"

नियम ७०

(५०) नियम ७० के प्रारम्भ में शब्द "प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त विशेषाधिकार" जोड़ दिए जायें।

नियम ७१—७२

(५१) नियम ७१—७२ निकाल दिए जायं।

नियम ७३

(५२) वर्तमान नियम ७३ के स्थान पर निम्नलिखित नियम ७१ के रूप में, रख दिया जाए—

"७१—मूल प्रस्ताव—जब सदन इस प्रस्ताव से—

(१) कि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान, जो सदन के प्रत्यक्ष ही किया गया हो, के प्रश्न पर विचार किया जाए; या

(२) नियम ६८ के अन्तर्गत विषय पर तत्काल विचार किया जाय; या

(३) नियम ७० के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन विचारार्थ लिया जाय,

सहमत हो जाय तो कोई सदस्य मूल प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे जिसमें यथास्थिति विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान अथवा प्रतिवेदन को अभिपुष्ट करते हुए सुझाव होगा कि सदन को उस पर क्या कार्यवाही करनी चाहिए तथा कोई अन्य सदस्य प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत कर सकेंगे।"

नियम ७४

(५३) नियम ७४ की पंक्ति २ में शब्द "सदन के प्रत्यक्ष की गयी हो" के स्थान पर शब्द "अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष किया गया हो" रख दिये जायेंगे।

नियम ७४—७५—७६

(५४) नियम ७४—७५—७६ पुनरंकित किये जायें।

नियम ७७

(५५) नियम ७७ की पंक्ति २ में शब्द "अवहेलना" के पश्चात् शब्द "अथवा अवमान" जोड़ दिए जायं।

नियम ७९

(५६) नियम ७९ की पंक्ति २ में आरम्भिक शब्द "विषयक" से पूर्व शब्द "अथवा अवमान" जोड़ दिए जायें।

नियम ८०

(५७) नियम ८० की पंक्ति २ में "विशेषाधिकार" शब्द के बाद शब्द "अथवा अवमान" जोड़ दिए जायें।

नियम ८१

(५७) नियम ८१ निकाल दिया जाय।

नियम ८२

(५९) नियम ८२ की पंक्ति ३ में शब्द "के किसी प्रश्न" के पूर्व शब्द "अथवा अवमात्" जोड़ दिये जायें।

नियम ८४

(६०) नियम ८४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए :—

"८४—दण्डाधिकारी द्वारा सदस्यों के बन्दीकरण, निरोध आदि की अध्यक्ष को सूचना—जब कोई सदस्य किसी दोषारोप या किसी दण्ड्य अपराध के लिए बन्दी किया जाय या उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दन्डादेश दिया जाय या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाय, तो यथास्थिति न्यायाधीश या दण्डाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी अनुसूची में दिए गए समुचित प्रपत्र में यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध

या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना शीघ्रता के साथ अध्यक्ष को देगा।"

नियम ८६

(६१) नियम ८६ में "सत्र" शब्द के स्थान पर "उपवेशन" रख दिया जाय तथा परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए :—

"परन्तु यदि किसी ऐसे सदस्य के जमानत पर या अन्यथा प्रमुक्त होने की सूचना सदन को मूल कारावास की सूचना दिये जाने से पहले ही प्राप्त हो जाए तो उसके बन्दीकरण या कारावासित होने तथा बाद में प्रमुक्त होने के तथ्य को अध्यक्ष चाहें तो सदन को सूचित न करें।"

नियम ८९

(६२) नियम ८९ के उपनियम (२) को वहां से हटा दिया जाय, और उसे नियम ९५ के उपरान्त नियम ९५—क के रूप में निम्न प्रकार से रखा जाय—

"९५-क—असरकारी सदस्य के संकल्प की प्रतिलिपि शासन को भेजा जाना—असरकारी सदस्य का संकल्प यदि शलाका में स्थान प्राप्त कर ले और अध्यक्ष द्वारा गृहीत हो जाय तो उस पर चर्चा के लिए नियत दिनांक से साधारणतया १२ दिन पूर्व उसकी एक प्रतिलिपि शासन को भेजी जाएगी।"

नियम ९०

(६३) नियम ९० की पहली पंक्ति में शब्द "शासन" के स्थान पर शब्द "मन्त्री" रखा जाय और तीसरी पंक्ति में शब्द "उसकी प्राप्ति" के पूर्व शब्द "साधारणतः" रखा जाय।

नियम ९१—९२

(६४) नियम ९१ को नियम ९२ के रूप में तथा नियम ९२ को नियम ९१ के रूप में पुनरंकित किया जाय।

नियम ९३

(६५) नियम ९३ के उपनियम (२) में शब्द "प्रश्न" के स्थान पर शब्द "वाद विषय" रख दिया जाय।

(६६) नियम ९३ के उपनियम (४) की पंक्ति १ में शब्द "के पदेन" के स्थान पर शब्द "की सरकारी" रख दिये जायें।

नियम ९४

(६७) नियम ९४ को पुनरंकित करके नियम ९५ के रूप में निम्न प्रकार रखा जाय—

"९५—संकल्पों की ग्राह्यता—अध्यक्ष संकल्प की ग्राह्यता के बारे में विनिश्चय करेंगे और संकल्प को नियमानुकूल बनाने के लिए स्वविवेक से उसके रूप में परिवर्तन कर सकेंगे। वे किसी संकल्प या उसके किसी भाग को अस्वीकृत कर सकेंगे जो नियमानुकूल न हो अथवा संकल्प प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो अथवा किसी अन्य प्रकार से सदन की प्रक्रिया में बाधा या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए आयोजित हो।"

नियम ९५

(६८) नियम ९५ को पुनरंकित करके नियम ९४ के रूप में निम्न प्रकार रखा जाय —

"९४—न्यायाधिकरण अथवा अन्य संविहित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित विषय पर चर्चा उठाना—ऐसे संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो, जो किसी न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसन्धान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो :

परन्तु यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाए कि इससे न्यायाधिकरण आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के बारे में विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है तो अध्यक्ष स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठान की अनुमति दे सकेंगे जो जांच की प्रक्रिया या व्याप्ति या प्रक्रम से संबंधित हो"

नियम ९६

(६९) नियम ९६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये—

"९६—संकल्पों का प्रस्तावन तथा वापसी—(१) कार्य सूची में जिस सदस्य के नाम में संकल्प हो वह अथवा कोई दूसरा सदस्य, जिसको उसने अपनी ओर से कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पुकारे जाने पर संकल्प को प्रस्तुत करेगा और उस दशा में कार्य-सूची में दिये हुये शब्दों में औपचारिक प्रस्ताव के साथ अपना भाषण देगा अथवा यदि वह संकल्प प्रस्तुत न करना चाहे तो उस दशा में वह अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा :

परन्तु अध्यक्ष स्वविवेक से उस सदस्य को संक्षेप में यह वक्तव्य देने की अनुज्ञा दे सकेंगे कि वह संकल्प को क्यों प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

(२) यदि सदस्य पुकारे जाने के समय अनुपस्थित हो और उपनियम (१) के अन्तर्गत किसी दूसरे सदस्य को उसकी ओर से कार्य करने के लिये नियमित रूप से प्राधिकृत न किया गया हो तो उसके नाम में अंकित संकल्प व्यपगत हो जायगा।"

नियम ९७

(७०) नियम ९७ का परन्तुक निकाल दिया जाय।

नियम १००

(७१) नियम १०० के उप नियम (२) की पंक्ति १ में शब्द "आज्ञा" के स्थान पर शब्द "अनुमति" रख दिया जाय।

नियम १०२

(७२) नियम १०२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"१०२—संकल्पों का विभाजन—जब किसी संकल्प पर "जिसमें कई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हों" चर्चा हो चुकी हो, तब अध्यक्ष उस संकल्प को स्वविवेक से विभाजित कर सकेंगे और उसके प्रत्येक या किसी अंश को, जैसा भी वे उचित समझें, पृथक मत के लिये रख सकेंगे।"

नियम १०३

(७३) नियम १०३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय--

"१०३--संकल्प की पुनरावृत्ति--अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर यदि कोई संकल्प लम्बित हो अथवा निस्तीर्ण किया जा चुका हो तो यथास्थिति संकल्प के लम्बनकाल में अथवा उसके निस्तारण की तिथि से ६ महीने के भीतर कोई ऐसा संकल्प या संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जिसमें सारतः वही वाद विषय या प्रश्न उठाया जाय जो पूर्व संकल्प में अन्तर्निहित था।"

नियम ११०

(७४) नियम ११० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"११०--न्यायाधिकरण, आयोग आदि के समक्ष विषयों पर चर्चा उठाने के लिये प्रस्ताव--ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हो जो किसी न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसन्धान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो :

परन्तु यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि इस न्यायाधिकरण संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है तो अध्यक्ष स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे जो जांच की प्रक्रिया या व्याप्ति या प्रक्रम से संबंधित हो।"

नियम ११४

(७५) नियम ११४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"११४--प्रस्ताव की पुनरावृत्ति--अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर यदि कोई प्रस्ताव लम्बित हो अथवा निस्तीर्ण किया जा चुका हो तो यथास्थिति प्रस्ताव के लम्बनकाल में अथवा उसके निस्तारण की तिथि से ६ महीने के भीतर कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जिसमें सारतः वही वाद-विषय या प्रश्न उठाया जाय जो पूर्व प्रस्ताव में अन्तर्निहित था :

परन्तु जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें यहां कही गई किसी बात से निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने को रोका गया नहीं समझा जायेगा 'अर्थात्--

(क) किसी विधेयक को विचारार्थ लेने या प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव जब उसी प्रकार से किसी पिछले प्रस्ताव पर इस आशय का कोई संशोधन कि उस पर राय जानने के लिये विधेयक को घुमाया जाय या पुनः घुमाया जाय, स्वीकृत हो गया हो;

(ख) सभा के पुनर्विचार के लिये राज्यपाल द्वारा विधेयक का प्रत्यावर्तन किये जाने के उपरान्त किया गया कोई प्रस्ताव, जो ऐसे संशोधन के लिये किया जाय जो पुनर्विचारार्थ निर्दिष्ट विषय या विषयों से सुसंगत हो;

(ग) किसी विधेयक के संशोधन का प्रस्ताव जो किसी अन्य संशोधन का, जो स्वीकार हो चुका हो, आनुषांगिक हो या केवल उसका प्रारूपण बदलने के लिये आयोजित हो।"

नियम ११७

(७६) नियम ११७ की पंक्ति ३ में शब्द "विधेयक" के पहले शब्द "सरकारी" जोड़ दिया जाय ।

नियम ११८

(७७) नियम ११८ के उपनियम (१) की पंक्ति ३ के शब्द "विधेयक" के पूर्व शब्द 'किसी' बढ़ा दिया जाय ।

(७८) नियम ११८ के उप नियम (२) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय---

"(२) यदि किसी ऐसे विधेयक को पुरः स्थापित करने की सूचना दी जाय जो अध्यक्ष की राय में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अथवा राज्यपाल की सिफारिश के बिना पुरः स्थापित नहीं किया जा सकता, तो अध्यक्ष सूचना की प्राप्ति के उपरान्त यथाशीघ्र उस विधेयक को, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल को निर्दिष्ट करेंगे ।"

नियम ११९

(७९) नियम ११९ की पंक्ति २ में शब्द "लम्बित किसी अन्य विधेयक" के स्थान पर शब्द "किसी अन्य लम्बित विधेयक" रख दिये जायं ।

(८०) नियम ११९ के परन्तुक की पंक्ति १ में शब्द "दूसरा" के स्थान पर शब्द "ऐसा" तथा पंक्ति २ में शब्द "पहला" के स्थान पर शब्द "लम्बित" रख दिया जाये ।

नियम १२१

(८१) नियम १२१ के अन्त के विराम के स्थान पर द्विबिन्दु रख दिया जाय और निम्नलिखित एक परन्तुक के रूप में बढ़ा दिया जाये---

"परन्तु जहां किसी विधेयक में कोई खन्ड जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त हो मोटे टाइप या वक्राक्षरों में न छापा जाये तो अध्यक्ष विधेयक के भार साधक सदस्य को ऐसे खण्डों को सभा की जानकारी में लाने की अनुज्ञा दे सकेंगे ।"

नियम १२२

(८२) नियम १२२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये---

"१२२---विधायिनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन---जिस विधेयक में विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हों उसके साथ एक ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याप्ति की व्याख्या होगी ।"

नियम १२४

(८३) नियम १२४ की प्रथम तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "पूर्वता" के स्थान पर शब्द "पूर्ववर्तिता" रखा जाय तथा उप नियम (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये---

"(२) असरकारी सदस्यों के विधेयकों की सापेक्षपूर्ववर्तिता, जो सदन में लम्बित हों, निम्न क्रम में निर्धारित की जायेगी---

(क) वे विधेयक जो राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद २०० और २०१ के अन्तर्गत सन्देश सहित वापस किये गये हों;

(ख) वे विधेयक जिनके सम्बन्ध में उनके पारित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका हो;

(ग) वे विधेयक जो सभा द्वारा पारित तथा परिषद द्वारा संशोधन सहित लौटाये गये हों;

(घ) वे विधेयक जो परिषद् द्वारा पारित तथा सभा को पहुंचाये गये हों,

(ङ) वे विधेयक जिनके सम्बन्ध में यह प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है कि विधेयक पर विचार किया जाये ;

(च) वे विधेयक जिनके संबंध में प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किया जा चुका हो;

(छ) वे विधेयक जो राय जानने के लिये परिचालित किये गये हों;

(ज) वे विधेयक जिनका पुरःस्थापन हो चुका हो और जिनके संबंध में कोई और प्रस्ताव उपस्थित या स्वीकृत न किया गया हो;

(झ) अन्य विधेयक ।"

(८४) नियम १२४ में निम्नलिखित उप-नियम (४) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(४) अध्यक्ष विशेष आदेश द्वारा जो सभा में विघोषित किया जायगा उप-नियम (२) में दिये गये विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता में ऐसे परिवर्तन कर सकेंगे जो वे आवश्यक या सुविधाजनक समझें ।"

नियम १२५

(८५) नियम १२५ को परन्तुक सहित नियम १२६ के उप-नियम (२) के रूप में पुनरंकित किया जाये और उसकी पंक्ति १–२ में शब्द 'किसी विधेयक के पुरःस्थापन करने की अनज्ञा" के स्थान पर शब्द "ऐसे" रख दिया जाये ।

(८६) पुनरंकित नियम १२६ में निम्नलिखित उप-नियम (१) के रूपमें जोड़ दिया जाये :—

"(१) नियम ११७ के अधीन रहते हुये किसी भी विधेयक की पुरःस्थापना के पूर्व सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की जायगी, परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन रहते हुए उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयीं हों ।"

नियम १२६

(८७) नियम १२६ को नियम १२७ के रूप में पुनरंकित करके निम्न प्रकार रक्खा जाय—

"१२७—विधेयक का पुरःस्थापन—नियम ११७ अथवा नियम १२५, जैसी भी स्थिति हो, में वर्णित प्रक्रिया के उपरान्त विधेयक "भार साधक सदस्य" द्वारा पुरःस्थापित किया जायगा ।"

नियम १२७–१२९

(८८) नियम १२७, १२८ तथा १२९ को क्रमशः नियम १२८, १२९ तक १२५ के रूप में पुनरांकित किया जाय ।

नियम १३०

(८९) नियम १३० के प्रथम परन्तुक की पंक्ति १ का अन्तिम शब्द "धन" निकाल दिया जाये ।

नियम १३१

(९०) नियम १३१ को वर्तमान नियम १२६ के बाद रखा जाये और उसे तथा अनुवर्ती नियमों को तदनुसार पुनरंकित कर दिया जाये ।

नियम १३२

(९१) नियम १३२ के उपनियम (१) की पंक्ति ३–४ के शब्द "सामान्य उपबन्धों पर" के स्थान पर शब्द "उपबन्धों पर सामान्य' रख दिये जायं तथा उपनियम २ (क) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'विधेयक" के पश्चात् शब्द ऐसे अनुदेशों के सहित जो कि अवश्यक समझ जाय" रख दिये जाय तथा उपनियम २ (ख) की तीसरी पंक्ति में शब्द "विधयक को" के पश्चात शब्द "ऐसे अनुदेशों के सहित जो कि आवश्यक समझे जायें" रख दिये जाये ।

नियम १३२-क

(९२) वर्तमान नियम १३२ के उपरान्त निम्नलिखित नियम १३२–क के रूप में जोड़ दिया जाये—

"१३२—क—प्रवर समिति को गठित करने का प्रस्ताव—जब सभा किसी विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करना निश्चित करे तो प्रवर समिति नियमानुसार गठित करने का प्रस्ताव किया जायगा ।

नियम १३३

(९३) नियम के नीचे दी गई व्यवस्था की पंक्ति १ में शब्द "सम्मिहीत" के स्थान पर शब्द "दिये गये" रख दिय जायेंगे ।

नियम १३४

(९४) नियम १३७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"१३७—संयुक्त प्रवर समिति के निर्देशन के लिये परिषद् द्वारा प्रस्ताव—

(१) यदि परिषद् द्वाराकोई प्रस्ताव किसी विधेयक की दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिये स्वीकृत हो और उसका सन्देश सचिव को प्राप्त हो तो सचिव ऐसे सन्देश को सूचना सदस्य को देगा ।

(२) परिषद् से ऐसे सन्देश के प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी समय सरकारी विधेयक की दशामें कोई मंत्री और असरकारी सदस्य के विधेयक की दशा में कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकेंगे कि परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

(३) यदि सभा सहमत हो तो संयुक्त प्रवर समिति के लिये सभा के प्रतिनिधियों की अपेक्षित संख्या का निर्वाचन नियम २६१ के उपबन्धों के अनुसार करने के लिये प्रस्ताव किया जायगा । तदन्तर परिषद् को एक सन्देश भेज दिया जायगा जिसमें परिषद द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पर सभा की सहमति तथा संयुक्त प्रवर समिति के लिये सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नामों की सूचना दी जायगी ।

(४) यदि सभा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव स सहमत न हो तो परिषद् के पास असहमति की सूचना भेज दी जायगी ।"

नियम १४१

(९५) नियम १४१ के उपनियम (१) में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं :—

"और किसी ऐसे खंड के संबंध में यह प्रस्ताव किया हुआ समझा जायगा कि वह खंड विधेयक का अंश माना जाय ।"

(९६) नियम १४१ के उपनियम (१) के अन्त में विराम को हटा कर उसके स्थान पर द्विबिन्दु रख दिया जाये और निम्नलिखित, परन्तुक के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"परन्तु अध्यक्ष को अभिसूचित संशोधनों के प्रवरण की शक्ति होगी" ।

नियम १४३–४५

(९७) नियम १४३–१४५ को वर्तमान नियम १३८ के पूर्व रक्खा जाय और उन्हें तदनुसार पुनरंकित किया जाय ।

(९८) नियम १४३ के उपनियम (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"१४३—विधेयकों का खंडशः प्रस्तुत किया जाना—(१) जब यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय तो विधेयक के प्रत्येक खंड के संबंध में यह प्रस्ताव किया हुआ समझा जायगा कि वह खंड विधेयक का अंश माना जाय । इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी अध्यक्ष के स्वविवेक में होगा कि विधेयक या विधेयक के किसी भाग के खंड प्रतिखंड सभा के समक्ष रक्खें । अध्यक्ष, प्रत्येक खंड को पृथक-पृथक लेंगे और जब उससे संबंद्ध संशोधन का निस्तारण अनुवर्ती नियमों के उपबन्धों के अनुसार हो जाय तो यह प्रश्न उपस्थित करेंगे कि, यह खंड या यथास्थिति यह संशोधित खंड विधेयक का अंश माना जाय ।"

नियम १४९

(९९) नियम १४९ की पंक्ति २ के अन्तिम शब्द " उपान्तीय" के स्थान पर शब्द "उपान्तिक" रख दिया जाय ।

नियम १५०

(१००) नियम १५० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"१५०—विधेयकों का परिषद् को पहुंचाया जाना—

(१) सचिव विधेयक की चार प्रतियां अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे और अध्यक्ष, और उनकी अनुपस्थिति में अविलम्बनीय अवस्था में, सचिव अध्यक्ष के कृते उन्हें निम्नरूप में प्रमाणित करेंगे :—

"इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान सभा ने—————————————

१९————————————को पारित किया ।

दिनांक————————— अध्यक्ष ।"

परन्तु यदि अनुच्छेद १९९ के अर्थ में वह एक धन विधेयक हो तो विधेयक के अन्त में अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र निम्न प्रकार में अंकित होगा :

"मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद १९९ के अर्थ के अन्तर्गत एक धन विधेयक है ।

दिनांक————————— अध्यक्ष ।"

(२) उक्त प्रतियों में से ३ प्रतियां परिषद् को उसके विचारार्थ भेजी जायेंगी ।"

नियम १५१

(१०१) नियम १५१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"१५१—संशोधन के बिना पारित विधेयकों के बारे में परिषद् से सन्देश—यदि धन विधेयक के अतिरिक्त सभा द्वारा पारित तथा परिषद् को पहुंचाया गया कोई विधेयक परिषद् द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाए तो परिषद से प्राप्त तत्सम्बंधी सन्देश सचिव द्वारा सदन को, यदि उसका उपवेशन हो रहा हो तो तुरन्त अन्यथा आगामी उपवेशन में प्रतिवेदित किया जायगा।"

नियम १५२

(१०२) नियम १५२ के उपनियम (१) की अन्तिम पंक्ति के शब्द "अग्रसर होगी" के स्थान पर शब्द "कार्यवाही करेगी" रख दिये जायं।

(१०३) नियम १५२ के उपनियम (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२) यदि विधेयक परिषद् द्वारा संशोधन सहित पारित किया जाय तो संशोधनों सहित विधेयक यथाशीघ्र पटल पर रक्खा जायगा और संशोधनों सहित विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों को वितरित किये जाने के उपरान्त सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मंत्री अथवा किसी और अवस्था में कोई सदस्य दो दिन की सूचना के पश्चात् या अध्यक्ष की सम्मति से बिना सूचना पर भी प्रस्ताव कर सकेंगे कि परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाये।"

नियम १५३

(१०४) नियम १५३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"१५३—संशोधनों पर विचार करने की प्रक्रिया—(१) यदि वह प्रस्ताव कि परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय, स्वीकृत हो जाय, तो अध्यक्ष संशोधनों को इस प्रकार सदन के समक्ष विचारार्थ रखेंगे जिससे वे सुविधा-जनक समझें।

(२) इस प्रक्रम पर केवल ऐसे संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे जो परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों के विषय से सुसंगत हों अथवा उनके आनुषंगिक या वैकल्पिक हों।

(३) यदि सदन परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत हो तो वह परिषद् को तत्सम्बंधी सन्देश भेजेगा किन्तु यदि वह असहमत हो या विधेयक में कोई अग्रेतर संशोधन स्वीकार करे तो सदन, यथास्थिति, विधेयक को या अग्रेतर संशोधित विधेयक को पुनः पारित करके तत्संबंधी सन्देश सहित परिषद् को लौटायेगा।"

नियम १५५

(१०५) नियम १५५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"१५५—धन विधेयकों पर परिषद् की सिफारिश—यदि सभा द्वारा पारित तथा परिषद् को पहुंचाया गया कोई धन विधेयक सभा को बिना सिफारिश के लौटा दिया जाय या परिषद् में उसकी प्राप्ति के दिनांक से १४ दिन की अवधि समाप्त हो जाय तो तत्सम्बंधी सूचना सचिव द्वारा सदन को उपवेशन होने की दशा में तुरन्त, अन्यथा सदस्यों को पत्र द्वारा दी जायगी।"

नियम १५६

(१०६) नियम १५६ (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२) यदि विधेयक परिषद् द्वारा सिफारिशों सहित लौटाया जाय तो सिफारिशों सहित विधेयक यथाशीघ्र पटल पर रक्खा जायगा और सिफारिशों सहित विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों को वितरित किये जाने के उपरान्त सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मन्त्री अथवा किसी अन्य अवस्था में कोई सदस्य दो दिन की सूचना के पश्चात् या अध्यक्ष की सम्मति से बिना सूचना पर भी प्रस्ताव कर सकेंगे कि परिषद् द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार किया जाय ।"

नियम १६१

(१०७) नियम १६१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"१६१—विधेयक पर अनुमति—जब सभा में पुरःस्थापित विधेयक, संविधान के उपबन्धों के अनुसार दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाय, तब सचिव उसमें शाब्दिक और आनुषंगिक संशोधन, यदि कोई हों, करेगा तथा उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर और यदि वह धन विधेयक हो तो अनुच्छेद १९९ (४) के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण भी अंकित हो जाने के उपरान्त वह विधेयक तीन प्रतियों में राज्यपाल की अनुमति के लिये प्रस्तुत किया जायगा ।"

नियम १६२

(१०८) नियम १६२ की अन्तिम पंक्ति में शब्द "घोषणा से पूर्व" के पश्चात् शब्द "सभा की मेज पर रखी जायगी" हटा दिये जायं व शब्द "सचिव द्वारा पटल पर रक्खी जायगी" जोड़ दिये जायं ।

नियम १६३

(१०९) नियम १६३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"१६३—विधेयक जिनको परिषद् ने पारित किया है—जब कोई विधेयक परिषद् में पुरःस्थापित तथा पारित हुआ हो और सभा में प्राप्त हो तो विधेयक सचिव द्वारा यथाशीघ्र पटल पर रक्खा जायगा ।"

नियम १६४

(११०) नियम १६४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"१६४—विचार करने के लिये प्रस्ताव की सूचना—नियम १६३ के अन्तर्गत विधेयक के पटल पर रक्खे जाने तथा उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को वितरित किये जाने के उपरान्त किसी सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री या किसी अन्य दशा में कोई सदस्य इस प्रस्ताव की सूचना दे सकेंगे कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय ।"

नियम १६५

(१११) नियम १६५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"१६५—विचार करने के लिये प्रस्ताव—जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, नियम १६४ में उल्लिखित प्रस्ताव सूचना प्राप्त होने के दिनांक से दो दिन के उपरान्त किसी दिन कार्यसूची में सम्मिलित एवं सदन में प्रस्तुत किया जा सकेगा ।"

नियम १६७

(११२) (क) नियम १६७ की पंक्ति ३ के शब्द "किन्तु अन्यथा नहीं" निकाल दिया जाय ;

(ख) पंक्ति ४ के शब्द "या संयुक्त प्रवर समिति" निकाल दिये जायं;

(ग) पंक्ति ६ के शब्द "प्रवर समितियों" के स्थान पर शब्द "प्रवर समिति" रख दिया जाय तथा उसके पश्चात् के शब्द "अन्यथा संयुक्त प्रवर समितियों" निकाल दिये जायें ।

नियम १७०

(११३) नियम १७० के उपनियम (१) के खंड (क) की पंक्ति ३ में आये शब्द "और" के स्थान पर शब्द "अग्रेतर" रख दिया जाये, पंक्ति ४ में आये शब्द "और" के स्थान पर शब्द "अन्य" रख दिया जाये तथा पंक्ति ५ में शब्द "तो" और संशोधन के मध्य शब्द "यथास्थिति असहमति की सूचना या" रख दिये जायें ।

(११४) नियम १७० के उपनियम (१) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(ख) विधेयक के इस प्रकार पटल पर रखे जाने पर तथा संशोधनों या असहमति की सूचना सहित उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को वितरित किये जाने के उपरान्त सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मंत्री अथवा किसी अन्य अवस्था में कोई सदस्य दो दिन की सूचना के पश्चात् या अध्यक्ष की सम्मति से बिना सूचना के प्रस्ताव कर सकेंगे कि उस पर परिषद् द्वारा सुझाव या स्वीकार किये गये संशोधनों सहित या बिना, विचार किया जाये ।"

(११५) नियम १७० के उपनियम (१) के खंड (घ) की दूसरी पंक्ति में शब्द "लौटाया जा सकेगा" के स्थान पर शब्द "लौटाया जायेगा" तथा पंक्ति ३ में शब्द "या" के स्थान पर शब्द "जो" रख दिये जायें । सातवीं पंक्ति में चिन्ह "विराम" के स्थान पर "कामा" रख दिया जाये तथा आठवीं पंक्ति में शब्द "अब भी" के स्थान पर शब्द "फिर भी" रख दिये जायें ।

नियम १७१

(११६) नियम १७१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए :—

"१७१—राज्यपाल द्वारा प्रत्यावर्तित विधेयकों पर पुनर्विचार—जब सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक सभा को राज्यपाल द्वारा सन्देश के साथ लौटाया जाए जिसमें यह कहा गया हो कि सभा विधेयक पर अथवा उसके किन्हीं उल्लिखित उपबन्धों पर अथवा किन्हीं संशोधनों पर जिनकी सन्देश में सिफारिश की गई हो, पुनर्विचार करे तो वे अध्यक्ष द्वारा सभा के समक्ष रखे जायेंगे जिन पर, जिस प्रकार विधेयक के संशोधन न लिए जाते हैं, उसी प्रकार से या किसी दूसरे प्रकार से जैसा कि अध्यक्ष सभा द्वारा उन पर विचार के लिए ठीक समझें चर्चा की जायगी तथा उन पर मत लिए जायेंगे :

परन्तु संशोधनों पर विचार उस समय तक नहीं किया जायगा जब तक कि राज्यपाल का सन्देश व सिफारिशें मुद्रित हो कर विचार करने की तिथि से दो दिन पूर्व सदस्यों में वितरित न कर दी गयी हों।"

नियम १७२

(११७) नियम १७२ के उपनियम (१) की पंक्ति १ के शब्द "जब" के पश्चात् शब्द और चिन्ह "संविधान", जोड़ दिया जाय तथा शब्द "अधीनस्थ" निकाल दिया जाय, तथा पंक्ति ३ तथा ६ में शब्द "तत्संबद्ध अधिनियम" के स्थान पर शब्द "तत्संगत विधि" रख दिए जायं ।

तथा पंक्ति ४ व ५ के शब्दों "सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने तथा बाद में सत्रावसान होने के पहले पूरी की जायगी" के स्थान पर शब्द "सभा के सत्रावसान होने के पहले पूरी की जायगी" रख दिए जायें।

नियम १७३

(११८) नियम १७३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए :—

"१७३—संशोधन पर चर्चा के लिए समय का नियतन—(१) पटल पर रखे गए विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि, आदि के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा संशोधन उस अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जा सकेंगे जो अधिनियम में उनके पटल पर रखे जाने के लिए विहित हो तथा इन संशोधनों पर विचार व विनिश्चय के लिए वे नियम यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे जो विधेयक के खण्डों के संशोधन के लिए विहित हैं।

(२) अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से इन संशोधनों पर विचार तथा विनिश्चय करने के लिए तिथि निश्चित करेंगे।"

नियम १७४

(११९) नियम १७४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"१७४—संशोधन का परिषद् को पहुंचाना—संशोधन सभा द्वारा पारित किये जाने के बाद परिषद् को उसकी सहमति के लिए पहुंचाया जायगा और परिषद् से संशोधन की स्वीकृति का सन्देश प्राप्त होने पर सचिव द्वारा शासन को भेजा जायगा किन्तु यदि तत्संगत अधिनियम के अधीन परिषद् की सहमति अपेक्षित न हो तो सचिव सभा द्वारा पारित संशोधनों की सूचना तुरन्त शासन को भेज देंगे।

नियम १७५

(१२०) नियम १७५ के अन्तिम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"यदि सदन परिषद् द्वारा अग्रेतर संशोधित संशोधन या परिषद् द्वारा प्रस्थापित अन्य संशोधन से सहमत हो तो संशोधन जिससे सदन इस प्रकार सहमत हो सचिव द्वारा शासन को भेजा जायगा।"

नियम १७६-क

(१२१) नियम १७६ के पश्चात् एक नया नियम १७६-क निम्न रूप में जोड़ दिया जाए :—

"१७६-क—सदन को सूचना—प्रत्येक दशा में संशोधन के सम्बन्ध में परिषद् की सहमति या असहमति की सूचना सचिव द्वारा सदन को दी जायगी।"

(१२२) "भाग (ड)—विधेयकों की वापसी तथा अपास्त विधेयक" वाले नियम भाग (ठ)—सदन के सामने रखे गए संविहित विनियम, नियम आदि के रक्खे जायेंगे तथा भाग (ठ) व (ड) को तद्नुसार पुनरंकित किया जायगा अर्थात् भाग (ड), भाग (ठ) हो जायगा और भाग (ठ), भाग (ड) हो जाएगा और पुनरंकित भाग (ठ), का शीर्षक "विधेयकों का स्थगन और वापसी तथा अपास्त विधेयक" होगा।

नियम १७८

(१२३) नियम १७८ के खण्ड (ख) के अन्त में शब्द "या" जोड़ा जाए तथा नया खण्ड (ग) निम्न प्रकार बढ़ा दिया जाय :

"(ग) बाद में उस विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है जिसमें अन्य उपबन्धों के अतिरिक्त उसके सभी या कुछ उपबन्ध सम्मिलित होंगे ।

नियम १८०

(१२४) नियम १८० के उपनियम (१) के क्रम संख्या (२) के अन्त में अर्धविराम चिन्ह के पूर्व निम्न शब्द बढ़ा दिए जायें :—

"या उस पर राय जानने के प्रयोजन से उसे परिचालित किया जाए ।"

(१२५) नियम १८० के उपनियम (२) की पंक्ति १ में आए शब्द "सारधान रूप से" के स्थान पर शब्द "सारतः" रख दिया जाय, पंक्ति २ में आए शब्द "चुकने की" के बाद 'या नियम १७८ के अधीन विधेयक के वापसी हो जाने की" बढ़ा दिए जायें तथा व्याख्या के खण्ड (१) में संख्या "१७६" के स्थान पर संख्या "१८१" रख दी जाए तथा खण्ड (३) में संख्या १६२ के स्थान पर संख्या "१६३" व संख्या "१९६" के स्थान पर संख्या "१७०" रख दी जाए ।

नियम १८३

(१२६) नियम १८३ के उपनियम (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए :—

"(२) अध्यक्ष सदन—नेता के परामर्श से संविधान में संशोधन के अनुसमर्थन के संकल्प पर चर्चा के लिए दिन नियत करेंगे ।"

(१२७) नियम १८३ के उपनियम (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए :—

"(३) संकल्पों के सम्बन्धित नियम एवं आदेश उक्त चर्चा पर यथोचित परिवर्तनों सहित प्रयुक्त होंगे ।"

नियम १८६

(१२८) नियम १८६ के उपनियम (२) के परन्तुक की पंक्ति १ में अन्तिम शब्द "अनुदान" के स्थान पर शब्द "अनुदानों" रख दिया जाय ।

नियम १८८

(१२९) नियम १८८ (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए :—

"१८८—साधारण चर्चा—(१) आय-व्ययक प्रस्तुत किए जाने के कम से कम दो दिन बाद अध्यक्ष द्वारा नियत दिनों पर आय-व्ययक पर या उसमें अन्तर्ग्रस्त सिद्धांतों के किसी प्रश्न पर साधारण चर्चा सामान्यतया ५ दिन होगी, किन्तु इस प्रक्रम पर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायगा और न ही आय-व्ययक सदन में मतदान के लिये रखा जाएगा ।"

(१३०) नियम १८८ के उपनियम (२) में से शब्द "सामान्य" निकाल दिया जाय ।

नियम १८९

(१३१) नियम १८९ के उपनियम (१) (२) व (४) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

"(१) अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से, अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान के लिए २४ दिनों से अनधिक दिन नियत करेंगे।

(२) उपनियम (१) अधीन रहते हुए अनुदान की मांग ऐसे क्रम में उपस्थित की जाएगी जैसा कि सदन नेता विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करें।

(४) इस प्रक्रम में किसी अनुदान की मांग को कम करने या उसकी किसी मद को निकाल देने के प्रस्ताव किए जा सकेंगे, किन्तु अनुदान की मांग में वृद्धि या उसके लक्ष्य में परिवर्तन करने के प्रस्ताव नहीं किए जा सकेंगे।"

(१३२) नियम १८० के उपनियम (५) की पंक्ति १ में शब्द "अनुदान" के स्थान पर शब्द "अनुदान की मांग" रख दिए जायें।

(१३३) नियम १८९ के उपनियम (७) की पंक्ति ५ में से चौथा शब्द "नहीं" निकाल दिया जाय।

नियम १९०

(१३४) नियम १९० के खण्ड (ख) की पंक्ति २ में शब्द "मितव्ययिता" के बाद आने वाले शब्द "का प्रतीक हो" के स्थान पर शब्द "को प्रदर्शित करे" रख दिए जायं।

(१३५) नियम १९० के खण्ड (ख) की पंक्ति ५ में शब्द "हो सके" के स्थान पर शब्द "हो सकेगी" रख दिए जायं।

(१३६) नियम १९० के खण्ड (ग) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "विशेष" के स्थान पर शब्द "विशिष्ट" रख दिया जाय।

नियम १९१

(१३७) नियम १९१ के खण्ड (१) से (१३) तक उपनियम १९१ (१) के अन्तर्गत रखे जायं और इसके पश्चात् उपनियम (२) निम्नलिखित रूप में बढ़ा दिया जाय :—

(२) अध्यक्ष ऐसे कटौती के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकेंगे जिसके द्वारा उनकी राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग या जिसके द्वारा इन नियमों का उल्लंघन होता हो।"

(१३७-क) नियम १९१ के खंड (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए :—

"(८) उसका, भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णयन के अन्तर्गत किसी विषय से सम्बन्ध नहीं होगा।"

(१३८) नियम १९१ के खंड (१०) की पंक्ति १ के शब्द "ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जायगी" के स्थान पर शब्द "ऐसा विषय नहीं उठाया जाएगा" रख दिए जायें।

(१३९) नियम १९१ के खण्ड (१२) की पंक्ति १ का शब्द "साधारणतया" निकाल दिया जाय तथा पंक्ति १ व २ के शब्द "ऐसे विषय पर चर्चा नहीं उठायी जाएगी" के स्थान पर शब्द "ऐसा विषय नहीं उठाया जाएगा" रख दिए जायें।

(१४०) नियम १९१ के खण्ड (१२) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"परन्तु अध्यक्ष स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे, जो जांच की प्रक्रिया अथवा व्याप्ति या प्रक्रम से सम्बन्धित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाए कि इससे न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है और"

नियम १९२

(१४१) नियम १९२ का परन्तुक निकाल दिया जाय तथा शेष नियम निम्न प्रकार से रख दिया जाय:—

"१९२—अनुदान को हटाने या कम करने के प्रस्ताव की सूचना—कटौती के प्रस्ताव की सूचना, उस अनुदान पर विचार करने के नियत दिन से कम से कम २ दिन पूर्व दी जाएगी, जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें:"

नियम १९३

(१४२) नियम १९३ के उपनियम (२) की पंक्ति ३ में शब्द "के अनन्तर" के स्थान पर शब्द "सहित" रख दिया जाए।

नियम १९४

(१४३) नियम १९४ के उपनियम (१) की पंक्ति २ और ४ के शब्द "बतायी" के स्थान पर शब्द "व्यक्ति की" रख दिए जायं।

(१४४) नियम १९४ के उपनियम (२) की पंक्ति २ के शब्द "निकाल देने" के स्थान पर शब्द "विलुप्त करने" रख दिए जायं।

(१४५) नियम १९४ के उपनियम (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए:—

"(३) प्रस्ताव पर या उस समय प्रस्तुत किए गए संशोधनों पर साधारण चर्चा की अनुज्ञा होगी, तथा अनुदानों के विवरणों पर सविस्तार विवाद न होकर केवल इतना उल्लेख किया जा सकेगा जो साधारण चर्चा के हेतु आवश्यक हो।"

नियम १९५

(१४६) नियम १९५ के उपनियम (१) की अन्तिम पंक्ति के शब्द "एक या अधिक" निकाल दिए जायें।

(१४७) नियम १९५ के उपनियम (२) की पंक्ति २ के शब्द "समय-समय पर" निकाल दिए जायं तथा शब्द "कर सकेंगे" के स्थान पर शब्द "करेंगे" रख दिया जाए और पंक्ति ४ के शब्द "के अनन्तर" के स्थान पर शब्द "सहित" रख दिया जाए। उक्त उप नियम में आने वाले अंक "१८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६ और १८७" के स्थान पर "१८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१ तथा १९२," रख दिए जायें।

नियम १९७

(१४८) नियम १९७ की पंक्ति १ में शब्द "या योजना" निकाल दिए जायं तथा इसकी पंक्ति २ में शब्द 'जा सक" के स्थान पर शब्द "जा सकता हो" रख दिए जायं।

नियम १९९

(१४९) नियम १९९ की दूसरी पंक्ति में शब्द "द्वारा" के स्थान पर शब्द "अपनी" शब्द "अधिकारों" के स्थान पर शब्द "शक्तियों' रख दिया जाए तथा "वे" शब्द निकाल दिया जाय। तीसरी पंक्ति के शब्द "अधिकारों" के बाद "या शक्तियों" बढ़ा दिया जाय। इसी नियम की चौथी पंक्ति में "भिन्न" के स्थान पर शब्द "विभिन्न" रख दिया जाए तथा पंक्ति ७ का शब्द "आवश्यक' निकाल कर उसे पंक्ति ८ में "प्रत्येक" के बाद तथा शब्द "प्रश्न" के पहले रख दिया जाए।

व्याख्या की प्रथम पंक्ति में शब्द "किसी" निकाल दिया जाय तथा "का" और "समावेश" के बीच शब्द "भी' रख दिया जाय।

नियम २०१

(१५०) नियम २०१ के उपनियम (१) के परन्तुक की पंक्ति २ के शब्द "राजी" के स्थान पर शब्द "सहमत" रख दिया जाए।

(१०५-क) नियम २०१ के उपनियम (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए :—

"(३) समिति में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति तथा स्थिति सदन द्वारा निर्वाचन या नियुक्ति अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशन करके की जाएगी और जो सदस्य ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिए निर्वाचित, नियुक्त और नाम निर्देशित हो उस कालावधि के असमाप्त भाग तक पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह निर्वारित, नियुक्त अथवा नाम-निर्देशित किया गया है, पद धारण करता :

परन्तु समिति की कार्यवाही इस आधार पर न अनियमित होगी और न रुकेगी कि आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति नहीं की गयी है।"

नियम २०३

(१५१) नियम २०३ के उपनियम (४) के अन्तिम शब्द 'कार्य किया जाए" के स्थान पर शब्द 'कार्यवाही की जाए" रख दिए जायें।

नियम २०४

(१५२) वर्तमान नियम २०४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए :—

"२०४—समिति के उपवेशनों से अनुपस्थित सदस्यों का हटाया जाना—यदि कोई सदस्य समिति के लगातार दो या अधिक उपवेशनों से सभापति की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहे तो ऐसे सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के उपरान्त यदि आवश्यक हो तो समिति से हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा :

परन्तु जब समिति के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित हों या किसी सदस्य को स्पष्टीकरण का अवसर देने के उपरान्त अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकेगा।"

नियम २१३

(१५३) नियम २१३ की प्रथम पंक्ति में शब्द "पक्ष" के बाद शब्द "अथवा साक्षी" रख दिए जायं और पंक्ति ३ व ४ के शब्द "इसी प्रकार....हो सकेगा" निकाल दिए जायं।

नियम २१७

(१५४) नियम २१७ के उपनियम (३) के पश्चात् नया उपनियम (४) निम्नलिखित रूप में जोड़ दिया जाय---

(४) उपनियम (१) के अधीन प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के पश्चात् कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए दो दिन की सूचना देकर चर्चा की मांग कर सकता है और अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से चर्चा के लिए तिथि व समय निर्धारित करेंगे किन्तु इस सम्बन्ध में सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव न होगा और न कोई मतदान लिया जाएगा।

नियम २३०-२३२

(१५५) नियम २३० (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"२३० (२)---लोक लेखा समिति का कार्यकाल ५ वर्ष का होगा और इसमें २४ सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जायेंगे। ८ सदस्य प्रतिवर्ष लाटरी द्वारा निवृत्त हो जायेंगे और इस प्रकार निवृत्त हुए सदस्यों के स्थान पर अध्यक्ष द्वारा ८ सदस्य मनोनीत किए जायेंगे।

परन्तु कोई मन्त्री समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा और यदि समिति का कोई सदस्य मन्त्री नियुक्त किया जाय तो वह नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।"

(१५६) नियम २३० (३) को निम्न रूप में रख दिया जाय---

"२३० (३)---सभापति समिति के सदस्यों में से प्रतिवर्ष अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा"

(१५७) नियम २३१ (२) (ख) की पंक्ति ४ में शब्द "परीक्षक" तथा शब्द "द्वारा" के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जायें :---

"अथवा अन्य किसी आडीटर या अधिकारी"

(१५८) नियम २३२ (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

'नियम २३२ (२) समिति का कार्यकाल ५ वर्ष होगा और इसमें २४ सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जायेंगे। ८ सदस्य प्रतिवर्ष लाटरी द्वारा निवृत्त हो जायेंगे और इस प्रकार निवृत्त हुए सदस्यों के स्थान पर अध्यक्ष द्वारा ८ सदस्य मनोनीत किए जायेंगे।

नियम २३२ (२) का 'परन्तुक' पूर्व के अनुसार रहेगा।"

(१५९) नियम २३२ (३) निम्न रूप में जोड़ दिया जाए :---

"२३२ (३) सभापति समिति के सदस्यों में से प्रति वर्ष, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।"

नियम २३७

(१६०) नियम २३७ के उपनियम (३) के खण्ड (ख) की पंक्ति १ में शब्द "जो" और 'किसी" के मध्य शब्द "केवल" रख दिया जाए।

नियम २५१

(१६१) नियम २५१ को निम्न प्रकार संशोधित रूप में रखा जाय--

नियम २५१--

(क) मूल रूप में रखा जाय

(ख) यदि उपनियम (क) में उल्लिखित कालावधि के भीतर समिति की सिफारिशों में संशोधन की कोई सूचना न दी जाय तो उस अवधि की समाप्ति पर समिति की सिफारिशें सदन द्वारा स्वीकृत समझी जायंगी और नियमों में सम्मिलित कर दी जायगी।

(ग) यदि उपनियम (क) में विहित कालावधि के भीतर किसी संशोधन की सूचना प्राप्त हो तो ऐसी सूचना पर संशोधन समिति को निर्दिष्ट हो जायगा जो उस पर विचार करके अपनी सिफारिशों में ऐसा परिवर्तन कर सकेगी जो उचित समझे।

(घ) उपनियम (ग) में उल्लिखित सशोधनों पर विचार करने के उपरान्त समिति का अंतिम प्रतिवेदन सदन के पटल पर पुनः सात दिन तक रक्खा जायगा और यदि इस कालावधि के भीतर समिति द्वारा पुनर्विचारोपरान्त किये गये निर्णयों में यदि किसी आपत्ति की सूचना प्राप्त हो तो अध्यक्ष ऐसी आपत्तियां सदन के विचारार्थ रखेंगे ; अन्यथा समिति का प्रतिवेदन सदन द्वारा स्वीकृत समझा जायेगा और प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें नियमावली में सम्मिलित कर ली जायंगी।"

नियम २६५

(१६२) नियम २६६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये--

"२६५---विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रश्न की जांच तथा उनकी प्रक्रिया--

(१) विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट होने पर उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है सचिव द्वारा शिकायत की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेज दी जायेगी कि एक निश्चित तिथि तक, यदि वह चाहे तो शिकायत के संबंध में अपना लिखित वक्तव्य सचिव को भेज दे। लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने की तिथि व्यतीत होने के उपरान्त, समिति यदि आवश्यक समझे, तो जांच के हेतु शिकायत करने वाले व्यक्ति तथा उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो, एक निश्चित तिथि, समय और स्थान पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिये बुला सकेगी।

(२) ऐसा व्यक्ति, यदि वह चाहे तो अधिवक्ता द्वारा भी अपना पक्ष समिति के समक्ष उपस्थित कर सकेगा।

(३) यदि उपस्थित होने के लिये आदिष्ट पक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह समिति को उन कारणों की सूचना देगा। समिति दिये गये कारणों को देखते हुये उस विषय पर विचार स्थगित कर सकेगी जिससे कि वह पक्ष उपस्थित हो सके। किन्तु यदि समिति यह समझे कि अनुपस्थिति के समुचित कारण नहीं हैं या पक्ष जानबूझ कर अनुपस्थित रहा है तो समिति उस पक्ष के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में ही विषय पर विचार करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेगी तथा उसके विरुद्ध आदेश भंग की सूचना सदन के समक्ष उचित कार्यार्थ रख सकेगी।"

अध्याय १७

(१६३) मूल नियमावली के अध्याय १६ में जहां जहां शब्द "संकल्प" प्रयुक्त हुआ है, उसके स्थान पर शब्द "प्रस्ताव" रख दिया जाय तथा आवश्यक आनुषंगिक संशोधन कर लिये जांय।

नियम २७०—२७५

(१६४) नियम २७० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"२७०—अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प—कोई सदस्य जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिये अनुच्छेद १७९ (ग) के अन्तर्गत किसी संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना देना चाहे तो वह उसे लिखित रूप में देगा परन्तु पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये कोई संकल्प अनुज्ञा के लिये तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जब तक कि सचिव को चौदह दिनों के पूर्व ऐसी सूचना न दी गयी हो ।"

(१६५) नियम २७१ के उपनियम (१) को नियम २७२ के पश्चात् एक नये नियम २७२—क के रूप में पुनरंकित करके इस प्रकार रख दिया जाये :—

"२७२—क— संकल्प पर विचार के समय पीठासीन व्यक्ति—अनुच्छेद १८१ (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये जब पूर्वगामी नियमों के अन्तर्गत कोई हटाने का संकल्प विचारार्थ लिया जाय तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अनुच्छेद १८० (२) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन होंगे ।"

(१६६) नियम २७१ के उपनियम (३) की पंक्ति २ के शब्द "अपने" के स्थान पर शब्द "अपने-अपने" रख दिये जायं ।

(१६७) मूल नियम २७२ के भाग (क) की पंक्ति २ के शब्द "तो" के बाद की शब्दावली के स्थान पर शब्द "प्रस्ताव उसी दिन अथवा किसी नियत दिन पर विचार के लिये लिया जा सकेगा ।" रख दिये जायं ।

नियम २८२

(१६८) नियम २८२ के उपनियम (२) की पंक्ति २ में शब्द "अतिरिक्त" के स्थान पर शब्द "उपरान्त" रख दिया जाय ।

(१६९) नियम २८२ के उपनियम (२) के उपरान्त निम्नलिखित उपनियम (३) के रूप में बढ़ा दिया जायं :—

"(३) जब सदन का उपवेशन हो रहा हो तो कटौती प्रस्तावों के अतिरिक्त जो सूचनायें उपनियम (१) के अन्तर्गत सायंकाल चार बजे तक प्राप्त हों, उनकी प्रतिलिपि सचिव, सदस्यों में अगले दिन १० बजे तक परिचालित करेंगे ।"

नियम २८३

(१७०) नियम २८३ हटा दिया जाये ।

नियम २८४

(१७१) नियम २८४ के उपनियम (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(५) अध्यक्ष को अभिसूचित संशोधनों के प्रवरण की शक्ति होगी तथा वे किसी प्रक्रम में किसी संशोधन को जो उनकी राय में निरर्थक या अनियमित हो, अनुज्ञापित कर सकेंगे या उस पर मत लेना अस्वीकार कर सकेंगे ।"

नियम २८९

(१७२) नियम २८९ के उपनियम (२) में निम्नलिखित नये खंड (ज) के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"(ज) कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जो अध्यक्षासन अथवा सदन के लिये अनादर सूचक हो ।"

(१७३) नियम २८९ के उपनियम २ (ग) में शब्द "आरोप" तथा शब्द "नहीं" के बीच में शब्द "तथा लांछन" बढ़ा दिये जायें ।

नियम २९९

(१७४) नियम २९९ के शीर्षक "सदस्यों के बाहर चले जाने की आज्ञा देने की शक्ति " के स्थान पर शीर्षक "सदन में शान्ति और व्यवस्था" कर दिया जाये ।

(१७५) नियम २९९ के उपनियम (१) की पंक्ति २ में शब्द "अव्यवस्थापूर्ण हो" के बाद शब्द "अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो" रख दिये जायें ।

(१७६) नियम २९९ के उपनियम (१) की पंक्ति ४ में शब्द "तत्काल" और शब्द "बाहर" के मध्य शब्द "सभा मंडप से" रख दिये जायं ।

(१७७) नियम २९९ के उपनियम (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(२) अध्यक्ष निम्नलिखित दशाओं में किसी को इंगित कर सकेंगे :—

(क) यदि उपनियम (१) के अन्तर्गत बाहर चले जाने का आदेश दिये जाने पर सदस्य उसका पालन न करे, या

(ख) यदि अध्यक्ष उपनियम (१) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग अपर्याप्त समझे, या

(ग) यदि सदस्य जानबूझ कर सदन की कार्यवाही में बार-बार अव्यवस्थित रीति से बाधा डाले, या

(घ) यदि उसके विरुद्ध इस नियम के अधीन एक ही सत्र में अनुवर्ती अवसरों पर कार्यवाही करना आवश्यक हो जाये ।

जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जायगा, सदन नेता अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि इंगित सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय और ऐसे प्रस्ताव पर प्रश्न बिना किसी संशोधन या विवाद या स्थगन, प्रक्रिया के सदन के समक्ष उपस्थित कर दिया जायेगा ।

इस प्रकार किसी सदस्य के निलम्बित किये जाने पर पहली बार निलम्बन की अवधि ४ उपवेशनों के लिये होगी, दूसरी बार १५ उपवेशनों के लिये और अनुवर्ती अवसरों पर यदि सदन अन्यथा विनिश्चित न करे, सत्र की अवशिष्ट कालावधि के लिये होगी:

परन्तु निलम्बन की कोई कालावधि किसी अवस्था में सत्र की अवशिष्ट कालाविधि से अधिक न होगी ।

सदन द्वारा निलम्बित सदस्य बाध्य होंगे कि वे सदन के परिसर का तुरन्त परित्याग करें । किन्तु ऐसा न करने पर और अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान आकृष्ट किये जाने पर कि बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है, निलम्बित सदस्य बिना किसी अग्रसर प्रस्ताव के सत्र की अवशिष्ट कालावधि के लिये निलम्बित हो जायेंगे ।

सदन की सेवा से निलम्बित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश करने से और सदन और समितियों की कार्यवाहियों में भाग लेने से वंचित रहेंगे :

परन्तु अध्यक्ष किसी निलम्बित सदस्य को तदर्थ प्रार्थना किये जाने पर सदन के परिसर में किसी विशेष प्रयोजन के लिये आने की अनुमति दे सकेंगे ।

(२—क) सदन किसी समय प्रस्ताव किये जाने पर यह आदेश दे सकेगा कि उपर्युक्त उपनियम (२) के अधीन दिया गया निलम्बन का कोई दंड या उसका असमाप्त भाग निरस्त किया जाय ।"

नियम ३०४

(१७८) नियम ३०४ के शीर्षक में शब्द "वाद-विवाद" के स्थान पर शब्द "सदन की कार्यवाही" रख दिये जायं ।

(१७८—क) नियम ३०४ के उपनियम (१) की पंक्ति २ में शब्द "वाद-विवाद" के स्थान पर शब्द "सदन" रख दिया जाय ।

(१७९) नियम ३०४ के उपनियम (२) की पंक्ति १ के शब्द "अंश" के पश्चात् शब्द "छापे नहीं जायेंगे अपितु उनके स्थान" बढ़ा दिये जायें ।

नियम ३०५

(१८०) नियम ३०५ की शब्दावली के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"सदन के उपवेशनों के समय अजनबियों का प्रवेश सदन के परिसर के उन भागों में जो केवल सदस्यों के उपयोग के लिये सुरक्षित नहीं है, अध्यक्ष के आदेश या उनके द्वारा निर्मित नियमों द्वारा विनियमित किया जायगा ।"

नियम ३०७

(१८१) नियम ३०७ की पंक्ति १ में शब्द "सदन" के पश्चात् शब्द "के परिसरों" बढ़ा दिये जायें ।

नियम ३११—३१४

(१८२) नियम ३११ के स्थान पर नियम २४९ (क) निम्न प्रकार रख दिया जाय :—

"२४९—क—किसी सदस्य द्वारा नियमावली के नियमों में संशोधनों की सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष उक्त सूचना, यदि वह अनियमित न हो, को नियम समिति के विचारार्थ निर्दिष्ट करेंगे ।"

(१८३) नियम ३११ से ३१४ तक हटा दिये जायं ।

नियम ३१९

(१८४) नियम ३१९ की प्रथम पंक्ति में शब्द "जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें" के स्थान पर शब्द "इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी तथा अध्यक्ष के अन्यथा निदेश के अधीन रहते हुये," रख दिये जायं । वर्तमान उपनियम (२७) तथा (२८) को (२५) और (२६) में परिवर्तित कर दिया जाय तथा उप नियम (१३) और (१४) को क्रमशः उप-नियम (२८) तथा (२९) बना दिया जाय और एक नया उपनियम (२७) निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :—

"(२७) उस दिन के अन्य समान्य कार्य,"

तथा समस्त उपनियमों को तदनुसार पुनरंकित कर दिया जाय ।

सामान्य संशोधन

(१८५) नियमों में जहां—जहां शब्द "पूर्वता" प्रयुक्त हुआ हो, वहां—वहां उसके स्थान पर शब्द "अग्रेता" रख दिया जाय ।

(१८६) नियमों में जहां-जहां शब्द "अधिवेशन", "उपवेशन" या "बैठक" प्रयुक्त हुये हों, वहां—वहां उनके स्थान पर "उपवेशन" रखा जाये ।

(१८७) नियमों में जहां कहीं सदस्यों, सचिव अथवा अधिष्ठाता–मंडल के सदस्यों के लिये एक वचन की क्रिया या सर्वनाम का प्रयोग हुआ हो, वहां–वहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा मंत्रियों की भांति ही आदरसूचक बहुवचन की क्रिया तथा सर्वनाम का प्रयोग किया जाये।

(१८८) नियमों में जहां–जहां शब्द "मेज" आया है, वहां–वहां उसके स्थान पर शब्द "पटल" रख दिया जाये।

(१८९) नियमों में जहां–जहां शब्द "सदन" कौंसिल हाउस के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, वहां–वहां उसके स्थान पर शब्द "विधान भवन" रख दिया जाय।

अन्त में मैं, श्री कौशलपाल गुप्त, सचिव, विधान मंडल, श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा तथा विधान सभा सचिवालय के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने उक्त प्रतिवेदन के तैयार करने में समिति को अत्यधिक सहयोग दिया। मैं, श्री के० सी० पुरी, सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, विधायिका विभाग को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समय–समय पर समिति के समक्ष उठे विभिन्न संवैधानिक प्रश्नों पर अपनी राय से समिति को लाभान्वित किया।

मदन मोहन वर्मा,
सभापति,
नियम समिति,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
दिनांक : ८ अगस्त, १९६६।

पी० एस० यू० पी०—ए० पो०—१५५ एल० ए०—१९६७—८४६।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश